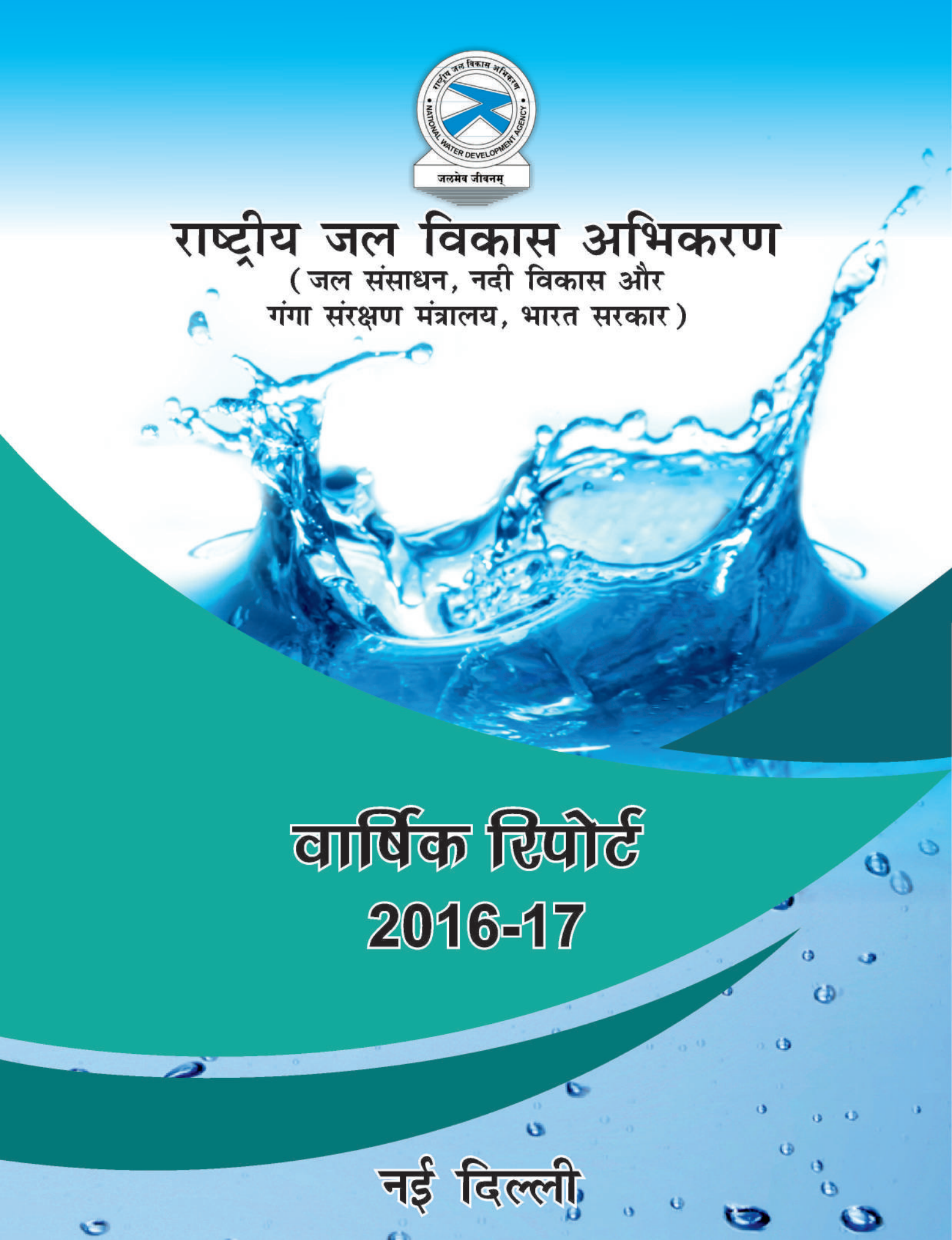

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2016 – 17

नई दिल्ली

महानिदेशक की ओर से

मुझे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की वर्ष 2016–17 के लिए यह वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट जल संसाधन विकास के क्षेत्र, विशेष तौर पर जल के अंतर–बेसिन अंतरण, जिसे सामान्यतः नदियों को जोड़ना कहा जाता है, में रा.ज.वि.अ. की भूमिका का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करती है। राजविअ को अपने उत्तरदायित्वों के प्रभावी निश्पादन में माननीय मंत्री (ज.स.,न.वि. एवं गं.सं.) दोनों माननीय राज्य मंत्रियों (ज.स.,न.वि. एवं गं.सं.) तथा सचिव (ज.स.,न.वि. एवं गं.सं.) से प्राप्त भावपूर्ण सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

भारत सरकार द्वारा तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत जुलाई, 1982 में की गई। रा.ज.वि.अ. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का एक स्वातयत्तशासी संगठन है जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। रा.ज.वि.अ. के कार्यों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतरराज्यीय लिंकों तथा राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तथा संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना शामिल है। नदियों को जोड़ने की रिपोर्ट तैयार करने में संबंधित राज्य सरकारों की सहमति तथा सहयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बहुत सी कठिनाइयों विशेषकर तकनीकी अधिकारियों की कम संख्या होने के बावजूद रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2016–17 में रिपोर्ट में उल्लिखित सौंपे गए सभी कार्यों को सक्षम और प्रभावी तरीके से पूरा किया है। इस अवधि की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- रा.ज.वि.अ. को केन–बेतवा लिंक चरण–। (8.7.2016) की तकनीकी आर्थिक मंजूरी मिल गई है। रा.ज.वि.अ. ने केन–बेतवा लिंक चरण–। की वन्य जीव मंजूरी (23.8.2016), पर्यावरण मंजूरी (30.12. 2016), वन भूमि व्यपवर्तन मंजूरी (30.3.2017) प्राप्त कर ली हैं।
- सचिव (ज.स.,न.वि. एवं गं.सं.) ने माननीय मुख्य मंत्री, तथा मुख्य सचिव, गुजरात के साथ दिनांक 31.12.2016 को पार–तापी– नर्मदा लिंक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के आधार पर रा.ज.वि.अ. ने कमान क्षेत्र में और जन जातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आशोधन किया है।
- रा.ज.वि.अ. ने अप्रैल 2016 में चतुर्थ भारत जल सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भी शामिल थी। इस सम्मेलन में देश–विदेश से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- रा.ज.वि.अ. ने नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई।
- वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ. की तकनीकी परामर्श समिति की 42वीं बैठक हुई।

- वर्ष के दौरान माननीय मंत्री (ज.स.,न.वि. एवं गं.सं.) की अध्यक्षता में 5वीं विशेष सामान्य बैठक तथा 30 वीं वार्षिक सामान्य बैठक हुई।
- वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 63वीं और 64वीं बैठक हुई।
- वर्ष के दौरान नदियों को जोड़ने की विशेष समिति की चार बैठकें हुईं, जिनमें से दो बैठकें माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में और दो बैठकें माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में हुईं।
- प्राथमिकता प्राप्त पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. (बड़ी एवं मध्यम सिंचाई) परियोजनाओं तथा उनके कमान क्षेत्र विकास व संरक्षण प्रबंधन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने की दृष्टि से राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए रा.ज.वि.अ. को एल.टी.आई.एफ. से संसाधनों को प्राप्त करने के अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किया गया है।

राजविअ भारत सरकार द्वारा उसे सौंपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ. की भूमिका, कार्यों तथा उपलब्धियों को समझने में सहायक होगी।

संजय कुंडू

(संजय कुंडु)
महानिदेशक

वर्ष 2016 - 17 के दौरान मुख्य गतिविधियां

- अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समति की 42वीं बैठक दिनांक 23.05.2016 को हुई।
- वर्ष के दौरान माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अध्यक्षता में रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 5वीं विशेष सामान्य बैठक तथा 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 22.06.2016 को हुई।
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और अध्यक्ष, शासी निकाय की अध्यक्षता में रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 63वीं एवं 64वीं बैठक क्रमशः दिनांक 13.06.2016 एवं 27.03.2017 को हुई।
- दो अंतः राज्यीय लिंकों, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, से एक–एक नामतः पोन्नैयार–पालार, वेनगंगा (गोसीखुर्द) नलगंगा (पूरना तापी) की डी.पी.आर. का कार्य प्रगति पर रहा।
- वर्ष के दौरान नदियों को जोड़ने की विशेष समिति की चार बैठकें हुईं जिनमें से दो बैठकें माननीय मंत्री, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अध्यक्षता में और दो बैठकें माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय(स्वतंत्र प्रभार) तथा युवा एवं खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में क्रमशः दिनांक 29.04.2016, 26.07.2016, 09.11.2016 एवं 08.03.2017 को हुईं ।
- रा.ज.वि.अ. ने 04 से 08 अप्रैल 2016 तक चतुर्थ भारत जल सप्ताह–2016 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भी शामिल थे। इस सम्मेलन में देश–विदेश से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- रा.ज.वि.अ. ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2016 में भाग लिया।
- वर्ष के दौरान, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत नदियों की अंतर्योजन योजनाओं के क्रियान्वयन आरंभ करने तथा उधार निधि के भण्डार के रूप में कार्य करने और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बैंकों/अन्य संस्थाओं से ऋण देने के लिए रा.ज.वि.अ. के कार्यों में आगे आशोधन किया गया है।
- वर्ष के दौरान नाबार्ड ने रा.ज.वि.अ. को 5751.04 करोड रूपए का ऋण जारी किया जिसे रा.ज.वि.अ. ने 14 राज्यों को उनकी अभिज्ञात परियोजनाओं तथा पोलावरम परियोजना प्राधिकरण को आबंटित कर दिया है।
- रा.ज.वि.अ. को केन–बेतवा लिंक चरण–। (08.07.2016) की तकनीकी आर्थिक मंजूरी मिल गई है। अथक प्रयासों के बाद रा.ज.वि.अ. ने केन–बेतवा लिंक चरण–। की वन्य जीव मंजूरी (23.08.2016), पर्यावरण मंजूरी (30.12.2016), वन भूमि व्यपर्वतन मंजूरी (30.03.2017) प्राप्त कर ली हैं।
- सचिव (ज. स., न.वि. व. गं. सं.) ने माननीय मुख्य मंत्री, तथा मुख्य सचिव, गुजरात के साथ दिनांक 31.12.2017 को पार–तापी– नर्मदा लिंक प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के आधार पर रा.ज.वि.अ. ने कमान क्षेत्र में और जन जातीय क्षेत्र को शामिल करते हुए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आशोधन किया है।

विषय सूची

क्रम संख्या	मद	पृष्ठ संख्या.
अध्याय–1	**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.)**	1
1.0	प्रस्तावना	1
1.1	रा.ज.वि.अ. की स्थापना तथा इसके कार्य	1
अध्याय–2	**मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा**	3
2.1	मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा	3
2.2	कर्मचारी संख्या	5
2.3	रा.ज.वि.अ. सोसाइटी	5
2.4	शासी निकाय	9
2.5	तकनीकी सलाहकार समिति	12
अध्याय–3	**"नदियों के अंतर्योजन" पर विशेष समिति (एस सी आई एल आर) तथा नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल**	15
3.1	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति	15
3.2	नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल	20
अध्याय–4	**तकनीकी गतिविधियां**	21
4.1	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना	21
4.2	अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक	21
4.3	रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरे किए गए प्राथमिक अध्ययन	21
4.4	रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जा रहे जल अंतरण लिंकों के अध्ययन	22
4.4.1	प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति	24
4.4.2	हिमालय घटक के अधीन अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की संभाव्यता रिपोर्टों की तैयारी की वर्तमान स्थिति	25
4.4.3	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक	26
4.4.4	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक पर मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया	26
अध्याय–5	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता प्राप्त लिंक**	28
5.1	मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया के लिए किए गए प्रयास	28
अध्याय–6	**राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक**	32
6.1	अंतः राज्यीय लिंक	32
6.1.1	झारखंड	32
6.1.2	गुजरात	32
6.1.3	महाराष्ट्र	32

6.1.4	ओडिसा	32
6.1.5	बिहार	32
6.1.6	राजस्थान	33
6.1.7	तमिलनाडु	33
6.1.8	कर्नाटक	33
6.1.9	छत्तीसगढ़	34
6.1.10	अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने की समग्र स्थिति	34
6.1.11	अंतःराज्यीय लिंकों की तैयारी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) तैयार करने की वर्तमान स्थिति	37
6.1.12	अंतः राज्यीय लिंक नदी परियोजनाओं की डी पी आर तैयार करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को निधियन उपलब्ध कराना	37
अध्याय-7	**प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की गतिविधियां**	38
7.1	पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत नाबार्ड निधियन	38
7.1.1	परियोजना की प्रक्रिया	38
7.1.2	राज्यों को निधियन जारी करना (केन्द्रीय सहायता)	38
7.1.3	थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग	38
अध्याय-8	**रा.ज.वि.अ. की वैबसाइट**	40
अध्याय-9	**रा.ज.वि.अ. की अन्य गतिविधियां**	41
9.1	प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां	41
9.2	विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन	41
9.3	रा.ज.वि.अ. का नागरिक चार्टर	41
9.4	महिला कर्मचारियों के यौन शोषण की शिकायतों के लिए समिति	42
9.5	साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह	42
9.6	आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन	42
9.7	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.) 2016 में भागीदारी	42
9.8	भारत जल सप्ताह–2016	42
9.9	जल मंथन –3	45
अध्याय-10	**रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां**	46
10.1	सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामले	46
10.2	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	46
अध्याय-11	**राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग**	47
अध्याय-12	**वित्त एवं लेखा**	49
12.1	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के नियम और विनियमों के नियम संख्याप 45 में संशोधन	49

12.2	राज्यों को केंद्रीय सहायता–पीएमकेएसवाई योजना के अंतर्गत दीर्घकालीन सिंचाई निधियन (एलटीआईएफ)	49
12.3	वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तिवक व्यय	50
12.4	वर्ष 2016–17 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा	50
अध्याय-13	**आभारोक्ति**	51

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट संख्या	मद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट–।	प्रशिक्षण पाठयक्रमों का विवरण जिनमें रा.ज.वि.अ. पदाधिकारियों ने भाग लिया	52
परिशिष्ट–।।	सम्मेलनों/सेमिनारों और कार्यशालाओं का विवरण जिनमें रा.ज.वि.अ. पदाधिकारियों ने भाग लिया	54
परिशिष्टि–।।।	वर्ष 2016–17 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र, लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और रा.ज.वि.अ. के उत्तर तथा रा.ज.वि.अ. के लेखे	59

अध्याय–1

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.)

1.0 प्रस्तावना

प्पर्याप्त जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर आधुनिक औद्योगिक विकास के मूल में जल ही है। पूरी दुनिया में सामाजिक–सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में इसकी अहम भूमिका है। मानव हजारों वर्षो से जल का उपयोग ऐसे करता आ रहा है मानो यह कभी न खत्म होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। जल समान रूप से वितरित नहीं है। भारत के कुछ क्षेत्रों में जल की कमी को समाप्त करने के लिए जल संसाधनों के ईष्टतम विकास एवं उनके प्रयोग की दृष्टि से नदियों के अंतर्योजन की अवधारणा सामने आयी। इसमें अंतर बेसिन और अंतः बेसिन जल अंतरण शामिल हैं जिसमें विशेषकर बाढ के दौरान अधिशेष जल वाली नदियों के जल को जल कमी वाली नदियों में अंतरित किया जाएगा। भारत में स्थलाकृतिक भिन्नताओं और वर्षा के असमान वितरण के कारण ही बाढ़–सूखा–बाढ़ सिंड्रोम की स्थिति पैदा होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक ही समय में एक ओर बाढ की भयावह विभीषिका होती है तो वहीं दूसरी ओर जल की कमी और सूखे की समस्याएं होती हैं। राष्ट्रीय हित में आम जनता को बडे पैमाने पर सिंचाई लाभ एवं जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन देने के लिए अंतर बेसिन जल अंतरण योजना (नदियों का अंतर्योजन) बाढ–सूखा–बाढ़ सिंड्रोम का शमन करने में एक शक्तिशाली हथियार सिद्ध होगी। वर्तमान परिदृश्य में जल की बढ रही मांग की पूर्ति के लिए ईष्टतम धारणीय विकास, गुणवत्ता का रख–रखाव और जल संसाधनों के दक्ष प्रयोग की आवश्यकता है।

समय–समय पर अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल न्यून क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड की मांग उठती रही है। अंतर–बेसिन जल अंतरण की अवधारणा का प्रतिपादन पूर्व में डॉ. के.एल.राव ने 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' तथा कैप्टन दस्तूर ने 'नहर माल' के द्वारा किया। विशेषज्ञों के समूह द्वारा इन दोनों योजनाओं की जांच की गई तथा इन्हें तकनीकी व आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाया गया। लोगों द्वारा दिखाई जा रही निरंतर रूचि ने अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने जल संसाधन विकास के लिए अगस्त 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के दो घटक हैं, नामतः (i) प्रायद्वीपीय नदी विकास तथा (ii) हिमालय नदी विकास।

1.1 रा.ज.वि.अ. की स्थापना तथा इसके कार्य

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक की जोड़ नहरों की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा सिंचाई मंत्रालय अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन जुलाई, 1982 में एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में की गई। रा.ज.वि.अ. भारत सरकार द्वारा पूर्ण निधियन पोषित है। बाद में, 1990 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालय घटक से संबंधित अध्ययन भी रा. ज.वि.अ. को सौंप दिये गये। तत्पश्चात् 2006 में नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टे तैयार करने का कार्य तथा राज्यों द्वारा यथाप्रस्तावित अंतः राज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता/संभाव्यता रिपोर्टे तैयार करने का कार्य भी रा.ज.वि.अ. के कार्यों में शामिल किया गया। तदनुसार जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 30.11.2006 के संकल्प द्वारा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के कार्यों में संशोधन किया गया। जल संसाधन मंत्रालय के दिनांक 19.05.2011 के संकल्प द्वारा अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का

कार्य भी रा.ज.वि.अ. को सौंपने के लिए रा.ज.वि.अ. के कार्यों में पुनः संशोधन किया गया। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन की योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने तथा उधार निधि के भण्डार के रूप में कार्य करने और परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बैंकों/अन्य संस्थाओं से ऋण देने के लिए हाल ही में 7 अक्टूबर, 2016 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा रा.ज.वि.अ. के कार्यों में आगे आशोधन किया गया है।

समय–समय पर संशोधित रा.ज.वि.अ. के कार्य निम्नानुसार हैं:–

क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास (1981)* और हिमालय नदी विकास (1994)* घटकों के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभव जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों (1981)* तथा हिमालयी नदी प्रणालियों (1994)* में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकता है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास (1981)* एवं हिमालय नदी विकास (1994)* से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

घ) संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (2006)* तैयार करना।

ङ) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट(2006)*/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (2011)* तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

च) नदियों को जोड़ने का एक भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना। (2016)*

छ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है। (2016)*

ज) उपर्युक्त उद्देश्यों (1981)* को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

* गजट अधिसूचना का वर्ष

अध्याय–2

मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

2.1 मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष स्तर के महानिदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों जिनमें तकनीकी, विधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की सहायता के लिए–मुख्य अभियंता (मुख्या.), निदेशक (तक.), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशा.), निदेशक (एम.डी.यू.) एवं दो अधीक्षक अभियंता हैं। रा.ज.वि.अ. के दो क्षेत्रीय संगठन (उत्तर एवं दक्षिण) हैं, प्रत्येक का प्रमुख मुख्य अभियंता हैं। दिनांक 31.03.2017 को उत्तरी संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल, 7 प्रभाग हैं तथा 1 सर्किल तथा 2 प्रभाग मुख्य अभियंता (मुख्या.) के अधीन हैं। दक्षिणी संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल 7 प्रभाग तथा 2 उप–प्रभाग हैं।

31.03.2017 को रा.ज.वि.अ. के अधीक्षक अभियंता स्तर तक का संगठनात्मक ढ़ांचा नीचे दिया गया है।

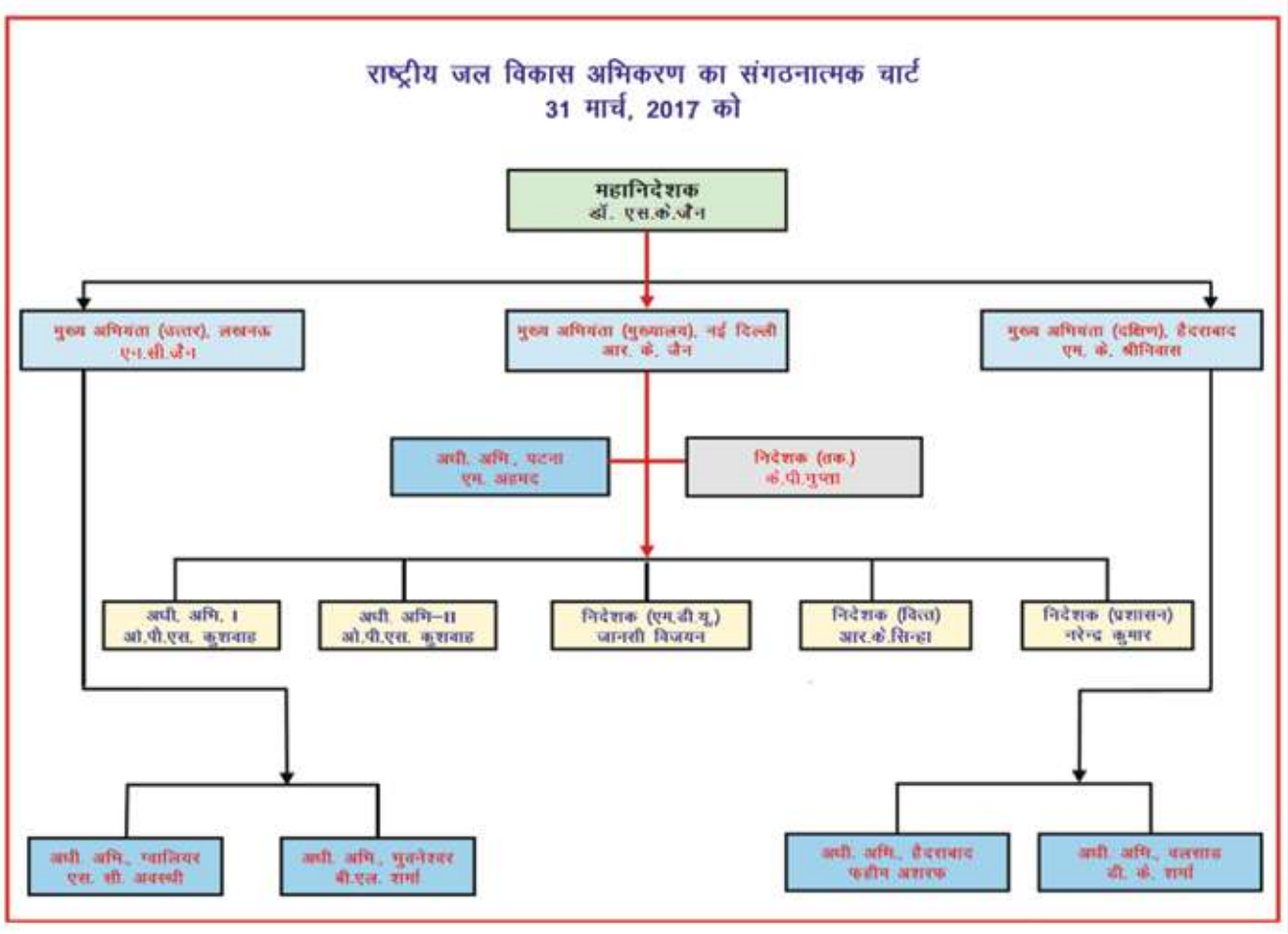

रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों की स्थिति को दर्शाता हुआ मानचित्र।

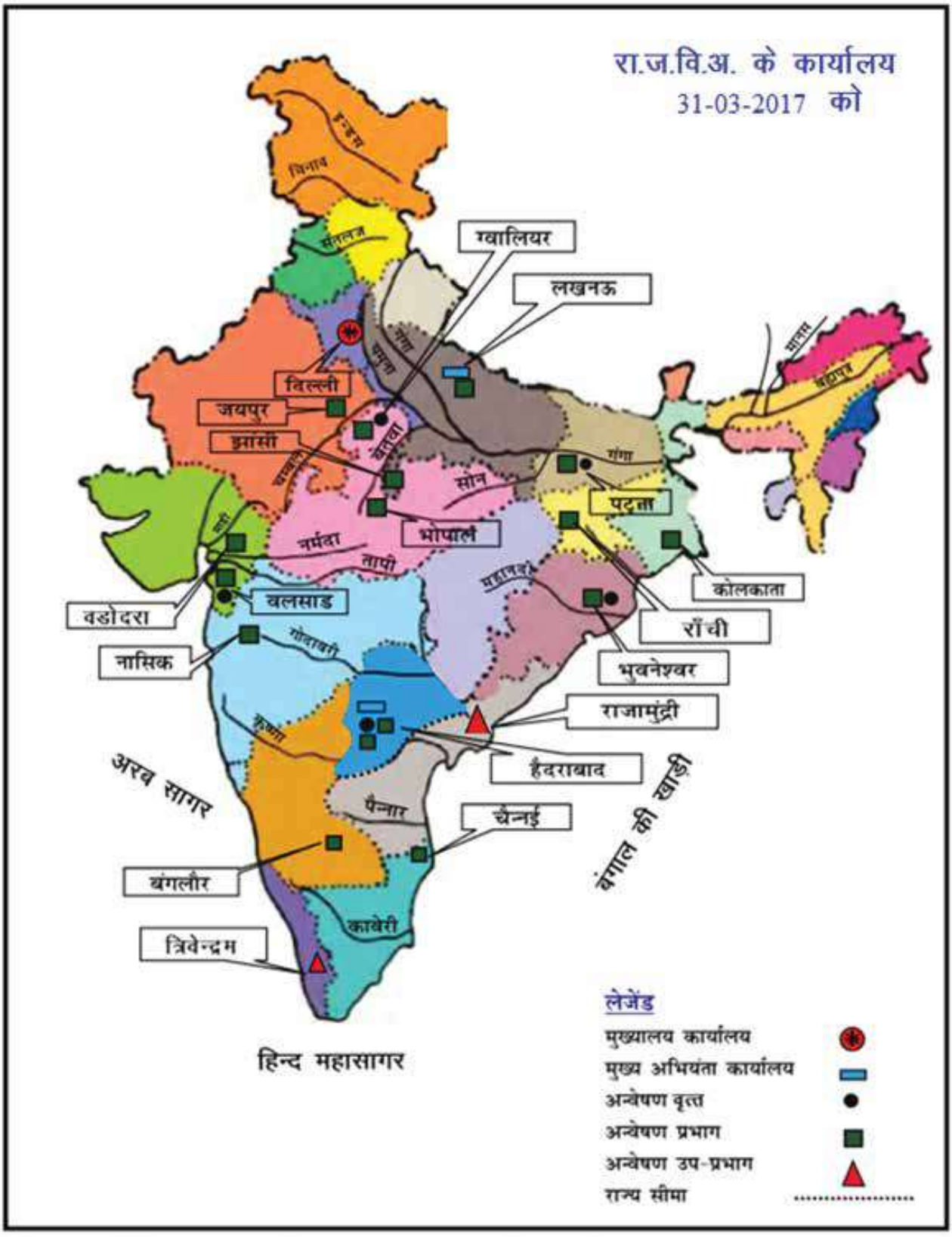

2.2 कर्मचारी संख्या

31 मार्च 2017 को रा.ज.वि.अ. में मौजूद मंजूर कर्मचारी संख्या 493 (एस.आई.यू. के अनुसार) है। वास्तव में 483 पद भरे हुए हैं । रा.ज.वि.अ. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, सेना के पूर्व कर्मचारियों, शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग को सरकारी सेवाओं में नियमित आरक्षण व अन्य लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों तथा निर्देशों का सम्यक पालन कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. में विभिन्न ग्रेड एवं श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा सात कर्मचारियों की भर्ती की गई।

31 मार्च 2017 को रा.ज.वि.अ. में अनु.जाति/अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/सामान्य श्रेणीवार कर्मचारियों की वास्तविक संख्या निम्नानुसार है:

31.03.2017 को रा.ज.वि.अ. के कर्मियों की संख्या (श्रेणीवार)

श्रेणी	*स्वीकृत (एस.आई.यू. के अनुसार)	अ. जाति	अ.जन. जाति	अ.पिछड़ा वर्ग	शा. विकलांग	भू. सैनिक	सामान्य	कुल	*रिक्त (एस.आई.यू. के अनुसार)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
समूह–क	59	06	–	–	–	–	45	51	8
समूह–ख	142	23	06	16	01	–	98	143	–1
समूह–ग	292	62	21	12	07	02	194	289	3
कुल	**493**	**91**	**27**	**28**	**08**	**02**	**337**	**483**	**10**

*कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू) की संस्तुतियों के अनुसार

टिप्परणी : कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू) की संस्तुति के अनुसार घोषित अधिशेष पदों को भविष्य में समायोजित/सेवानिवृत्ति किया जाएगा।

2.3 रा.ज.वि.अ. सोसाइटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संगठन का शीर्ष निकाय है तथा अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जा रही इसकी प्रगति तथा उसके कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देशन, जिन्हें सोसाइटी उचित समझे, देने के लिए सोसाइटी की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष इसके कार्य संचालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो सोसाइटी द्वारा उन्हें दी जाती हैं। इसके साथ–साथ समय–समय पर सोसाइटी के कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा करने तथा सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियां और आयोग नियुक्त करने अथवा सोसाइटी की कार्य स्थिति के विषय में जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने और ऐसे आदेश, जिन्हें वे उचित समझें, देने का अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त है।

रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31.03.2017 तक सोसाइटी की 5 विशेष सामान्य बैठकें तथा 30 वार्षिक सामान्य बैठकें हो चुकी हैं। दिनांक 22.06.2016 को आयोजित पांचवीं विशेष सामान्य बैठक में रा.ज.वि.अ. के कार्यों के संशोधनों की राजपत्र अधिसूचना 07 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यगण

(ज.सं.मं.पत्र सं. 2/9/2002–बी.एम./140 दिनांक 07.10.1016)

1.	केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केंद्रीय जल संसाधन नदी, विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष
3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल राज्यों तथा पुडुचेरी संघ शासित राज्य् के, मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो	सदस्य
8.	ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो	सदस्य
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
10.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो	सदस्य
11.	नीति आयोग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
16.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
17.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
19.	महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग	सदस्य
21.	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

(31.3.2017 को कुल सदस्य..... 63)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की पांचवीं (5वीं) विशेष सामान्य बैठक दिनांक 22 जून 2016 को नई दिल्ली में माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, सुश्री उमा भारती की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

बैठक में श्री सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, श्री मैथ्यू टी थामस, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री टी. हरीश राव, माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग, तेलंगाना सरकार, श्री देवीनेनी उमा माहेश्वर राव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, श्री बाबू भाई बोखिरिया, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्यों में नए कार्य यथा (1) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत नदियों के अंतर्योजन योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ करने एवं जल संसाधन परियोजनाओं को पूरा करने तथा (2) परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए बैंकों/अन्य संस्थाओं से उधार निधि के भण्डार के रूप में कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की पांचवीं विशेष सामान्य बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय पीएमकेएसवाई–एआईबीपी के अंतर्गत 99 जल संसाधन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त संशोधन इसके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। सोसाइटी के सदस्यों से उनके विचार जाने गए तथा उन पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद रा. ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़े गए कार्यों को अनुमोदित किया गया।

(सुश्री उमा भारती, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की पांचवीं विशेष सामान्य बैठक की अध्यक्षता करती हुई। उनकी बाईं ओर हैं श्री सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। उनकी दायीं ओर हैं डॉ अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक रा.ज.वि.अ.)

सुश्री उमा भारती, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, की अध्यक्षता में दिनांक 22 जून 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में रा.ज. वि.अ. सोसाइटी की तीसवीं (30वीं) वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्री सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, श्री मैथ्यू टी थामस, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, श्री गिरीश महाजन, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री टी, हरीश राव, माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग, तेलंगाना सरकार, श्री देवीनेनी उमा माहेश्वर राव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, श्री बाबू भाई बोखिरिया, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) ने कहा कि देश में जल और खाद्यान सुरक्षा को बढाने के लिए नदियों का अंतर्योजन बहुत महत्वपपूर्ण है तथा जल कमी वाले क्षेत्रों, सूखा संभावित क्षेत्रों और वर्षा पोषित खेती को पानी उपलब्ध कराने में यह बहुत सहायक होगा। उन्होंने कहा कि केन–बेतवा लिंक परियोजना चरण–। के संबंध में पर्यावरण, वन्य जीव, एवं वन से संबंधित विभिन्न मंजूरियॉ प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं। उन्होंने आगे कहा कि 10 मई 2016 को माननीय राज्य मंत्री (स्वंतंत्र प्रभार), वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एनबीडब्ल्युएल) की स्थाई समिति की 38वीं बैठक में परियोजना की वन्यजीव मंजूरी को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) ने नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी सदस्यों विशेषकर राज्य सरकारों से सहयोग और सहायता मांगी। सोसाइटी के सदस्यों के समक्ष कार्यों को रखा गया और उन्होंने प्रगति और उपलब्धियों पर संतुष्टि व्यक्त की।

सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की तीसवीं विशेष सामान्य बैठक की अध्यक्षता करती हुईं। उनकी बाईं ओर हैं श्री सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.)। उनकी दायीं ओर हैं डॉ. अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.), तथा श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.।

2.4 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख–रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन–पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति–निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

शासी निकाय के सदस्यों की सूची निम्नानुसार हैः

रा.ज.वि.अ.के शासी निकाय के सदस्यगण

(ज.सं.मं. संकल्प सं. 2/9/2002-बी.एम./140 दिनांक 7.10.2016)

1.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि तथा कृषक कल्यण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, नीति आयोग अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
12.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम	सदस्य

19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार	सदस्य
20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़	सदस्य
21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात	सदस्य
22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड	सदस्य
33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तरप्रदेश	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुडुचेरी	सदस्य
36.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य

(31.3.2017 को कुल सदस्य – 37)

रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31 मार्च, 2017 तक रा. ज.वि.अ. के शासी निकाय की 64 बैठकें हो चुकी हैं। रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 63वीं बैठक 13 जून, 2016 को नई दिल्ली में श्री शशि शेखर, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई। नए कार्यों को शामिल करने के लिए शासी निकाय ने रा.ज.वि.अ. के एसोसिएशन के ज्ञापन में आशोधनों पर विचार किया तथा उन्हें अनुमोदित किया।

(श्री शशि शेखर, सचिव (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.), रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 63वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनके बायीं ओर हैं डॉ अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.), तथा श्री घनश्याम झा, अध्य.क्ष, केंद्रीय जल आयोग और उनके दायी ओर हैं श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक रा.ज.वि.अ. और डॉ बी राजेंद्र, संयुक्त सचिव (पी पी), ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.)

डॉ अमरजीत सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 27 मार्च 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की चौसठवीं (64वीं) बैठक हुई। सचिव (ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.) एवं रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने वाले सभी भागीदारों और सदस्यों का स्वाागत किया। शासी निकाय ने रा.ज.वि.अ. द्वारा आरंभ किए गए कार्यों पर चर्चा की तथा प्रगति और उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

(डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव (ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.) रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की चौसठवीं (64वीं) बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनके दायीं ओर हैं श्री एस मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और श्री नरेंद्र कुमार, सदस्य (डी आर), कें.ज.आ.)

2.5 तकनीकी सलाहकार समिति

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किये गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की परीक्षा एवं जांच करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स) का गठन किया है। अभी तक रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की 42 बैठकें हो चुकी हैं। रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 23 मई, 2016 को नई दिल्ली में हुई।

संदर्भ की शर्तों के साथ–साथ रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची तथा विशिष्ट आमंत्रितों की सूची निम्नानुसार है:

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

(रा.ज.वि.अ.पत्र सं. रा.ज.वि.अ./112/5/तक.–1/2005/खंड/xxxvii/4639–85 दिनांक 4.5.2006)

1.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
3.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	सदस्य (एच.ई.), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई.ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड, फरीदाबाद	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य

10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य–सचिव
13.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
14.	मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार।	विशेष आमंत्रित
15.	प्रमुख अभियंता (अंतर्राज्यीय व जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
16.	मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	विशेष आमंत्रित
17.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	विशेष आमंत्रित
18.	मुख्य अभियंता, अंतर्राज्यीय जल, केरल सरकार	विशेष आमंत्रित
19.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभि कल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार।	विशेष आमंत्रित
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार।	विशेष आमंत्रित
21.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार	विशेष आमंत्रित
22.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार।	विशेष आमंत्रित
23.	मुख्य अभियंता (ज.सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार ।	विशेष आमंत्रित
24.	मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार।	विशेष आमंत्रित
25.	मुख्य अभियंता, पी.पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।	विशेष आमंत्रित
26.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार।	विशेष आमंत्रित
27.	मुख्य अभियंता (पी.एंड ड़ी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम	विशेष आमंत्रित
28.	मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।	विशेष आमंत्रित
30.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार।	विशेष आमंत्रित
31.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार।	विशेष आमंत्रित
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार।	विशेष आमंत्रित

(31.03.2017 को कुल सदस्य –12)

(31.03.2017 को कुल विशेष आमंत्रित–20)

संदर्भ की शर्तें

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।
3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।
4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना ।
5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना ।

दिनांक 23 मई 2016 को आयोजित तकनीकी सलाहकार समिति की 42वीं बैठक में प्राथमिक जल संतुलन अध्ययन (रा.ज.वि.अ. के त.स.स. की संस्तुतियों के आधार पर) के दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई।

रा.ज.वि.अ. के त.स.स. की विभिन्न बैठकों में उपलब्ध कराए गए दिशानिर्देशों पर मुख्य अभियंता (मु.) रा. ज.वि.अ. ने एक प्रस्तुतिकरण दिया। प्रस्तुतिकरण के बाद अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग एवं अध्यक्ष तकनीकी सलाहकार समिति ने सभी सदस्यों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से उनके विचार मांगे। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ, हरियाणा, उत्तंर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्यं प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इन दिशानिर्देशों पर सहमति व्यक्त की तथा कोई टिप्पणी नहीं की। ब्रहमपुत्र बोर्ड तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के प्रतिनिधियों ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। तथापि, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात तथा पंजाब के प्रतिनिधियों ने अपनी उन्हीं टिप्पणियों को दोहराया जो उन्होंने पहले भेजी थीं या बैठकों में प्रस्तुत किया था। बैठक में इन टिप्पणियों पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग तथा अध्यक्ष, तकनीकी सलाहकार समिति ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पंजाब राज्य सरकारों की टिप्पणियों पर विचार करते हुए कहा कि ये राज्य अधिकतर दिशानिर्देशों के साथ सहमत हैं।

तकनीकी सलाहकार समिति ने सभी सदस्यों के विचार/सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा रा. ज.वि.अ. की त.स.स. द्वारा पूर्व में विभिन्न बैठकों में दिए गए दिशानिर्देशों पर विचार–विमर्श किया तथा समीक्षा की। विचार–विमर्श के आधार पर त.स.स. द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराए गए दिशार्निदेशों में आशोधन किया गया।

इन आशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर प्राथमिक जल संतुलन अध्ययन तैयार करने के लिए दिशार्निदेश तैयार कर लिए गए हैं।

(श्री घनश्याम झा, अध्यक्ष, कें.ज.आ. रा.ज.वि. अ. की त.स.स. की 42वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनकी दायीं ओर हैं श्री एस. मसूद हुसैन महानिदेशक रा.ज.वि.अ. तथा श्री आर.के. जैन मु.अ.(मु.), रा.ज.वि. अ.)

अध्याय–3

नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति (एस.सी–आई.एल.आर.) तथा नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल

3.1 नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512 वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668 वर्ष 2002 के मामले पर अपने दिनांक 27.02.2012 के निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया ।

दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 23.09.2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा माननीय मंत्री, ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं. की अध्यक्षता में "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। मंत्रिमंडल की दिनांक 15.11.2016 को आयोजित बैठक में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2002 की समादेश याचिका : नदियों की नैटवर्किंग के साथ 2002 की समादेश याचिका संख्या सं. 668 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में गठित ''नदी जोड़ पर विशेष समिति'' के गठन की समीक्षा की ।

वर्ष 2016–17 के दौरान नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की चार बैठकें हुईं। सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की नौवीं बैठक हुई।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि श्री बी एन नवलावाला, मुख्य परामर्शदाता, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा अध्यक्ष, नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल एवं प्रणाली अध्ययन पर उप समिति, नदियों के अंतर्योजन के लिए 'अधिशेष जल' के मुददे पर विचार करेंगे तथा दो माह के भीतर नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति को अपनी संस्तुतियां सौंपेगे। मुख्य परामर्शदाता ने बैठक में कहा चूंकि वर्तमान दिशानिर्देश तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किसी विशिष्ट परिस्थिति/कठिनाई के संदर्भ में किए गए गहन विमर्श के निष्कर्ष के रूप में तैयार हुए हैं और उन पर कभी भी पूरी तरह से (होलिस्टिक) ध्यान में रखकर विचार नहीं किया गया है और कार्य बल की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति वर्तमान दिशानिर्देशों की पुनः जांच करे। माननीय मंत्री, (ज.सं, न. वि. एवं गं. स.) ने इच्छा व्यक्त की कि कार्य बल की बैठक में वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया जा सकता है ताकि वन एवं पर्यावरण से संबंधित मुददों को अच्छी तरह समझा जा सके और उनका हल निकाला जा सके और इससे वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी आसानी से और जल्दी मिल सकती है।

(नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की नौवीं बैठक की अध्यक्षता करती हुई सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण। उनकी बायीं ओर हैं श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण)। उनकी दायीं ओर हैं श्री शशि शेखर, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण), डॉ. अमरजीत सिंह, विशेष सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण), श्री एस.मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और श्री जी.एस. झा, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग)

सुश्री उमा भारती, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में 26 जुलाई 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की दसवीं बैठक हुई । श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री विजय शिवतरे, माननीय जल संसाधन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, श्री विद्या सागर राव, सलाहकार, तेलंगाना सरकार तथा केंद्र सरकार और राज्यं सरकार के विभिन्नं संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उप समिति 1 एवं 2 का कार्यकाल 12 अगस्त 2016 के बाद अगले छः माह के लिए बढा दिया जाए। माननीय मंत्री, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने निदेश दिया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय रा.ज.वि.अ. के ढांचे के पुनर्गठन कार्य को तेजी से आगे बढ़ाए। मंत्रालय में रा.ज.वि.अ. के ढांचे के पुनर्गठन पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) रा.ज.वि.अ. नदियों के अंतर्योजन की दसवीं विशेष सामान्य बैठक की अध्यक्षता करती हुई। उनकी बाईं ओर हैं श्री बी. एन. नवलावाला मुख्य सलाहकार, ज. सं. न. एवं गं. सं, उनकी दायीं ओर हैं डॉ. अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.), तथा श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.।)

नदियों को जोड़ने की विशेष समिति की ग्यारहवीं बैठक श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा राज्य मंत्री, युवा एवं खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 9 नवंबर, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में श्री नरोत्तम मिश्रा, माननीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री एस वेणुगोपालचारी, विशेष प्रतिनिधि, तेलंगाना मंत्रिमंडल, तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में रा.ज.वि.अ. के ढांचे के पुनर्गठन पर उप समिति के अध्यक्ष, श्री एम. गोपालकृष्णन ने बताया कि रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया कार्य बहुत अधिक था, जब तक एनडब्ल्यूडीए का पुनर्गठन तुरंत नहीं किया जाता, यह संगठन वांछित ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाएगा। बैठक का समापन करते समय, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा राज्य मंत्री, युवा एवं खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) ने बताया कि नदियों का अंतर्योजन कार्यक्रम बहुत महत्व पूर्ण है तथा राष्ट्रीय हित में है। इस कार्यक्रम को मतैक्यता के आधार पर आगे बढाया जाएगा तथा राज्यों पर इसे थोपा नहीं जाएगा।

(श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की ग्यारहवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनकी बायीं ओर हैं श्री नरोत्तम मिश्रा, माननीय जल संसाधन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार और दायीं ओर डॉ. अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.)।

नदियों को जोड़ने की विशेष समिति की बारहवीं बैठक श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा राज्य मंत्री, युवा एवं खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 08 मार्च 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/विशेष आमंत्रितों और प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में केन–बेतवा लिंक चरण–1 एवं 2, दमनगंगा–पिंजाल लिंक, पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजनाओं की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया।

(श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की बारहवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनकी बायीं ओर हैं श्री रामचंद्रू तेजावथ, विशेष प्रतिनिधि, तेलंगाना सरकार। दाईं ओर हैं डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) एवं श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.)

नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति ने 4 विशेष उप समितियों का गठन किया है नामतः (i) विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्ट के समेकित मूल्याकंन के लिए उप समिति (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति (iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के ढांचे के पुनगर्ठन के लिए उप समिति (iv) संबंधित राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा अनुबंध द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने पर उप–समिति। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा क्रम संख्या (i) से क्रम संख्या (iii) तक की तीन उप–समितियों का गठन किया गया। ज. सं., न. वि. एवं गं. सं. मंत्रालय द्वारा जून, 2002 में क्रम संख्या (iv) की उप–समिति का गठन किया जो रा.ज.वि.अ. के अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों पर राज्यों के बीच मतैक्यता स्थापित करेगी को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.01.2016 के पत्र द्वारा नाम बदल कर संबंधित राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा अनुबंध द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने की उप–समिति कर दिया गया ।

दिनांक 26.07.2016 को विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के समेकित मूल्यांकन के लिए उप समिति (उप समिति–I) की सातवीं बैठक हुई ।

सबसे उपयुक्त (वैकल्पिक योजना को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति (उप समिति–II) की 8वीं बैठक 13.05.2016, 9वीं 30.08.2016 और 10वीं

बैठक 03.03.2017 को आयोजित हुई। महानदी–गोदावरी लिंक के बहु जलाशयी अनुरूपण अध्ययन सहित आशोधित अध्ययन पर विचार किया गया तथा 10वीं बैठक में सुझाए गए कुछ सुधारों के साथ इसे स्वीकार कर लिया गया।

रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे के पुनर्गठन की समिति की 7 बैठकें हुई तथा दिनांक 21.09.2015 को इसने अपनी रिपोर्ट माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा अध्यक्ष, विशेष समिति को सौंप दी ।

दिनांक 30 मई, 2016 को माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के समक्ष रा. ज.वि.अ. के ढ़ांचे के पुनर्गठन पर एक प्रस्तुनतीकरण दिया गया। दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को भी एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इच्छा व्यक्त की कि अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता में यथासंभव कमी लाने की दृष्टि से पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में मतैक्यता उप समिति की दो बैठकें दिनांक 17.04.2015 तथा 30.10. 2015 को हो चुकी हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नेत्रावती–हेमावती तथा बेदती–वरदा लिंक से संबंधित मुद्दे तथा सांख–दक्षिणी कुइल, दक्षिणी कुइल–सुबर्णरेखा और बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सांख–दक्षिणी कुइल तथा दक्षिणी–कुइल–सुबर्णरेखा लिंक के संगत पहलुओं को देखने के लिए महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. के अधीन एक समूह का गठन किया गया है। इस समूह की पहली बैठक दिनांक 29.09.2015 को हुई।

3.2 नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल

24 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति के गठन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निदेश दिया था कि नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुदेशों के अनुपालन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन पर एक कार्यबल का गठन किया। कार्यबल का कार्यकाल 2 वर्षों या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक होगा। यह कार्यबल नदियों के अंतर्योजन के क्रियान्वयन के संबंध में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सहायता करेगा। वर्ष 2016–17 के दौरान कार्यबल की चार बैठकें हुईं ।

दिनांक 28.04.2016 को हुई तीसरी बैठक में नदी जोड़ परियोजना के लिए जल संतुलन निश्चित करने के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया गया। कार्यबल की दिनांक 15. 06.2016, 25.10.2016 और 13.02.2017 को हुई क्रमशः चौथी, पांचवी और छठी बैठकों में जल संतुलन अध्ययन तैयार करने के मार्गनिर्देशों पर विचार–विमर्श किया।

अध्याय– 4

तकनीकी गतिविधियां

4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना

समय–समय पर अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड के सुझाव आते रहे हैं। पूर्व में सातवें दशक में जिन दो प्रस्तावों ने पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया वे हैं– डॉ. के.एल.राव के राष्ट्रीय जल ग्रिड तथा कैप्टन दस्तूर का नहर माल प्रस्ताव। चूंकि ये प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाए गए इसलिए इन प्रस्तावों पर सरकार ने आगे विचार नहीं किया।

युक्तिगत/संगठनात्मक स्तर पर दिखाई जा रही निरंतर रूचि के परिणामस्वरूप अंतर–बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों के अध्ययन को बल मिला। तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने जल संसाधनों के विकास के लिए अगस्त 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक शामिल है नामतः (i) प्रायद्वीपीय नदी विकास तथा (ii) हिमालय नदी विकास ।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन से सतही जल द्वारा 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भू जल के बढ़े हुए उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई जिससे ईष्टतम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगी तथा 34 मिलियन किलोवाट ऊर्जा उत्पादन जैसे लाभों के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्यपालन, लवणता तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे आनुषांगिक लाभ होंगे।

4.2 अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक

आरंभ में रा.ज.वि.अ. को जल संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन सौंपे गए थे। तदनंतर 1990–91 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन के कार्य भी सौंपे गए। वर्ष 2006–07 में राज्यों से सहमति के बाद लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। तदनुसार, रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2006–07 में केन–बेतवा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य आरंभ किया जिसे 31.12.2008 को पूरा किया गया। केन–बेतवा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आगे चरण–I एवं II में बांटा है। केन–बेतवा चरण–I में दौधन बांध तथा इसके संगत कार्य, सुरंग, ऊर्जाघर तथा लिंक नहर शामिल है इसे 2010 में पूरा किया गया। वर्ष 2013–14 में रा.ज.वि.अ. ने केन–बेतवा चरण–II तथा दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली। पार–तापी–नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 2015–16 में पूरा किया गया।

राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की संभाव्यता रिपोर्ट/पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 2006–07 में रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। तत्पश्चात् अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भी वर्ष 2011 में रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। वर्ष के दौरान बिहार राज्य की दो लिंकों बूढ़ीगंडक–नून–बया–गंगा एवं कोसी–मेची की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य की वेनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूरना तापी) लिंक तथा तमिलनाडु की पोनय्यार–पालार लिंक तथा ओडिशा की वम्सधारा–रूषिकुल्या तथा झारखंड की बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। रा.ज. वि.अ. ने 31 मार्च 2017 तक राज्यों द्वारा प्रस्तावित 36 अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें तैयार कर ली है।

4.3 रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्ण किये गये प्राथमिक अध्ययन

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय तथा हिमालय घटक के अधीन रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरे किए गए प्राथमिक अध्ययन तालिका–1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका-1
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अधीन रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्ण किये गये प्राथमिक अध्ययन

क्र. सं.	अध्ययन का नाम	प्रायद्वीपीय घटक	हिमालय घटक	पूर्ण किए गए कुल प्रारम्भिक अध्ययन
1	2	3	4	5
i)	जल संतुलन अध्ययन			
	–बेसिन/उप –बेसिन	137	–	137
	–पंथातरण स्थल तक	52	19	71
	कुल	**189**	**19**	**208**
ii)	स्थलाकृति अध्ययन			
	–जलाशय भंडारण स्थल	58	16	74
	–लिंक संरेखण	18	19	37
	कुल	**76**	**35**	**111**
iii)	स्थलों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट जिनमें एक अतिरिक्त तथा एक वैकल्पिक अध्ययन शामिल है	18	14	32

4.4 रा.ज.वि.अ. द्वारा किये जा रहे जल अंतरण लिंक

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अभिज्ञात जल अंतरण लिंकः

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटकः

1. महानदी (मणिभद्रा)–गोदावरी (दौलेश्वरम)
2. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा)
3. गोदावरी (इंचमपल्ली)–कृष्णा (पुलिचिंतला)
4. गोदावरी (इंचमपल्ली)– कृष्णा (नागार्जुनसागर)
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर)–पेन्नार (सोमासिला)
6. कृष्णा (श्रीसेलम)– पेन्नार
7. कृष्णा (अलमट्टी)– पेन्नार
8. पेन्नार (सोमासिला)–कावेरी (ग्रांड अनीकट)
9. कावेरी (कट्टालई)– वैगाई –गुण्डार
10. पार्बती–कालीसिंध–चम्बल
11. दमनगंगा–पिंजाल
12. पार–तापी–नर्मदा
13. केन–बेतवा
14. पम्बा–अच्चनकोविल–वैप्पार
15. नेत्रावती–हेमावती
16. बेदती–वरदा

हिमालय नदी विकास घटक

1. मानस–संकोष–तिस्ता–गंगा (एम.एस.टी.जी.)
2. कोसी–घाघरा
3. गंडक –गंगा
4. घाघरा–यमुना
5. शारदा–यमुना
6. यमुना–राजस्थान
7. राजस्थान–साबरमती
8. चुनार–सोन बैराज
9. सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां
10. गंगा (फरक्का)–दामोदर–सुबर्णरेखा
11. सुबर्णरेखा–महानदी
12. कोसी–मेची

13. फरक्का–सुन्दरबन का विकल्प)

14. जोगीघोपा–तिस्ता–फरक्का (एम.एस.टी.जी. अध्ययन किये जा रहे विभिन्न प्रस्तावित अंतरबेसिन जल अंतरण लिंकों को दर्शाने वाला मानचित्र निम्नानुसार हैः–

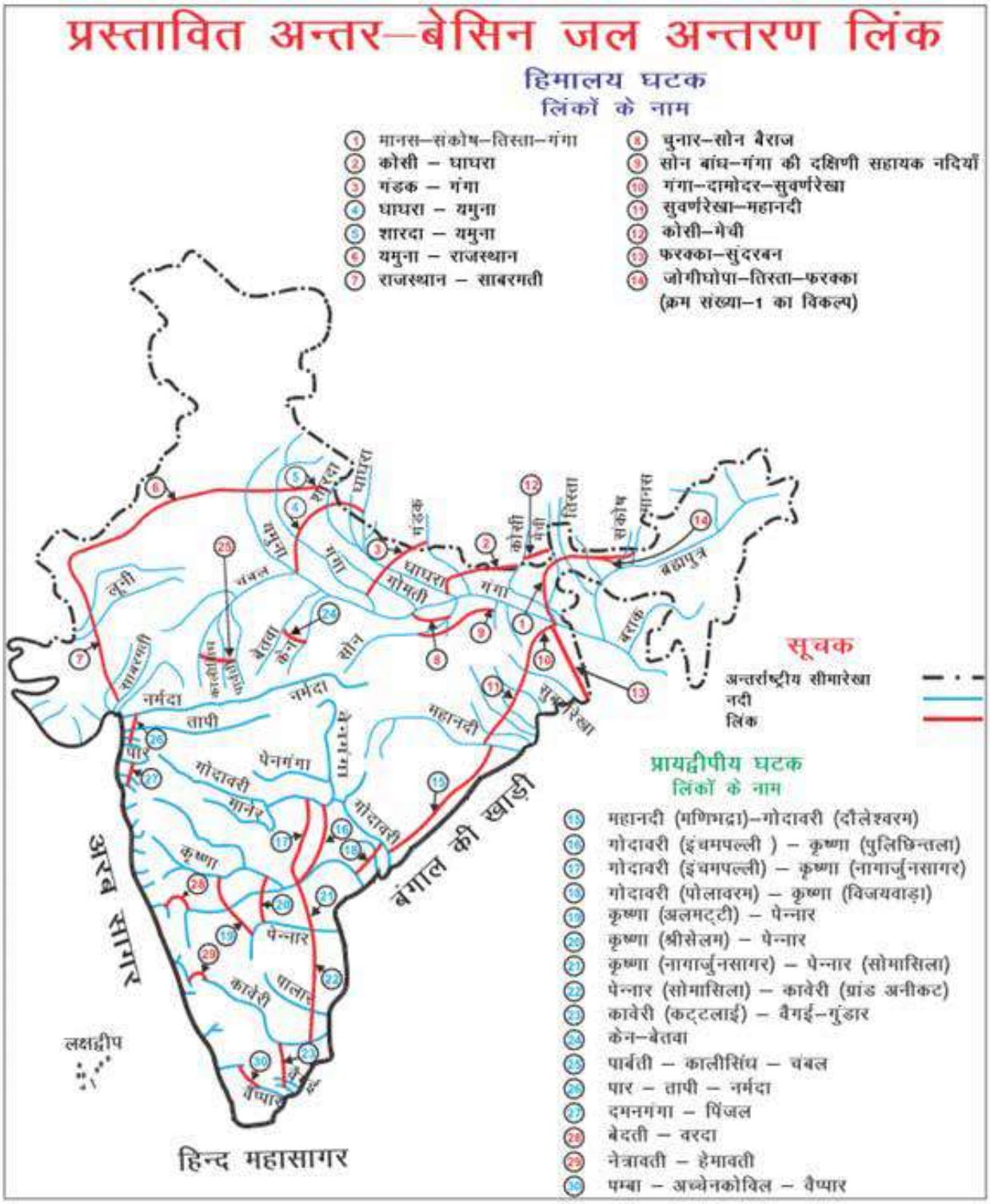

4.4.1 प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अभिज्ञात 16 लिंकों में से दो लघु लिंक नामतः बेदती–वरदा तथा नेत्रावती–हेमावती, जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, के अलावा सभी लिंकों की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

(i) बेदती-वरदा लिंक

कर्नाटक सरकार ने संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमति दे दी, किन्तु स्थानीय गैर सरकारी संगठन के विरोध के कारण कार्य रूक गया है, जिसकी मांग है कि सर्वेक्षण और अन्वेषण से पहले कर्नाटक सरकार उनके द्वारा तैयार संदर्भ की शर्तों पर संबंधित क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करे। दिनांक 27 जनवरी, 2016 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 62वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार संदर्भ की शर्तों के अनुसार बेदती–वरदा लिंक की इ.आई.ए. अध्ययनों को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक सरकार ने परामर्शदाता को सौप दिया है।

(ii) नेत्रावती-हेमावती लिंक

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी तक कर्नाटक सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने की सहमति के लिए रा.ज.वि.अ. कर्नाटक सरकार से बराबर संपर्क में है। दिनांक 27 जनवरी, 2016 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 62वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण पर बल देते हुए, यतिनहोल परियोजना की डी.पी.आर. दिनांक 19.12.2015 के पत्र द्वारा रा.ज.वि.अ. को भेज दी गई है। रा.ज.वि.अ. द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई तथा 11.11.2016 को रा.ज.वि.अ. की टिप्पणियां भेज दी गई। यह पाया गया है कि दोनों प्रस्ताव (i) कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित यतिन होल परियोजना तथा (ii) रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तावित नेत्रावती–हेमावती लिंक जो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) का एक भाग है, की आयोजना की जा सकती है ।

(iii) महानदी- गोदावरी लिंक पीरयोजना के संशोधित प्रस्ताव की स्थिति

दिनांक 13.05.2016 को आयोजित प्रणाली अध्ययन पर उप समिति की 8वीं बैठक में हुए निर्णय के अनुसार अधिक उपयुक्त विकल्प योजना (एस सी नदी जोड. की उप समिति–II) अभिज्ञात करने के लिए एन.आई.एच. ने प्रस्तावित महानदी–गोदावरी लिंक के जलविज्ञानी अध्ययनों तथा बहु जलाशयी अनुरूपण की प्रारूप रिपोर्ट को संशोधित कर दिया है और जुलाई 2016 में रा.ज.वि.अ. को प्रस्तुत कर दी है। 30.08.2016 को आयोजित उप समिति–II की 9वीं बैठक में इस रिपोर्ट पर ओडिशा सरकार के विचारों पर विचार–विमर्श किया गया । बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और यह निर्णय लिया गया कि ओडिशा सरकार के विचारों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए एन.आई.एच., रूड़की अध्ययन में आगे आशोधन करेगा । एन.आई.एच. ने रिपोर्ट संशोधित/आशोधित कर दी है तथा रा.ज.वि.अ. को सौंप दी है। प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति ने 03 मार्च, 2017 को अपनी 10वीं बैठक में संशोधित रिपोर्ट पर विचार किया तथा बैठक में सुझाए गए कुछ सुधारों के साथ रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। उप समिति द्वारा अंतिम रूप देने के बाद रिपोर्ट विशेष समिति को सौंपी जाएगी।

प्रायद्वीपीय घटक के अधीन विभिन्न अध्ययनों की 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति निम्नानुसार है :

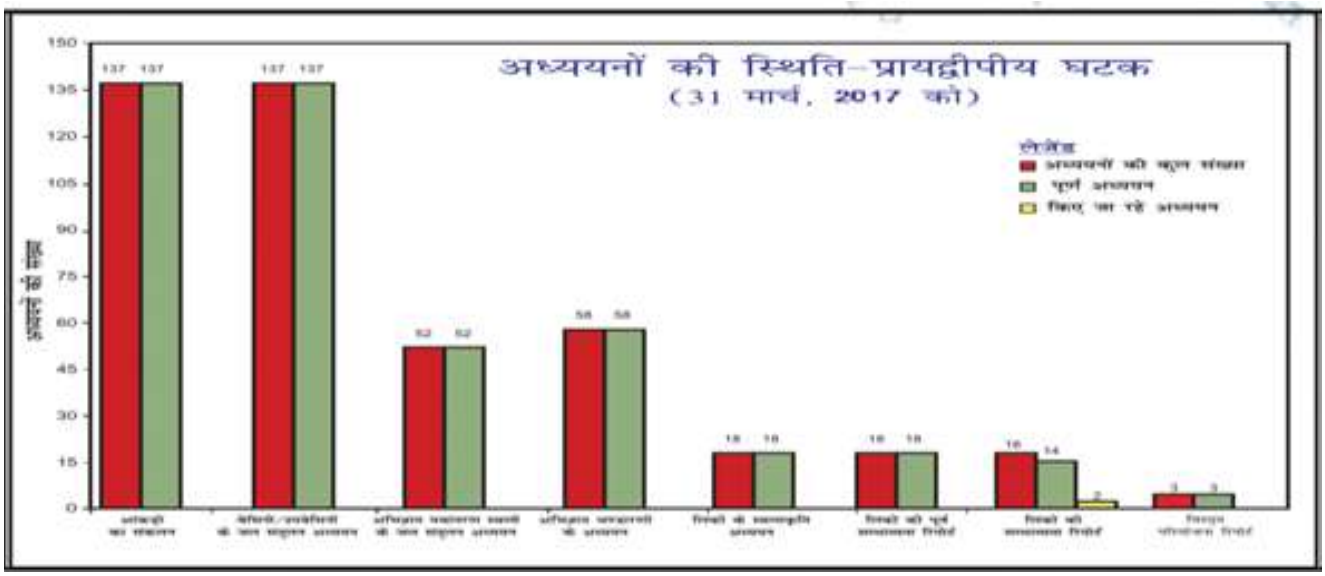

4.4.2 हिमालय घटक के अधीन अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंकों की संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने की वर्तमान स्थिति

अभिज्ञात 14 लिंकों में से रा.ज.वि.अ. ने दो लिंकों नामतः शारदा–यमुना एवं घाघरा–यमुना (भारतीय भाग) के संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं। चूंकि नेपाल की सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है अतः उन्हें परिचालित नहीं किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय भाग से संबंधित 7 लिंकों नामतः (i)यमुना–राजस्थान लिंक (ii) चुनार–सोन बैराज लिंक (iii) सुबर्णरेखा–महानदी लिंक (iv) गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा लिंक (v) फरक्का–सुन्दरबन लिंक (अप) राजस्थान–साबरमती लिंक तथा (vii) गंडक–गंगा लिंकों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण और प्रारूप संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है ।

भारतीय भाग में कोसी–घाघरा की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य भी पूरा कर लिया है। दिनांक 28.07.2015 को आयोजित नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 5वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार शारदा–यमुना लिंक और यमुना–राजस्थान लिंक परियोजना की संभाव्यता रिपोर्ट के प्रारूप की प्रतियां प्रधान सचिव (ज.सं.), राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार को दिनांक 01.09.2015 के पत्र द्वारा भेज दी है। पंचेश्वर बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने के बाद केंद्रीय जल आयोग/पंचेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा शारदा–यमुना लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। चूंकि संपूर्ण कोसी–मेची लिंक नेपाल की सीमा क्षेत्र में आती है तथा जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का बैराज, एम.एस.टी.जी. का विकल्प है इसलिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। वर्ष के दौरान एम.एस.टी.जी. लिंक का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा संभाव्यता प्रारूप रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां (एस.टी.जी.) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

सभी हिमालयी लिंक नेपाल तथा भूटान में ऊपरी लिंकों में संकल्पित भडारणों पर निर्भर हैं तथा इस कारण इनमें अंतराष्ट्रीय सीमाएं शामिल है। अतः इन लिकों की संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने की प्रगति इन लिंकों के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण आरंभ करने के लिए नेपाल तथा भूटान से तदनुरूपी समझौते होने पर निर्भर करती है।

31 मार्च, 2017 तक हिमालय घटक के अधीन विभिन्न अध्ययनों की स्थिति निम्नानुसार है :

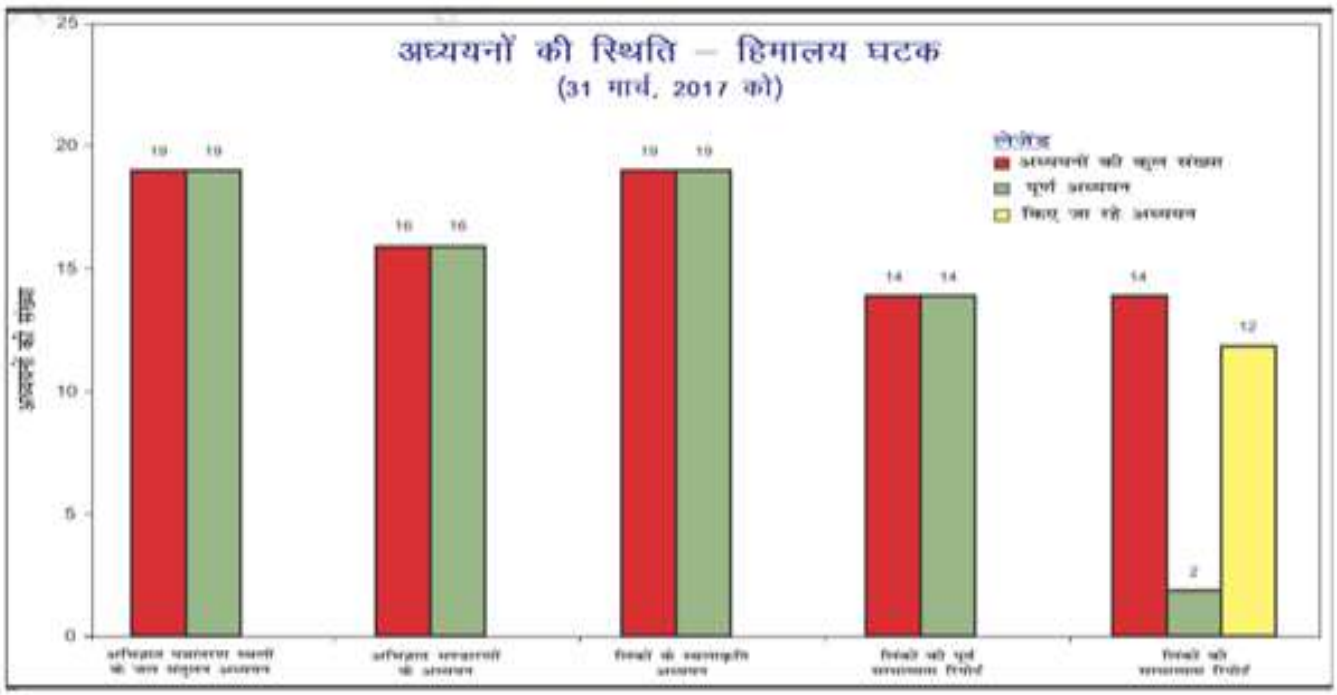

4.4.3 मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा (एम एस टी जी) लिंक

मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट 1996 में पूरी कर ली गई थी। मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक मानस तथा संकोष नदियों में उपलब्ध 43000 एम सी एम अधिशेष जल के व्यपर्वतन पर, जिससे फरक्का में गंगा के बहाव को बढ़ाने के लिए तथा एई, तोरसा, रैदाक तथा जलढका जैसी बीच की धाराओं से जल लेकर महानदी बेसिन में 13965 एम सी एम पानी का व्यपर्वतन आगे दक्षिण में जल की कमी वाले कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और गुंडार नदी बेसिनों में उपयोग के लिए (मार्गस्थ उपयोग के पश्चात) जल उपलब्ध कराने पर बल देता है। वास्तविक संरेखण के आधार पर मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी चूंकि मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक का संरेखण मानस टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व तथा अन्य वनों से होकर गुजरता है। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के दौरान कार्य में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए रा. ज.वि.अ. ने विभिन्न रिजर्व वनों को छोड़ते हुए लगभग 80 मीटर लिफ्ट सहित एक नया वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किया है। संशोधित संरेखण सहित एम एस टी जी लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है तथा पूरी होने के बाद इसे पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार सरकारों को उनके सुझाव /टिप्पणी प्राप्त करने के लिए सौंप दी जाएगी।

4.4.4 मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक परियोजना पर मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया

28 जुलाई 2015 को आयोजित प्रणाली अध्ययन की उपसमिति की 5वीं बैठक में अधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना के मूल्यांकन के लिए मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक परियोजना पर विचार विमर्श किया गया।

विशेष सचिव, ज. सं., न. वि. एवं गं. सं. मंत्रालय की अध्यक्षता में ज. सं. न. वि. एवं सं. मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा महानिदेशक रा.ज.वि.अ. तथा अन्य अधिकारियों के समूह ने मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ कोलकाता में दिनांक 17 अगस्त 2015 को संकोष–महानदी लिंक तंत्र पर विचार–विमर्श किया जिसमें चार लिंक शामिल हैं नामतः संकोष–तीस्ता (मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा लिंक का प्रथम चरण), गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा–महानदी तथा फरक्का–सुंदरबन लिंक परियोजना। प्रस्ताव में और सुधार करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से भी सुझाव तथा विचार देने का अनुरोध किया गया है।

माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) ने माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार से प्रस्तावित प्रस्ताव पर दिनांक 31.12.2015 के पत्र द्वारा सहयोग मांगा। माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल ने 12 अगस्त, 2016 के पत्र द्वारा कहा है कि प्रस्तावित परियोजना में राज्यों के प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं जिन पर राज्यों के साथ औपचारिक रूप से चर्चा नहीं की गई है, अतः वे परियोजना के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित प्राकृतिक संसाधनों तथा अन्य मुख्य आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों पर राज्य सरकार के परामर्श से संभाव्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विचार किया जाएगा।

अध्याय 5

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता प्राप्त लिंक

5.1 मतैक्यता के लिए किए गए प्रयास

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने निम्नलिखित लिंकों को अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में ''मतैक्यता समूह'' के द्वारा संबंधित राज्यों के मध्य मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त लिंक के रूप में अभिज्ञात किया :

1. केन–बेतवा लिंक
2. पार–तापी–नर्मदा लिंक
3. दमनगंगा–पिंजाल लिंक
4. पार्बती–कालीसिंध–चम्बल लिंक
5. गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक

जून, 2006 में अधिदेश प्राप्त होने तथा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता वाले मतैक्यता समूह द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने के प्रयासों के बाद संबंधित राज्यों की सहमति से रा.ज.वि.अ. ने सहमति प्राप्त लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) को तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया। रा.ज. वि.अ. ने केन–बेतवा लिंक परियोजना चरण–। और चरण–।।, दमनगंगा–पिंजाल (मार्च, 2014) लिंक तथा पार–तापी–नर्मदा (अगस्त, 2015) लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है। रा.ज.वि.अ. के प्रस्ताव पर मतैक्यता न होने के कारण पार्बती–कालीसिंध–चंबल लिंक की डी.पी.आर. आरंभ नहीं की जा सकी है तथापि मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी अंतःराज्यीय परियोजना आरंभ कर ली है।

गोदावरी (पोलावरम)–कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक परियोजना, जो आंध्रप्रदेश की पोलावरम परियोजना का भाग है, का क्रियान्वयन आंध्रप्रदेश सरकार लिंक घटक सहित अपनी योजनानुसार कर रही है। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2014 के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अब पोलावरम परियोजना प्राधिकरण का गठन कर दिया है।

समय–समय पर ओडिशा सरकार के साथ हुए विचार विमर्श के आधार पर रा.ज.वि.अ. ने कम से कम डूब तथा तुलनात्मक अधिक लाभों वाले महानदी–गोदावरी लिंक प्रस्ताव का विकल्प तैयार किया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में चार प्राथमिकता प्राप्त लिंक अभिज्ञात किए गए हैं नामतः 1. केन – बेतवा लिंक 2. पार – तापी – नर्मदा लिंक 3. दमनगंगा – पिंजाल लिंक 4. महानदी – गोदावरी लिंक।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना (रा. प. यो.) के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डी.पी.आर.) की स्थिति

(1) केन–बेतवा लिंक परियोजना (चरण–I)

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति ने केन–बेतवा लिंक परियोजना चरण–। की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी–आर्थिक मंजूरी जुलाई, 2016 में दे दी है बशर्ते इसे पर्यावरण, वन्यजीव तथा वनभूमि मंजूरी मिल जाए। वर्तमान स्तर पर लागत आकलन संशोधित किया गया है। वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव तथा जन–जातीय कार्य मंत्रालय से जन–जातीय जनसंख्या के पुनःस्थापन एवं पुनर्वास सहित विभिन्न मंजूरियां विचार–विमर्श/प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं। मंत्रिमंडल से सांविधिक मंजूरी तथा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम की एक मॉडल लिंक परियोजना के रूप में कार्यान्वित करने की योजना बना रही है। विभिन्न मंजूरियों की स्थिति इस प्रकार है :–

क्र. सं.	गतिविधियां	वर्तमान स्थिति
(i)	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी– आर्थिक मंजूरी	सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति की 129वीं बैठक में परियोजना को तकनीकी–आर्थिक मंजूरी की संस्तुति की गई।
(ii)	सांविधिक मंजूरी	
क	वन्य जीव मंजूरी	माननीय मंत्री (व.प. तथा ज.प.) की अध्यक्षता में आयोजित वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन की एन.बी.डब्यू. वाय. एल. की स्थाई समिति की दिनांक 23.08.2016 को आयोजित 39वीं बैठक में वन्य जीव मंजूरी की संस्तुति दे दी गई।
ख	पर्यावरणीय मंजूरी	वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन की विशेषज्ञ अनुमोदन समिति ने दिनांक 30.12.2016 को आयोजित बैठक में विचार किया तथा कुछ शर्तों के साथ पर्यावरण मंजूरी दे दी।
ग	वन भूमि व्यपर्वतन मंजूरी	तकनीकी सलाहकार समिति ने दिनांक 30.03.2017 के पत्र द्वारा आयोजित बैठक में परियोजना पर विचार किया तथा वन भूमि व्यपर्वतन के लिए संस्तुति दी।
घ	जन–जातीय कार्य मंत्रालय से मंजूरी	जन–जातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2017 के पत्र द्वारा मंजूरी दे दी है।
च	निवेश मंजूरी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की निवेश समिति ने दिनांक 10.02.2017 को संस्तुति दे दी है।
छ	निधियन मंजूरी	माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, के अनुमोदन से 90% : 10%, केंद्रः राज्य के अनुपात में निधियन के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया गया तथा दिनांक 21.02.2017 को संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित कर दिया गया है। नीति आयोग ने दिनांक 10.03.2017 के पत्र द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(2) केन-बेतवा लिंक परियोजना (चरण-II)

केन–बेतवा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. चरण–।। पूरी कर ली गई है तथा रा.ज.वि.अ. ने संबंधित राज्य मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को 17 जनवरी, 2014 के पत्र द्वारा इसे सौंप दिया है। केन–बेतवा लिंक परियोजना पूर्ण रूप से मध्यप्रदेश राज्य में आती है तथा इस परियोजना का पूरा लाभ भी मध्यप्रदेश राज्य को मिलेगा। जैसा कि बाद में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था, लोअर उर्र, कोठा बैराज तथा बीना कॉम्पलेक्स सहित चरण–।। की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आशोधित की जा रही है।

मध्यप्रदेश के परामर्श से रा.ज.वि.अ. द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आशोधित/परिवर्तित की जा रही है। आगे इन तीनों परियोजनाओं नामतः लोअर उर्र, कोठा बैराज तथा बीना कॉम्पलेक्स की अलग–अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अलग क्रियान्वयन की प्रक्रिया को और गतिशील बनाने हेतु तकनीकी मंजूरी के लिए केंद्रीय जल आयोग को सौंप दी गई है।

चरण–।। के अंतर्गत लोअर उर्र बांध की वन एवं पर्यावरण मंजूरी की स्थिति नीचे दी गई है :–

क्र. सं	गतिविधियां	वर्तमान स्थिति
क	लोअर उर्र बांध की पर्यावरणीय मंजूरी	दिनांक 2 मई, 2016 को आयोजित वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन की ई.ए.सी. की 93वीं बैठक में लोअर उर्र बांध की पर्यावरणीय मंजूरी पर विचार किया गया तथा पर्यावरणीय मंजूरी (ई.सी.) की मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्ताव को संस्तुति दी।
ख	लोअर उर्र बांध की वन मंजूरी	वन सलाहकार समिति ने दिनांक 30.03.2017 को बैठक में परियोजना की वन मंजूरी पर विचार किया तथा वन भूमि मंजूरी देने की संस्तुति की।
ग	बीना कॉम्पलेक्स बहु उद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय तथा वन मंजूरी	जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने बीना बहुउद्देश्यी य परियोजना की पर्यावरणीय एवं वन मंजूरी प्राप्त कर ली है।

(3) दमन गंगा- पिंजाल लिंक परियोजना

दमनगंगा– पिंजाल लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट रा.ज.वि.अ. ने मार्च 2014 में पूरी कर ली है तथा केन्द्रीय जल आयोग ने इसका तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन पर्ण कर लिया है।

विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की स्थिति निम्न है :

क्र. सं.	गतिविधियां	वर्तमान स्थिति
क	वन भूमि व्यपर्वतन मंजूरी	वृहत मुंबई महानगर निगम (एम सी जी एम) ने वन भूमि व्यपर्वतन मंजूरी का आवेदन दिनांक 30 जून, 2016 को वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।
ख	जन–जातीय कार्य मंत्रालय (एम ओ टी ए) से मंजूरी	वृहत मुंबई महानगर निगम (एम सी जी एम) ने दमनगंगा– पिंजाल लिंक परियोजना के संबंध में अनुसूचित जन–जाति परियोजना प्रभावित परिवारों की पुनःस्थापना एवं पुनर्वास के लिए अनुसूचित जन–जाति मंत्रालय (एम ओ टी ए) से अनुमति लेने के लिए विहित प्रोफार्मा में भर कर अन्य दस्तावेजों के साथ जन–जातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 30 जून, 2016 को सौंप दिया है।
ग	तकनीकी–आर्थिक मंजूरी	सचिव (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 08 जुलाई, 2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की सलाहकार समिति की 129वीं बैठक में दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजना पर विचार किया तथा तकनीकी–आर्थिक मंजूरी दे दी जो कि सांविधिक मंजूरी पर निर्भर है।

(4) पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. ने पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त, 2015 में पूरी कर ली है तथा गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों के जल संसाधन विभाग को सौंप दी गई है।

गुजरात सरकार ने इसमें निम्नलिखित को शामिल करने का सुझाव दिया है : लिफ्ट द्वारा लिंक नहर के दायीं ओर मार्गस्थ जन–जातीय क्षेत्र को; लिंक परियोजना के जलाशयों के निकट; लिंक परियोजना के निकट गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित पांच परियोजना प्रस्तावों के कमान क्षेत्र; प्रतिस्थापन के आधार पर लिफ्ट

द्वारा नर्मदा मुख्य नहर की दायीं ओर पंचमहल तथा छोटा उदयपुर क्षेत्रों को जोड़ना जिससे परियोजना के लाभों में वृद्धि हो और तदनुसार डी.पी.आर. को आशोधित करने के लिए कहा।

वर्ष के दौरान इन मुद्दों पर विचार करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आशोधन का कार्य प्रगति पर रहा।

वर्ष के दौरान दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दों को हल करने के प्रयास किए गए। सचिव (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) की अगुवाई में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एक दल ने दिनांक 31.12.2016 को मुख्यमंत्री, गुजरात से गांधी नगर में भेंट की तथा इस लिंक पर एक प्रस्तुतीकरण दिया। गुजरात सरकार से सकारात्मक रूझान मिला।

(5) महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना के संशोधित प्रस्ताव की स्थिति

अधिक उपयुक्त वैकल्पिक योजना (उप–समिति–।। न. अ.वि.सै.) को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययन पर उप समिति की दिनांक 13.05.2016 को आयोजित 8वीं बैठक में प्रस्तावित महानदी–गोदावरी लिंक के लिए जल विज्ञानी अध्ययन और बहु जलाशय अनुरूपण अध्ययन प्रारूप रिपोर्ट एन.आई.एच. ने संशोधित कर दी तथा जुलाई, 2016 में रा.ज.वि.अ. को सौंप दी। उप समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में रिपोर्ट पर विचार–विमर्श किया तथा 03 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में उप समिति ने इसे स्वीकृति दी। उप समिति की बैठक में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उनके विचारों को भी शामिल किया।

(6) गोदावरी–कृष्णा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ. ने तेलंगाना राज्य के विचारों पर ध्यान देते हुए तथा नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों को भी शामिल करते हुए इंचमपल्ली बांध स्थल पर गोदावरी बेसिन के जल संतुलन अध्ययन को संशोधित किया। प्रणाली अध्ययन पर दिनांक 13.05.2016 को आयोजित उप समिति की 8वीं बैठक में अध्ययन प्रस्तुत किया गया तथा वहां यह बताया गया कि जल लब्धि तथा जल संतुलन में कमी आयी है। उप समिति ने इच्छा व्यक्त की कि जल लब्धि तथा जल संतुलन में कमी के कारणों को रिपोर्ट में दर्शाया जाए। रा.ज.वि.अ. को एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की तरह तेलंगाना राज्य की अधिकृत रिपोर्टों में प्रकाशित आंकड़ो के आधार पर ईष्टतम जल उपयोग आंकड़ों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए तथा जल संतुलन को पुनः निकालकर उप समिति को प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, तेलंगाना सरकार से गोदावरी बेसिन के संबंध में प्रकाशित दस्तावेज और परियोजना का विवरण प्राप्त किया। इंचमपल्ली तक उपयोग के इन आकड़ों का प्रयोग कर एस.आर. पी.एस. और इंचमपल्ली बांध स्थल के बीच गोदावरी बेसिन के जल संतुलन में संशोधन किया गया जो निम्नानुसार है :–

तेलंगाना राज्य के अनुसार उपयोग को ध्यान में रखते हुए इंचमपल्ली बांध स्थल (2016) पर जल संतुलन

विवरण	आर.डब्ल्यू.बी.एस.टी.एस. 99 (2015) के अनुसार		वर्तमान अध्ययन (2016) (तेलंगाना सरकार के उपयोग को ध्यान में रखते हुए)	
	75%	50%	75%	50%
सतही जल (एम.सी.एम.) संतुलन	7691	22170	5002	19481

अध्याय–6

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक

6.1 अंतःराज्यीय लिंके

जल संसाधन मंत्रालय ने जून 2005 में रा.ज.वि.अ. द्वारा बिहार जैसे राज्यों में अंतः राज्यीय लिंकों को अभिज्ञात करने तथा पूर्व संभाव्यता एवं संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुमोदन सूचित किया। 28.06.2006 को आयोजित रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की विशेष सामान्य बैठक में अनुमोदन के बाद इसे रा.ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़ दिया गया। इसके बाद वर्ष 2011 में अंतः राज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी रा.ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़ दिया गया।

रा.ज.वि.अ. ने सभी राज्यों/संघ राज्यों से अनुरोध किया है कि उन अंतःराज्यीय लिंकों के विवरण सूचित किए जाएं जिनके लिए रा.ज.वि.अ. को आगे अध्ययन करने हैं। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान राज्यों तथा पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन व दिउ संघ शासित राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हुए। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली राज्यों तथा पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दिउ संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि उनके राज्य/संघ राज्य से संबंधित कोई अंतःराज्यीय लिंक प्रस्ताव नहीं है।

6.1.1 झारखंड

झारखंड सरकार ने तीन अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों नामतः– (i) बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा (ii) सांख–दक्षिणी कोइल तथा (iii)दक्षिणी कोइल–सुबर्णरेखा लिंकों का सुझाव दिया है। सभी तीन लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

6.1.2 गुजरात

गुजरात सरकार ने दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रारंभ करने का सुझाव दिया। इस लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई।

6.1.3 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 20 लिंकों में से मार्च, 2014 तक 17 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गईं। वर्ष के दौरान अंतःराज्यीय लिंक वेनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूरना–तापी) लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने वेनगंगा (गोसीखुर्द)– गोदावरी (एस आर एस पी) लिंक वापस ले ली है तथा दो लिंक, नामतः खरियागुटटा–नवादा–सतपुड़ा फुटहिल और खारीघुट्टी घाट–तापी लिंक, भूजल पुनःभरण योजनाएं है जिनका अध्ययन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जाना है इसलिए रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति ने इनको पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन करने के लिए स्वीकार नहीं किया है।

6.1.4 ओडिशा

ओडिशा सरकार ने 3 अंतःराज्यीय लिंकों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। रा.ज.वि.अ. ने महानदी–ब्राह्मणी अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है तथा उसे तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाया गया। दो अन्य लिंकों नामतः –(i) महानदी–रूषिकुल्या लिंक परियोजना (बारमूल परियोजना) तथा (ii) वम्सधारा–रूषिकुल्या (नन्दिनीनाला) परियोजना की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

6.1.5 बिहार

मई, 2008 में बिहार सरकार ने रा.ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन करने के लिए 6 अंतःराज्यीय लिंकों नामतः कोसी–मेची लिंक नहर द्वारा कोसी–मेची बेसिन के जल को महानन्दा बेसिन में अंतरित करना, सोन–किउल लिंक

नहर द्वारा सोन बेसिन के जल को अंतरित करना, बाढ़–नवादा पंप नहर योजना द्वारा पुनपुन–हरोहर–किउल बेसिन को जल अंतरण करना जिसमें इन बेसिनों का बहुउददेशीय विकास शामिल है, कोहरा–चंद्रावत लिंक, बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक, बेलवाधार होते हुए बूढ़ी गंडक–बागमती लिंक, कोसी–गंगा लिंक का प्रस्ताव दिया। रा.ज.वि.अ. ने कोसी–मेची लिंक कोहरा–चंद्रावत लिंक, बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक की बागमती–बूढ़ी गंडक, (बेलवाधार होते हुए), बाढ़–नवादा पंप नहर योजना तथा कोसी (बागमती)–गंगा लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है।

रा.ज.वि.अ. ने बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा एवं कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमशः दिसम्बूर, 2013 एवं मार्च, 2014 में तैयार कर ली हैं और बिहार सरकार को सौंप दी । केंद्रीय जल आयोग में बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक परियोजना का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक की सभी आवश्यक सांविधिक मंजूरियां बिहार सरकार प्राप्त करेगी । केंद्रीय जल आयोग ने कोसी–मेची लिंक का तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया है। सचिव (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा इसे तकनीकी–आर्थिक मंजूरी दे दी गई बशर्ते इसे सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त हो जाए।

बिहार सरकार ने दिनांक 27.05.2011 के पत्र द्वारा तीन और अंतः राज्यीय लिंक योजनाओं नामतः (i) बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना चरण–।। का विकास (मुजफ्फर पुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) कोसी–अधवारा–बागमती लिंक सहित अधवारा बहुउददेशीय परियोजना (ii) बक्सर में पंप नहर योजना द्वारा बिहार के दक्षिण में गंगा जल अंतरित करना (iii) बदुआ–चंदन बेसिन का विकास करने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य सोंपने का प्रस्ताव दिया। आरंभिक रूप से रा.ज.वि.अ. ने दो लिंक नामतः (क) बक्सर में पंप नहर योजना द्वारा बिहार के दक्षिण में गंगा जल अंतरित करना (ख) बदुआ–चंदन बेसिन का कार्य करने की सहमति दी, लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि ये अंतः राज्यीय लिंक नहीं हैं इसलिए इनका कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। इसी बीच रा.ज.वि.अ. ने उपलब्ध आंकडों के आधार पर अप्रैल 2014 में कोसी–अधवारा–बागमती लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट आरंभ कर दी तथा मार्च 2015 में पूरी कर ली। इस प्रकार बिहार की सात पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट रा.ज.वि.अ. ने पूरी कर ली हैं ।

6.1.6 राजस्थान

राजस्थान सरकार ने अंतःराज्यीय लिंकों के दो प्रस्ताव नामतः(i)माही–लूनी लिंक और (ii) वाकल–साबरमती–सेई–पश्चिमी बनास–कमेरी लिंक प्रस्तुत किए। दोनों लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

6.1.7 तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने कृष्णा गिरी जलाशय के नीचे के पोन्नियार नदी के बाढ़ के बहाव को पोन्नियार–पालार लिंक द्वारा जल की कमी वाले पालार बेसिन में व्यपवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा जिसकी पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट वर्ष 2011–12 में पूरी कर ली गई। रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2016–17 के दौरान पोन्नियार–पालार लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप भी रा.ज.वि.अ. ने पूरा कर लिया है।

6.1.8 कर्नाटक

कर्नाटक से कुल 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इनका तकनीकी परीक्षण किया गया। इनमें से 4 प्रस्ताव पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभाव्य पाए गए। एक लिंक नामतः बेदती–धरमा और वरदा लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट 2015–16 में पूरी कर ली गई।

6.1.9 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए पायरी–महानदी लिंक का प्रस्ताव किया। इस लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है।

6.1.10 अंतःराज्यीय लिंको की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों को तैयार करने की समग्र स्थिति

मार्च 2017 तक कुल 47 अंतःराज्यीय लिंकों में से रा.ज.वि.अ. ने 36 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। वर्ष 2016–17 में महाराष्ट्र की दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी (कदवा देव) अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंकों की स्थिति निम्नानुसार है:

अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति

क्र. सं.	अंतःराज्यीय लिंक का नाम	नदियां	स्थिति
	महाराष्ट्र		
1	वेनगंगा (गोसी खुर्द)–नलगंगा (पूर्णा तापी)	वेनगंगा एवं नलगंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. प्रगति पर
2	वेनगंगा–मांजरा घाटी	वेनगंगा एवं मांजरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
3	ऊपरी कृष्णा –भीमा (छह लिंकों का तंत्र)	कृष्णा एवं भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4	दमनगंगा (इकदारे)–गोदावरी घाटी	दमनगंगा एवं गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण डी.पी.आर. आरंभ
5(i)	ऊपरी वेतरणा–गोदावरी घाटी	वेतरणा एवं गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
5(ii)	दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी (कदवा देव) घाटी	दमनगंगा, वेतरणा एवं गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण डी. पी.आर. आरंभ
6	उत्तरी कोंकण–गोदावरी घाटी	पाताल गंगा एवं गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
7	कोयना–मुंबई शहर	कोयना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
8	श्रीराम सागर परियोजना (गोदावरी)–पूर्णा–मांजरा	गोदावरी, पूर्णा एवं मांजरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
9	वेनगंगा (गोसीखुर्द)–गोदावरी (एस आर एस पी)	वेनगंगा एवं गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ली गई।
10	मध्य कोंकण–भीमा घाटी	सावित्री, कुंडालिका, अम्बां एवं भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
11	कोयना–नीरा	कोयना एवं नीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
12	मुलसी–भीमा	मुलसी एवं भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
13	सवित्री–भीमा	सवित्री एवं भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
14	कोल्हापुर–सांगली–संगोला	कृष्ण एवं भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
15	तापी बेसिन तथा जलगांव जिले की नदी जोड़ परियोजना	तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
16	नार–पार–गिरना घाटी	नार, पार एवं गिरना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
17	नर्मदा–तापी	नर्मदा एवं तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

18	खरिया गुट्टा–नवादा–सतपुड़ा फुट हिल	छोड़ दी गई	ये परियोजनाएं भूजल नवीकरण परियोजना पाई गई जिनका अध्ययन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए। तद्नुसार रा.ज.वि.अ. की त.स.स. ने इन्हें पूर्व संभाव्यता रिपार्ट के लिए स्वीकार नहीं किया।
19	खरियागुट्टी घाट–तापी	छोड़ दी गई	
20	जिगांव–तापी–गोदावरी घाटी	तापी एवं गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
	गुजरात		
21	दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड़	दमनगंगा, साबरमती एवं चोरवाड़	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
	ओडिशा		
22	महानदी–ब्रह्माणी	महानदी–ब्रह्माणी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
23	महानदी–रुशिकुल्या (बारमूल परियोजना)	महानदी एवं रुशिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
24	वम्सधारा–रुशिकुल्या (नंदिनी नाला परियोजना)	वम्सधारा एवं रुशिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
	झारखंड		
25	दक्षिणी कोइल–सुबर्णरेखा	दक्षिणी कोइल एवं सुबर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
26	सांख–दक्षिणी कोइल	सांख एवं दक्षिणी कोइल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
27	बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा	बारकर–दामोदर एवं सुबर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
	बिहार		
28	कोसी–मेची (पूर्णतः भारत में)	कोसी एवं मेची	डी.पी.आर. पूर्ण ज.सं.न.वि. एवं सं. मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति ने तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी है ।
29	बाढ़–नवादा	गंगा एवं किउल	पूर्व संभाव्याता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
30	कोहरा–चन्द्रावत (अब कोहरा–लाल बेगी)	कोहरा एवं चन्द्रावत	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
31	बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा	बूढ़ी गंडक,नून–बया एवं गंगा	डी.पी.आर. पूर्ण तथा कें.ज.आ. में इसका तकनीकी–आर्थिक मूल्यीकन किया जा रहा है।
32	बूढ़ीगंडक–बागमती (बेलवाधार)	बूढ़ीगंडक एवं बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
33	कोसी–गंगा	कोसी–गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

34	बागमती सिंचाई एवं जल निकासी परियोजना –चरण–।। का विकास (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) तथा कोसी–अधवारा–बागमती लिंक सहित अधवारा बहुउद्देश्यीसय परियोजना का विकास	कोसी–अधवारा एवं बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
35	बक्सर में पम्प नहर योजना द्वारा दक्षिणी बिहार को गंगा का पानी अंतरित करना।	गंगा	प्रारंभ में रा.ज.वि.अ. ने कार्य आंरभ करने की सहमति दे दी थी परन्तु बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के बाद यह पाया गया है कि ये लिंक अंतःराज्यीय नहीं है इस लिए इनका कार्य आंरभ नहीं किया गया।
36	बदुआ–चंदन बेसिन का विकास	बदुआ एवं चंदन	
37	सोन–फाल्गु लिंक	सोन एवं फाल्गु	प्राथमिक अध्ययन आरंभ
	राजस्थान		
38	माही–लूनी लिंक	माही एवं लूनी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
39	वाकल–साबरमती–सेई–पश्चिमी बनास–कमेरी लिंक	वाकल, साबरमती, सेई; पश्चिमी बनास एवं कमेरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पाई गई)
	तमिलनाडु		
40	पोन्नियार–पालार लिंक	पोन्नियार एवं पालार	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. अंतिम चरण में
	कर्नाटक		
41	अलमट्टी (बगलकोट)–मालाप्रभा उप बेसिन	अलमट्टी एवं मालाप्रभा	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पाई गई
42	मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप बेसिन	मालाप्रभा एवं तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पाई गई
43	बेदती–धरमा वरदा लिंक	बेदती, धरमा एवं वरदा	पूर्व संभाव्यंता रिपोर्ट पूर्ण
44	भद्रा–वेदावती (वानी–विलास सागर) लिंक	भद्रा एवं वेदावती	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 11वीं बैठक में कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
45	पश्चिमी प्रवाही नदियों की व्यपर्वतन योजना (बारापोल एवं ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल एवं ऊपरी कावेरी	
46	बेदती और अघनाशिनी से वरदा को व्यपर्वतन	अघनाशिनी एवं वरदा	संभाव्यी पाई गई और पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट का कार्य आरंभ किया जाएगा
	छत्तीसगढ़		
46	पायरी–महानदी लिंक	पायरी एवं महानदी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

6.1.11 अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं	लिंक का नाम	नदियां	संबंधित राज्य	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति
1	बूढ़ी गंडक–नून–बया–गंगा लिंक	बूढ़ी गंडक एवं गंगा	बिहार	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है तथा 30 दिसंबर 2013 के पत्र द्वारा बिहार सरकार को सौंप दी है। केंद्रीय जल आयोग डी.पी.आर. की तकनीकी – आर्थिक जांच कर रहा है।
2	कोसी–मेची लिंक	कोसी एवं मेची	बिहार	ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं. मंत्रालय की सलाहकार समिति की दिनांक 08.07.2016 को आयोजित बैठक में इसे तकनीकी–आर्थिक मंजूरी दे दी गई बशर्ते इसे सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त हो जाएं।
3	पोन्नियार पालार लिंक	पोन्नियार एवं पालार	तमिलनाडु	प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण है।
4	वेनगंगा गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूर्णा तापी) लिंक	वेनगंगा एवं पूर्णा तापी	महाराष्ट्र	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है ।

6.1.12 अंतः राज्यीय लिंक नदी परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों को निधियन उपलब्ध कराना

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 19 मई 2011 के संकल्प तथा 11 जून 2011 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अंतः राज्यीय लिंक नदी परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य रा.ज.वि.अ. के कार्यों के अधिदेश में जोड दिया गया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने संख्या 2/12/2015–बी एम/2217 दिनांक 01.12.2015 के पत्र अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. के निधियन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय सूचित किया :

''रा.ज.वि.अ. को सामान्यतः अपने आप को अंतर्राज्यीय नदी तंत्र परियोजना की डी.पी.आर. तक सीमित रखना चाहिए। यदि राज्य सरकार द्वारा अंतः राज्यीय नदी तंत्र परियोजनाओं का कार्य सौंपा जाता है तो वह केवल सलाहकार कार्य ही करेगा। अंतः राज्यीय नदी जोड़ परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए भारत सरकार के निधियन का उपयोग नहीं किया जाए।''

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उपरोक्त निर्णयों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ. आगे जिन अंतः राज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करेगा उसकी लागत का वहन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने रा.ज.वि.अ. से दमनगंगा (इकदारे)–गोदावरी घाटी और दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कदवा देव) अंत–राज्यीय लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार करने का अनुरोध किया है। रा.ज.वि.अ. ने इसका प्राक्कलन तैयार किया है तथा अनुमोदन के लिए महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया है।

अध्याय–7

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन गतिविधियां

7.1 पी.एम.के.एस.वाई.– ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नाबार्ड फंडिंग

पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत सूचना को अद्यनीकृत करने के साथ–साथ उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के समन्वयन में रा.ज.वि.अ. के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) स्थापित की जाएगी। पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निधियन तथा केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए प्रक्रिया तथा संस्तुति करने में यह रा.ज.वि.अ. की सहायता करेगा। पी.एम.यू. का अध्यक्ष मुख्य अभियंता स्तर का अधिकारी होगा जिसकी सहायता के लिए विशेषज्ञों सहित सहायक यूनिटें होंगी ।

7.1.1 परियोजना की प्रक्रिया

केंद्रीय सहायता आगे जारी करने की अर्हता के संबंध में पी.एम.यू. थर्ड पार्टी और केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट की मानीटरिंग पर आधारित समेकित नोट तैयार करेगा ।

7.1.2 राज्यों को निधि जारी करना (केंद्रीय सहायता)

नाबार्ड से प्राप्त निधियन को रा.ज.वि.अ. पास थ्रू विंडो के रूप में कार्य करते हुए राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराएगा । यह सुनिश्चित करेगा कि नाबार्ड से प्राप्त निधियन एक दिन के भीतर परियोजना के लिए जारी हों ताकि निधियन बेकार न पड़ा रहे ।

7.1.3 थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर थर्ड पार्टी का मॉनीटरिंग दौरा इस प्रकार किया जाएगा कि अगली किस्त जारी होने से पहले रिपोर्ट उपलब्ध हो। आगे, केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए जाने वाले दौरों को ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी दौरे रखे जाएंगे।

प्राथमिकता प्राप्त पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. (बड़ी एवं मध्यम सिंचाई) परियोजनाओं तथा उनके कमान क्षेत्र विकास व संरक्षण प्रबंधन कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने की दृष्टि से राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए रा.ज.वि.अ. को एल.टी.आई.एफ. से संसाधनों को प्राप्त करने के अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किया गया है। परियोजना के संबंध में केंद्रीय अंश के रूप में नाबार्ड से निधियन प्राप्त करने के लिए 06 सितम्बनर, 2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. एवं नाबार्ड के अध्यक्ष द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

विभिन्न राज्यों को मार्च, 2017 जारी किए गए पी.एम.के.एस.वाई. निधि का विवरण

विभिन्नत राज्यों, को निधि जारी करना	21.10.2016 को जारी पहली किस्त (करोड़ रूपये)	26.12.2017 को जारी दूसरी किस्त (करोड़ रूपये)	15.03.2017 को जारी तीसरी किस्त (करोड़ रूपये)	30/31.03.2017 को जारी चौथी किस्त (करोड़ रूपये)	31.03.2017 को जारी राज्यवार कुल निधियन (करोड़ रूपये)
नाबार्ड द्वारा रा.ज.वि.अ. को जारी राशि	**1500**	**2480.91**	**876.30**	**460.67** **433.16**	**5751.04**
1. गुजरात सरकार	888.69	–.	493.4557	94.712	1476.8577

2. मध्य प्रदेश सरकार	208.54	26.36	–	50.514	285.4140
3. ओडिशा सरकार	41.12	198.73	92.7170	160.445	493.0120
4. तेलंगाना सरकार	11.06	227.75	–	06.622	245.4320
5. मणिपुर सरकार	89.25	–	–	37.744	126.9940
6. महाराष्ट्र सरकार	155.21	16.78	17.3120	18.550	207.8520
7. पंजाब सरकार	47.17	–	–	05.246	52.4160
8. कर्नाटक सरकार	53.86	30.29	–	04.147	88.2970
9. राजस्थान सरकार	5.10	–	40.7900	–	45.8900
10. बिहार सरकार	–	–	12.6433	–	12.6433
11. झारखंड सरकार	–	–	145.7500	–	145.7500
12. उत्तर प्रदेश सरकार	–	–	73.6320	62.000	135.6320
13. आंध्र प्रदेश सरकार	–	–	–	07.400	7.4000
14. छत्तीसगढ़ सरकार	–	–	–	13.290	13.2900
15. पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार	–	1981.00	–	433.160 (31.03.2017)	2414.1600
कुल	**1500**	**2480.91**	**876.30**	**893.83**	**5751.04**

अध्याय–8

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वैबसाइट

30 सितम्बर, 2005 को रा.ज.वि.अ. ने अपनी वैबसाइट http:www.nwda.gov.in प्रारंभ की। वैबसाइट द्विभाषी रूप में अधिक प्रभावी तथा पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) हेतु सुविधाजनक रूप से तैयार की गयी है।

वैबसाइट में प्रक्षेपित मुख्य लिंक में संगठन, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, रा.ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन, फोटो गैलरी, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, नोटिस, टेंडर तथा रिक्ति परिपत्रों की सूचनाएं दी जाती हैं। भारत जल सप्ताह के साथ–साथ अन्य लिंक नामतः हमसे संपर्क करें, कार्यालय प्रपत्र, अंतर बेसिन जल अंतरण, विशेष अध्ययन, विशेषज्ञों की समिति, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संदर्भ की शर्तें, प्रकाशन, सतर्कता, शिकायतों का निवारण, अन्य नदियों के अंतर्योजन मामले तथा नागरिक चार्टर भी उपलब्ध हैं। रा.ज.वि.अ. के मुख्य उद्देश्य नदियों के अंतर्योजन पर विविध प्रकार की सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराते हुए विशेषकर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी नदी विकास घटक के नदियों के अंतर्योजन की आवश्यकता पर, पूर्व के प्रस्तावों, नदियों के अंतर्योजन के वर्तमान अनुभवों तथा नदियों के अंतर्योजन की प्रस्तावित परियोजनाओं पर और विवरण उपलब्ध करवाकर इसे अधिक आदान–प्रदान योग्य बनाया गया है।

जब से रा.ज.वि.अ. को केन–बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/संभाव्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, भारत जल सप्ताह के आयोजन का कार्य सौंपा गया है, अन्य संबंधित लिंक भी तैयार किए गए हैं और उन्हें वैबसाइट पर स्थापित किया गया है ताकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा की जा रही गतिविधियों की अद्यतन सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

2016–17 के दौरान जिन मुख्य लिंकों को बनाए रखा गया तथा अद्यतन किया वे हैं:

रा.ज.वि.अ. तथा इसके कार्यों पर सूचनाओं का प्रावधान, रा.ज.वि.अ. सोसाइटी, शासी निकाय, तकनीकी सलाहकार समिति, रा.ज.वि.अ. अध्ययनों में अंतःराज्यीय लिंकों की स्थिति, फोटो गैलरी, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन, नोटिस एवं टेंडर, रिक्ति परिपत्र, हमसे संपर्क करें, प्रकाशन, दूरभाष निर्देशिका, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सतर्कता, शिकायत निवारण, नागरिक चार्टर, फोटो गैलरी आदि। आगे, केन–बेतवा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की स्थिति नक्शे तथा अंतःराज्यीय लिंक परियोजनाओं की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण 2016–17 के दौरान वैबसाइट पर स्थापित किये गये।

आगे, रा.ज.वि.अ. अपनी वर्तमान बैबसाईट को पुनः डिजाइन और विकसित कर रहा है।

अध्याय–9

रा.ज.वि.अ. की अन्य गतिविधियां

9.1 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां

रा.ज.वि.अ. में प्रशिक्षण एवं ज्ञान के आदान–प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में जल संसाधन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी ज्ञान, कम्प्यूटर प्रचालन, लेखा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में अपनी जानकारी बढ़ाने हेतु विभिन्न संगठनों/अभिकरणों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/ सेमिनारों में भाग लेने के लिए रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों को भेजा गया। रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट –। में दर्शाया गया है। सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का विस्तृत विवरण जिन में रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने भाग लिया को परिशिष्ट–।। में दर्शाया गया है।

9.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ. में विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार तथा भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन का विवरण निम्नलिखित है:

1. भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों का कार्यान्वयन किया गया।
2. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक–।।।, प्रारूपकार श्रेणी–।।।, हिन्दी अनुवादक, अवर श्रेणी लिपिक एवं एम.टी.एस. पदों आदि में सीधी भर्ती में सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों तथा मार्गदर्शकों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को भी जहां कहीं लागू हो वर्ग एम.टी.एस. से वर्ग ''ग'' तथा वर्ग ''ग'' के भीतर भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है ।

9.3 रा.ज.वि.अ. का नागरिक चार्टर

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, (प्र.सु. एवं शि.वि.) द्वारा जारी मार्गदर्शकों के अनुरूप जल संसाधन मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. ने इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यबल द्वारा तैयार किये गए चार्टर के अनुसार नागरिक चार्टर का मसौदा तैयार किया है। रा.ज.वि.अ. के नागरिक चार्टर में रा.ज.वि.अ. की प्रस्तावना, स्थापना, संगठनात्मक ढ़ांचा, गतिविधियां, शिकायतों के निवारण हेतु क्रियाविधि, भागीदारी आदि शामिल है। मुख्य अभियंता (मु.) को कर्मचारी शिकायत अधिकारी तथा निदेशक (तक.) को नागरिक चार्टर का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। समापक चार्टर निष्पादन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय तथा संसद भवन के पुस्तकालय को भेज दिया गया है तथा रा.ज.वि.अ. की वैबसाइट पर भी इसे स्थापित किया गया है। इसके कार्यबल की संघटना निम्नानुसार है:

1	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.	अध्यक्ष
2	निदेशक (एम.डी.यू.), रा.ज.वि.अ.	सदस्य
3	निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ.	सदस्य
4	मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान भाला	सदस्य
5	निदेशक (तकनीकी समन्वय), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6	निदेशक (तकनीकी), रा.ज.वि.अ.	सदस्य–सचिव/नोडल अधिकारी

9.4 महिला कर्मचारियों के यौन शोषण की शिकायतों के लिए समिति

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन शोषण को रोकने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, रा.ज.वि.अ. में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति कार्य कर रही है । समिति की संघटना निम्नानुसार हैः

1.	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम.ड़ी.यू.), रा.ज.वि.अ.	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. गुप्ता, कार्यपालक अभियंता (मु.), रा.ज.वि.अ.	सदस्य
3.	डा. श्रीमती आर. मलीथा, प्रतिनिधि, नारी रक्षा समिति, एन.जी.ओ., 2, राज निवास मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली–56	सदस्य
4.	श्रीमती जसविंदर कौर, सहायक अभियंता, रा.ज.वि.अ.	सदस्य

समिति अपनी जांच को आवश्यक कार्यवाही के लिए महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. को सौंपती है। समिति को वर्ष 2016–17 में रा.ज.वि.अ. में किसी महिला से कोई शिकायत नहीं मिली है।

9.5 साम्प्रदायिक सदभावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ. में साम्प्रदायिक सदभावना की भावना का उत्थान करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2016 तक साम्प्रदायिक सदभावना सप्ताह मनाया गया जो कि कौमी एकता सप्ताह के साथ पड़ा। इस सप्ताह के दौरान रा.ज.वि.अ. के सभी कर्मचारियों को 'राष्ट्रीय अखंडता' की शपथ दिलाई गई। कार्यालय में जगह–जगह द्विभाषी पोस्टर लगाये गये। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने हेतु महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह एवं कौमी एकता सप्ताह विषय पर भाषण दिया।

9.6 आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ. अक्टूबर, 1991 से त्रैमासिक आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन कर रहा है। यह पत्रिका देश के विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के जल संसाधन अभियंताओं तथा वैज्ञानिकों को भेजी जाती है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य रा.ज.वि.अ. की उपलब्धियों तथा गतिविधियों की सूचनाओं को प्रसारित करना है। पत्रिका में प्रकाशित तकनीकी लेख मुख्य रूप से रा.ज.वि.अ. द्वारा प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों पर किए गए अध्ययनों तथा रा.ज.वि.अ. के उद्देश्य से संगत मुद्दों पर होते हैं। प्रति वर्ष पत्रिका का अक्तूबर अंक केवल हिन्दी में ''राजभाषा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

9.7 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई. आई.टी.एफ.) 2016 में भागीदारी

14–27 नवम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2016 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मुद्दों का जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाग लिया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जल संसाधन मंत्रालय के मंडप में रा.ज.वि.अ. के स्टॉल पर अंतर–बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों की विस्तृत प्रदर्शनी की गई। रा.ज.वि.अ. स्टॉल पर आम दर्शकों को रा. ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन किए जा रहे अंतर–बेसिन जल अंतरण लिंकों के बारे में जानकारी दी गई।

9.8 भारत जल सप्ताह - 2016

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय वर्ष 2012 से भारत जल सप्ताह (भा.ज.स.) एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह के आयोजन का दायित्व रा.ज.वि.अ. को सौंपा है।

भारत जल सप्ताह 2016 का आयोजन 4–8 अप्रैल, 2016 तक नई दिल्ली में किया गया जिसका विषय ''सबके लिए जल – साझा प्रयास'' था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी शामिल थी। भारत जल सप्ताह 2016 में इजराइल एक भागीदार देश के रूप में सहयोगी था। 8 अप्रैल, 2016 को आयोजित सम्मेलन के समापन समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे।

जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन से संबंधित सभी बड़े विषयों को इस सम्मेलन में शामिल किया गया। इस प्रकार भारत सरकार के स्वप्न –''सबका साथ, सबका विकास' सहित सबके लिए जल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवहारिक रणनीति बनाने के लिए जल संसाधन बिरादरी को उचित प्लेट फार्म उपलब्ध कराया गया है। जल की कमी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई तथा इसे सम्मेलन के प्रासंगिक सत्रों में शामिल किया गया।

पूरा कार्यक्रम रा.ज.वि.अ. ने केंद्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित किया। देश–विदेश से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

(श्री अरूण जेटली, माननीय वित्त मंत्री, सुश्री उमा भारती, माननीया मंत्री (ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.), श्री उरी येहूदा एरील, माननीय मंत्री, कृषि एवं ग्रामीण विकास इजराइल, श्री वीरेन्द्र सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल तथा स्वच्छता, श्री प्रकाश जावेडकर, माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री राधा मोहन सिंह, माननीय कृषि मंत्री, प्रो. सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, श्री शशि शेखर, सचिव (ज.सं.,न.वि.एवं .गं.सं.) तथा डॉ. अमरजीत सिंह, विशेष सचिव (ज.सं.,न.वि. एवं .गं.सं.) भारत जल सप्ताह–2016 का उद्घाटन करते हुए)

(श्री उरी यहूदा एरील, माननीय मंत्री, कृषि एवं ग्रामीण विकास, इजराइल, प्रो. सांवर लाल जाट, माननीय राज्य, मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत जल सप्ताह–2016 की प्रदर्शनी देखते हुए तथा श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. केन–बेतवा लिंक के मॉडल के बारे में बताते हुए)

(श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में। उनकी बाईं ओर हैं – सुश्री उमा भारती, माननीया मंत्री (ज.सं.,न.वि.व.गं.सं.), श्रीमती वसुंधरा राजे, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान तथा श्री शशि शेखर, सचिव (ज.सं., न.वि.एवं गं.सं.) उनकी दायीं ओर हैं– श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री, श्री बीरेन्द्र सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल तथा स्वच्छता, प्रो. सांवर लाल जाट, माननीय राज्य मंत्री, (ज.सं.,न.वि. एवं .गं.सं.)

9.9 जल मंथन–3

एक दिवसीय "जल मंथन –3" सम्मेलन का आयोजन 13.01.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। पी.एम.के.एस.वाई. के क्रियान्वयन तथा जल उपयोग दक्षता में सुधार, परिस्थिति की में सुधार, भागीदारी सिंचाई प्रबंधन, नदी बेसिन प्रबंधन, नदी पुनरूद्धार तथा बाढ़ प्रबंध पर परामर्श और विचार–विमर्श किया गया।

(सुश्री उमा भारती, माननीया मंत्री (ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.), जल मंथन –3 का उद्घाटन करते हुए विज्ञान भवन, नई दिल्ली। उनके बाईं ओर डॉ. संजीव बालियान, माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.), डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव (ज.सं.,न.वि.एवं गं.सं.), श्री जी. एस. झा, अध्यक्ष, कें.ज.आ.। उनके दायीं ओर हैं – श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.,न.वि.व.गं.सं.), श्री बृज मोहन अगवाल, माननीय जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ तथा शशि शेखर, सेवानिवृत्त, सचिव (ज.सं.,न.वि. एवं गं.सं.)

अध्याय – 10

रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां

10.1 सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामले

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन कर रहा है। मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों के सतर्कता तथा अनुशासनात्मक मामलों के सभी पहलुओं को संभालते हैं। श्री आर.के.जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.), ने रा.ज.वि.अ. के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में 13.08.2016 तक कार्य किया है। इसके बाद दिनांक 12.08.2016 को श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) को तीन वर्षों के लिए अंशकालिक तौर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 17.08.2016 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इस संगठन में कोई अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है। रा.ज.वि.अ. में अधिकारियों/कर्मचारियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उपरोक्त मामलों पर सभी मासिक, तिमाही, वार्षिक रिपोर्टें समय–समय पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सतर्कता शाखा द्वारा (i) कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, वडोदरा, (ii) मुख्य अभियंता (दक्षिण), अन्वेषण सर्किल, अन्वेषण प्रभाग, हैदराबाद (iii) अन्वेषण प्रभाग, जयपुर एवं (iv) अन्वेषण प्रभाग, नागपुर का सतर्कता संबंधी निरीक्षण किया गया।

10.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 31.10.2016 से 05.11.2016 तक रा.ज.वि.अ. के सभी कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 31.10.2016 को रा.ज.वि.अ. (मुख्यालय) में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में शपथ दिलाई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध बैनर तथा पोस्टर लगाए गए। मुख्य सतर्कता अधिकारी ने "भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाईः सतर्कता एक हथियार के रूप में" विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए।

अध्याय–11

राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) राजभाषा (हिन्दी) के प्रगामी प्रयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है तथा रा.ज.वि.अ. राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके नियमों के प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें रा.ज.वि.अ. मुख्यालय नई दिल्ली एवं इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। महानिदेशक, रा.ज. वि.अ. तथा कार्यालय प्रमुखों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में किए गए विचार–विमर्शों तथा समीक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि हिन्दी का कार्यालयी प्रयोग और हिन्दी पत्राचार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। राजभाषा अधिकारी तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने जल संसाधन मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की अनुपालना हेतु रा.ज.वि.अ. में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपील जारी की। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा का मौलिक रूप से और अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा यह भी कहा कि हिन्दी का प्रयोग मात्र पखवाड़े के दौरान ही नहीं वरन् इसे अपने कार्य में निरंतर प्रयोग करना चाहिए। पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वर्ष 2016–17 में मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी 09 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया ।

संसदीय राजभाषा समिति (साक्ष्य) ने दिनांक 23.12. 2016 को अन्वेषण प्रभाग, नागपुर का सफलता पूर्वक निरीक्षण किया।

(हिन्दी पखवाड़ा–2016 के उद्घाटन समारोह के दौरान श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.), श्री एन.सी. जैन, निदेशक (तकनीकी), रा.ज.वि.अ., श्री नरेन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ. तथा श्रीमती अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (राजभाषा), रा.ज.वि.अ.)

(हिन्दी पखवाड़ा–2016 के समापन समारोह के दौरान श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.), श्री एन.सी. जैन, निदेशक (तकनीकी), रा.ज.वि.अ., श्री आर.पी.रावत, कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय), श्री एम.के.सिन्हा, परामर्शदाता, श्री आर.के. खरबंदा, उप निदेशक, रा.ज. वि.अ., श्रीमती अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (राजभाषा), रा.ज.वि.अ. तथा अन्य)

अध्याय–12

वित्त एवं लेखा

12.1 रा.ज.वि.अ. के नियम एवं विनियम के नियम सं. 45 में आशोधन

दिनांक 22.06.2016 को आयोजित रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 5वीं विशेष सामान्य बैठक में रा.ज.वि.अ. के उद्देश्यों में निम्नलिखित दो संशोधन किए गए :

(च) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं, जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) में शामिल हैं तथा इसके समान अन्य परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है, को पूरा करने के लिए स्वयं या किसी नियुक्त अभिकरण/संगठन/पीएसयू या कंपनी तथा जो परियोजना नदियों के अंतर्योजन के एक भाग के रूप में हो, के द्वारा परियोजना आरंभ करना/निर्माण/मरम्मत/नवीकरण/ पुनःस्थापना/ क्रियान्वायन करना।

(छ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निदेशानुसार रा.ज.वि.अ. जमाओं पर प्राप्त धन या उधार निधि के भंडारण या ब्याज पर दिया गया ऋण या इसी प्रकार के अन्य तरीकों से सोसाइटी के राजस्व या परिसंपत्ति तथा इस प्रकार की निधि/जमा राशि/ऋण आदि की वर्तमान तथा भविष्य दोनों दशाओं में सुरक्षा के लिए गिरवी, शपथ, सभी या अन्य संपत्तियों पर लीन में बदलाव करेगा।

''छ'' पर उल्लिखित उपरोक्त नए उद्देश्यों को जोड़ने के परिणाम स्वरूप रा.ज.वि.अ. के नियम विनियम के नियम सं. 45 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है जो वर्तमान में इस प्रकार हैं :

सोसाइटी की निधियां

सोसाइटी की निधियों में शामिल हैं :

(i) भारत सरकार द्वारा दी गई एक मुश्त तथा पुनरावर्ती अनुदान

(ii) एजेंसी को प्राप्त शुल्क तथा अन्य

(iii) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, गिफ्ट, दान या अन्य सहयोग जिनके माध्यम से सोसाइटी को प्राप्त धन

नियम 45 में ब्याज पर लिए गए ऋण आदि से प्राप्त निधियों की हैण्डलिंग शामिल नहीं है। रा.ज.वि.अ. के नियम एवं विनियमों नियम 45 में प्रस्तावित संशोधन ''45 (iv) सहमत निबंधन और शर्तों पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकरण या संगठन से ऋण लेना'' को अनुमोदन के लिए सचिव (ज.सं., न.वि. एवं .गं.सं.) तथा अध्यक्ष, रा.ज.वि.अ. का शासी निकाय तथा माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा अध्यक्ष, रा.ज.वि.अ. सोसाइटी को सौंपा गया तथा इसे अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसे दिनांक 13.10.2016 के पत्र द्वारा रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय और सोसाइटी के सदस्यों को सूचित किया गया।

दिनांक 27.03.2017 को आयोजित शासी निकाय की 64वीं बैठक में उपरोक्त की पुष्टि की गई।

12.2 राज्यों को केंद्रीय सहायता – पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि सिंचाई निधियन (एल.टी.आई.एफ.)

पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं को एक निश्चित समय–सीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में निधियन जारी करने के लिए एल.टी.आई.एफ. से संसाधन उधार लेने के लिए केंद्र सरकार ने रा.ज.वि.अ. को एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के

लिए अभिज्ञात किया है। इन परियोजनाओं को केंद्रीय अंश जारी करने के लिए नाबार्ड से ऋण लेने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. तथा नाबार्ड के मध्य 6 सितम्बंर, 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नाबार्ड ने रा.ज.वि.अ. को 5751.04 करोड़ रूपये का ऋण जारी किया है जिसे रा.ज.वि.अ. ने 14 राज्यों को उनकी अभिज्ञात परियोजनाओं तथा पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के लिए जारी कर दिया है ।

12.3 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तविक व्यय

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रा.ज.वि.अ. की आयोजना योजना के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने रा.ज.वि.अ. को 69.68 करोड़ रूपये का अनुदान सहायिकी आबंटित तथा जारी किया है जिसमें से रा.ज.वि.अ. ने 69.69 करोड़ खर्च किया है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, पी.एम.के.एस.वाई. योजना के एल.टी.आई.एफ. के अंतर्गत लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 44,66,35,556.00 रूपये की राशि रा.ज.वि.अ. को जारी की है। जिसका रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को दिनांक 01.02.2017 को भुगतान कर दिया है ।

12.4 वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा

भारत के महालेखा परीक्षक को 2014–15 से 5 वर्षों की अवधि के लिए अभिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। प्रधान निदेशक, लेखा, वैज्ञानिक विभाग ने रा.ज.वि.अ. के वर्ष 2016–17 के खातों की लेखा परीक्षा की।

वर्ष 2016–17 के अभिकरण के लेखों तथा लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, के साथ–साथ रा.ज.वि.अ. के पैरा वार उत्तर एवं अभिकरण के लेखों का लेखापरीक्षित विवरण अनुलग्नक –।।। पर दिए गए हैं।

अध्याय–13

आभारोक्ति

सुश्री उमा भारती, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय मंत्री, तथा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के अध्यक्ष, डॉ. संजीव कुमार बलियान, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय राज्य मंत्री, तथा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के उपाध्यक्ष, श्री विजय गोयल, स्वंतंत्र प्रभार, खेल एवं युवा मंत्रालय, श्री शशि शेखर, सचिव (ज. सं., न. वि. एवं गं. सं. मंत्रालय) तथा शासी निकाय के अध्यक्ष, डॉ अमरजीत सिंह, विशेष सचिव, ज.सं.,न.वि.एवं गं. सं. मंत्रालय, श्री घनश्याम झा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग तथा श्री नरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एवं रा.ज.विअ. की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा मतैक्यता समूह के अध्यक्ष तथा रा.ज. वि.अ. सोसाइटी के सभी सदस्य, नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति तथा इसकी उप समिति, नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल, शासी निकाय, तकनीकी सलाहकार समिति, आदि के योग्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में अच्छी प्रगति की है। अभिकरण आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के सचिवों, प्रमुख अभियंताओं तथा मुख्य अभियंताओं एवं अन्य अधिकारियों से प्राप्त उनके अपूर्व सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट करता है। रा.ज.वि.अ. अभिकरण शासी निकाय तथा तकनीकी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता है। रा.ज.वि.अ. के यथायोजित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग तथा भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग तथा केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, एन आर एस सी तथा बी आई एस ए सी आदि के अधिकारियों का उनसे प्राप्त अभूतपूर्व सहयोग के लिए अभिकरण उनका आभार मानता है।

अनुलग्नक I

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण जिनमें राजविअ के अधिकारियों ने भाग लिया

क्र. सं.	प्रशिक्षण	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी
1.	ई–गवर्नेंस चैम्पियन कार्यक्रम	23.05.16 से 15.06.16 तक(3 सप्ताह)	हैदराबाद, बंगलूरू, एस्टोनियां एवं नई दिल्ली	नेशनल इंस्टीटयुट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एमडीयू)
2.	ओपन सोर्स जीआईएस द्वारा ''रेनफाल– रनऑफ माडलिंग फ्लड रूटिंग इनअंडेशन मैपिंग'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	19.09.16 से 30.09.16 तक	एन.डब्ल्यु.ए. पुणे	एन.डब्ल्यु.ए. पुणे	श्री एम पी कृष्णमूर्ति, सहायक अभियंता
3.	"हाइड्रोइलेकिट्र परियोजनाओं में चट्टान अन्वेषण में प्रयोगशाला की भूमिका" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	19.01.17 से 20.01.17 तक	सी.एस.एम.आर. एस., नई दिल्ली	सी.एस.एम.आर. एस., नई दिल्ली	श्री इंदू जायसवाल क. अभि. श्री अहीश कुमार, क. अभि.
4.	''डी ओ पी टी के ऑनलाइन पोर्टल पर पी ए और आर टी आई के लिए मंत्रालय के अधीन जन प्राधिकारियों को आर टी आई नोडल अधिकारी'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	21.02.2017	सी एस ओ एल, विनय मार्ग, नई दिल्ली	डी ओ पी टी	श्री नरेंद्र कुमार निदेशक (प्रशा)
5.	''गवर्नमेंट ई – मार्केट प्लेस (जीईएम)– स्मार्ट खरीद'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.02.2017	मिनी हाल सीजीओ टावर्स, कवादीगुडा, सिकंदराबाद	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, हैदराबाद	श्री एन जी राव, उ. नि, श्री पी वी रामाराजू, उ. नि, श्री आर विनोद कुमार, स.अ. श्री के के अली, क.अ. श्रीमती सी विजय लक्ष्मी , क.अ. श्री डी रामा मोहन राव, क.अ.
6.	''नदी घाटी परियोजनाओं के लिए भू तकनीकी सर्वेक्षण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.02.17 से 17.02.17 तक	सी.एस.एम.आर.एस, नई दिल्ली	सी.एस.एम.आर. एस., नई दिल्ली	श्री ए. राजेश्वर राव, स. अभि. श्री आर के मिश्रा, क, अभि.

क्र. सं.	प्रशिक्षण	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी
7.	"केंद्रीय योजनाओं के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के मॉडयुल'' पर प्रशिक्षण	07.03.2017	जयपुर	व्यय विभाग, महा लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली	श्री एस एस महापात्रा, ले.अ. श्री अशोक कुमार, कैशियर
8.	''खरीददारों के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम)– पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	09.03.2017	आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	श्री आर के गुप्ता, का. अभि.(मु.) श्री के के राव, उ.नि. (ज.) श्री बी के टंडेल, स.अ. श्री एस सी मंगल, स.अ. श्री एस पी तोमर, क., अ.
9.	''खरीददारों के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस (जीईएम)– पर प्रशिक्षण कार्यकम	16.03.2017	आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	श्रीमती दीपिका, स.अ. श्री के एच रहमान, क., अ. श्री हरिओम वार्ष्णेय, क, अ.
10.	"साफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए कांक्रीट सेफ्टी बांध का अभिकल्पी अन्वेषण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.03.2017 से 19.03.2017 तक	इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया (इएससीआई), हैदराबाद	इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया (इएससीआई), हैदराबाद	श्री के के राव, उ.नि. (ज.)
11.	''रिमोट सेंसिंग तथा जीआईएस का प्रयोग करते हुए सिंचाई परियोजना प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग'' पर प्रक्षिण कार्यक्रम	20.03.2017 से 31.03.2017 तक	एन डब्ल्यू. ए, पुणे	एन डब्ल्यू. ए, पुणे	श्री डी के गोयल, स.नि.

अनुलग्नक ।।

सम्मेलनों, सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का विवरण जिनमें राजविअ के अधिकारियों ने भाग लिया।

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार/ कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी का नाम
अ	**सम्मेलन**				
1.	7वीं वार्षिक ''डिजाइन एवं कंस्ट्रक्शन में स्थिरता इंडिया समिट'' 2016– (एसआईसीआई)	02.08.16 से 03.08.16 तक	आईटीसी गार्डनियां, बंगलूरू	निसपाना, इनोवेटिव प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड	श्री आर. के. जैन, मुख्ये अभियंता (मु) श्री के पी गुप्ता, अ.अभि. श्री एस ए नायुडु, का.अभि,
2.	भू सर्वेक्षण मैपिंग सर्वेक्षण– भारत 2016 पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी	07.09.16 से 08.09.16 तक	हालीडे इन, मयूर विहार, डिस्ट्रक्ट सेंटर, नई दिल्ली	सर्वे एंड मैपिंग एसोशिएसन, सर्वे इंडिया–2016 सचिवालय	श्री एस मसूद हुसैन, म.नि. श्री आर. के. जैन, मुख्य अभि. (मु.) श्री बी.एल.शर्मा, अधी.अभि.
3.	जियोसिंथेटिक पर छठा एशियन क्षेत्रीय सम्मेलन	10.11.16	मानेकशा सेंटर, दिल्ली	सीबीआईपी के सहयोग से इंडिया चेपटर ऑफ इंटरनेशनल जियोसिंथिटिक सोसाइटी	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू)
4.	10वां विश्व जल सम्मेलन– उभरते हुए भारत के लिए जलः सबसे अच्छा समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	24.11.16 से 25.11. 16 तक	गुलमोहर हाल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली	एक्वा फाउंडेशन, नई दिल्ली	श्री एन. सी. जैन, निदेशक (तकनीकी)
5.	स्थिर जल एवं स्वच्छता पर दूसरा वार्षिक राष्ट्रीय समिट	01.12.16 से 02.12. 16 तक	इरोज होटल, नेहरू प्लोस, नई दिल्ली	पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा स्व्च्छ भारत मिशन, भारत	श्री फहीम अशरफ, अधी. अभि.
6.	टेक्नालाजिकल उपकरणों के माध्यम से जल सुरक्षा तथा अपशिष्ट प्रबंधन पर केमटेक वॉटरेक्स विश्व–2017 सम्मेलन	15.2.2017	बीसी एवं ईसी, गोरे गांव, मुंबई	केमटेक एवं जसूभाई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	श्री पी सी गुप्ता, का. अ.

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी का नाम
7.	तीसरा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन	18.2.17 से 19.2.17 तक	आईआईटी, रूड़की	केंद्रीय जल आयोग	श्री फहीम अशरफ, अधी.अभि. श्री मुजफ्फर अहमद, अधी.अभि. श्री एस के सिंघल, स.का.अ.
8.	भारत में जल पर 5वाँ वार्षिक सम्मेलनः सेवा, प्रबंधन टैकनालॉजी एवं सर्वोत्तम प्रथाएं	27.02.17 से 28.02.17 तक	होटल ला मेरिडियन, नई दिल्ली	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरल पब्लिशिंग, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री के. पी. गुप्ता निदेशक (तकनीकी) श्री अफरोज आलम, उ. नि.
ब	**सेमिनार**				
1.	वन डे इवेंट– एफ एम ई वर्ल्ड टुअर इंडिया	26.04.2016	होटल क्लेरिजज, नई दिल्ली	मैसर्स पिक्सल सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरू	श्री के के राव, उ.नि.(ज)
2.	एस डी जी पर राष्ट्रीय परामर्शः जल एवं स्वच्छता का स्थिर प्रबंधन	09.08.2016	जुनीपर हाल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली	आर आई एस–विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली	श्री एस मसूद हुसैन, म.नि. श्री आर. के. जैन, मुख्य अभि. (मु.)
3.	सुरक्षित कृषि रसायन के माध्यम से स्थिर कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	27.08.2016	एग्रीटेक इंडिया बंगलूरू	मीडिया टुडे प्राइवेट लिमिटेड	श्री आर. के. जैन, मुख्य अभि. (मु.)
4.	ई ए वाटर कॉन्क्लेव 2016 जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ई ए वाटर कॉक्लेव 2016	22.08.16 से 24.08.16 तक	हॉल संख्या 18, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	ई ए वाटर प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	श्री जब्बार अली, उ.नि.
5.	जल ऊर्जा उपयोग पर तालमेल के लिए गवरनेंस फ्रेमवर्क पर सेमिनार	21.09.16	होटल ताज, मानसिंह प्लेस, नई दिल्ली	एसोचैम	श्री आर. के. जैन, मुख्य अभि. (मु.)
6.	जेंडर इक्विटी एवं जल प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम	7.11.16 से 8.11.16 तक	टेरी यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली	टेरी यूनिवर्सिटी, तथा आईसी ई डब्ल्यु ए आर एम आस्ट्रेलिया	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) श्री डी के शर्मा, अधी.अभि.

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी का नाम
7.	एक्वीफर मैपिंग तथा भूजल प्रबंधन पर भूजल मंथन–2	29.11.2016	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	सीजीडब्ल्यूबी दिल्ली	श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मु.) श्री एन सी जैन, मुख्य अभियंता (उ) श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) श्री ओ पी एस कुशवाह, अधी.अभि. ।। श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) श्री आर के सिन्हा, निदेशक (वित्त) श्री नरेंद्र कुमार निदेशक (प्र शा.) श्री अफरोज आलम, उ.नि. श्री जब्बार अली उ.नि. श्री आर के खरबंदा उ.नि. श्री के के श्रीवास्तव, उ.नि श्री आर के शर्मा उ.नि. श्री राकेश कुमार गुप्ता, का. अ. (मु.) श्री नागेश महाजन, उ.नि.
8.	जियोस्पेशियल एंड डीप लर्निंग– शेपिंग स्मार्टर वर्ल्ड पर जियोस्पेशियल वल्ड फोरम	23.1.17 से 25.1.17 तक	हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर, हैदराबाद	जियोस्पेशियल मीडिया एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमि. टेड, नोएडा	श्री एम के श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (द) श्री एन जी राव, उप निदेशक श्री पी वी रामाराजू, उप निदेशक श्री पी एस मूर्ति, स.अ. श्री के एस नायुडु, स.अ.
9.	बांध में रिसाव खोजने की प्रणाली पर सेमिनार	16.2.2017	होटल ला मेरिडियन नई दिल्ली	काउंसिल आफॅ पावर युटिलिटीज, नई दिल्ली	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू)

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी का नाम
10.	अपशिष्ट जल–मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन पर सेमिनार	22.3.2017	कें.ज.आ., नई दिल्ली	कें.ज.आ., नई दिल्ली	श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मु.) श्री के पी गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) श्री ओ पी एस कुशवाह, अधी.अभि. ।। श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) श्री अफरोज आलम, उ.नि. श्री जब्बार अली, उ.नि. श्री आर के खरबंदा उ.नि. श्री आर के शर्मा, उ.नि. श्री नागेश महाजन उ.नि श्री के के राव, उ.नि. श्री अनिल कुमार, स.नि. श्रीमती जसविंदर कौर, स.अ. श्री अशोक भटेले, क.अ. श्री हरिओम वार्ष्णेय, क.अ. श्री राम किशन, क.अ. श्री अहीश कुमार, क.अ
स	**कार्यशाला**				
1.	बांध में अद्यतन तकनीकी और पुनर्वास पर कार्यशाला	28.4.16 से 29.4.16 तक	होटल हंस प्लाजा, नई दिल्लीं	एक्वा फाउंडेशन, नई दिल्ली	श्री एम. के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण)
2.	अंतर्देशीय जल मार्ग तथा लॉजिस्टिकः में अंतर्राष्ट्रीय चालू प्रथाओं तथा नवाचार स्टेकहोल्डर पर कार्यशाला, ''अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ एन डब्ल्यू–1'' पर सम्मेलन	16.8.16	कोलकाता	भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण तथा नौवहन मंत्रालय	श्री आर . के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.)

क्र. सं.	सम्मेलन/सेमिनार/ कार्यशाला	अवधि	स्थान	आयोजक	भाग लेने वाले अधिकारी का नाम
3.	सुरंग डिजाइन तथा निर्माणः मुददे एवं चुनौतियां पर कार्यशाला	07.02.17 से 08.02.17 तक	होटल कोहिनूर कंटीनेंटल, मुंबई	सी बी आई पी, नई दिल्ली	श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) श्री एम के श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण) श्री डी के शर्मा, अधी.अभि.
4.	दि ''ई एच आर एम एस रोडमैप सह प्रस्तुतीकरण सह कार्यशाला''	15.2.17 से 16.2.17 तक	केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, नई दिल्ली	श्री के के राव, उ.नि. श्री ई केंपन्ना, अधीक्षक–।।
5.	भूजल में आर्सेनिक समस्याएं तथा गंगा बेसिन में इसका सुधार पर कार्यशाला	07.03.2017	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्कोप कांपलेक्स आडिटोरियम, नई दिल्ली	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) श्री के के श्रीवास्तव, उ.नि. श्रीमती अनिता लालचंदानी, स.नि. श्री ललित कुमार स्यानियां, क.अ.
6ण	ई एच आर एम एस में डाटा एंट्री' पर कार्यशाला	08.03.17 से 09.03.17 तक	केंद्रीय जल आयोग, दिल्ली, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	श्री नरेंद्र कुमार, निदेशक (प्रशा.) श्री के के राव, उ.नि. श्री ई केंपन्ना, अधीक्षक–।। श्री अजय प्रताप सिंह, अ.श्रे.लि.
7.	जल गुणवत्ता तथा इसका प्रबंधन' पर कार्यशाला	20.03.17 से 24.03.17 तक	नेशनल इंस्टीटयुट ऑफ हाइड्रॉलोजी (एन आई एच) रूड़की	नेशनल इंस्टीटयुट ऑफ हाइड्रॉलोजी (एन आई एच) रूड़की	श्री एस बी मिश्रा, स.अ.

अनुलग्नक III

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

सं.प्र.नि.वै.वि./प.ले./एस.ए.आर./NWDA/2017–18/1136 दिनांक:

सेवा में,

Sh. Sanjay Kundu,
Director General,
National Water Development Agency,
18-20, Community Centre,
Saket, New Delhi-110017.

विषय: वर्ष 2016–17 के लिए National Water Development Agency, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मुझे वर्ष 2016–17 के लिए National Water Development Agency, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा ज़ारी किया गया रेज़ोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक:– पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक (पर्या.ले.)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.), नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की अलग से समेकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के 31 मार्च, 2017 के संलग्न तुलनपत्र, आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखाकार (दायित्व, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 20 (1) के अधीन लेखा परीक्षा की है। हमें यह लेखा परीक्षा 2018–19 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां हैं। विधि के अनुरूप वित्तीय लेन–देन का लेखा परीक्षण किया गया है। विधि, नियम तथा विनियमों (मालिकाना तथा विनियामक) तथा कार्यकुशलता–व–निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर यदि लेखा परीक्षकों के पर्यवेक्षण यदि कोई हैं तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अलग से दर्शाया गया है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह उपयुक्त आश्वासन लें कि वित्तीय विवरणों में सामग्री को अधिक नही दर्शाया गया है और फिर लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन की जांच शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का निर्धारण शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय हेतु एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं:

   (i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास हेतु आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं।

   (ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय–व्यय लेखे/प्राप्ति भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में उपयुक्ततः तैयार किए गए हैं।

   (iii) हमारी राय में, जहाँ तक इन बही खातों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि नियत परिसंपत्ति रजिस्टर को छोडकर अभिकरण द्वारा रा.ज.वि.अ. के विनियमों के नियम 19 में आवश्यक रूप से उपयुक्त लेखा बहीखाते तथा अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं।

   (iv) हम आगे सूचित करते हैं कि:

(क) तुलन पत्र

नियत परिसंपत्तियां – (अनुसूची 8) रूपये 3.04 करोड़

क.1 दो प्रभागों नामतः हैदराबाद और चेन्नै ने 50,735 रूपये प्रत्येक की लागत से ग्लोबल मैपर (वर्जन

18 स्टैंड एलोन लाइसंस) का क्रय किया है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर ''इंटेंजिबल असेट्स'' माने जाते हैं इसलिए इस मूल्य को पूंजीकृत करना आवश्यक था तथापि, रा.ज.वि.अ. ने चूंकि सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत नही किया जिसके कारण 1.01 लाख रूपये तक की परिसंपत्ति कम दर्शायी गई है। इसी सीमा तक देयताओं में भी पूंजीगत खाते कम दर्शाए गए हैं ।

क.2. रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने वर्ष 2016–17 में प्रतिक्रय योजना के अंतर्गत पुरानी फोटो कॉपियर मशीन को 5500 रूपये में बेचकर उसकी जगह रू. 162725.00 की लागत से एक नई फोटो कॉपियर मशीन का क्रय किया है। रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने नई परिसंपत्ति को जोड़कर (सकल मूल्य) रू. 162725.00 का व्यय बही खाते में दर्शाया है किन्तु पुरानी फोटो कॉपियर मशीन का बही मूल्य घटाया नहीं है। इसके कारण नियत परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा परिसंपत्तियों को 5500 रूपये में बेचकर होने वाली आय को कम दर्शाया गया है ।

क.3. रा.ज.वि.अ. ने चालू देयताओं में मंत्रालय को वापस किए जाने वाले अनुप्रयुक्त सहायता अनुदान रू. 5.95 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं किया है ।

ख– आय एवं व्यय लेखा

ख.1. वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में 8.51 लाख रूपए की उपयोग्य सामग्री का क्रय किया गया। हालांकि उपयोग्य सामग्री का रोकड शेष 3.52 लाख था तथापि उसे वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों का अवमूल्यन हुआ तथा 3.52 लाख रूपए का अधिक व्यय दर्शाया गया।

ख.2. दिनांक 31.03.2017 को रू. 48.74 करोड़ (ग्रेच्युटी के लिए रू. 31.67 करोड तथा अवकाश नकदीकरण के लिए 17.07 करोड़) की कुल देयताओं की तुलना में रा.ज.वि.अ. ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा निधि के लिए मात्र 35.48 करोड़ का प्रावधान रखा है। इस प्रकार सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रू. 13.26 करोड़ (48.74 करोड़ –35.48 करोड़) की कम राशि का प्रावधान रखा गया है।

ख.3. भोपाल प्रभाग तथा ग्वालियर प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ने मोटर वाहन क्रय के लिए क्रमशः रू. 06.61 लाख तथा 06.04 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया है। दिनांक 18.05.2017 को भोपाल प्रभाग को मोटर वाहन प्राप्त हो गया तथा इस मोटर वाहन पर रू. 0.50 लाख रूपये का मूल्यह्रास लगाया गया जबकि यह 2016–17 के बाद प्राप्त हुआ। ग्वालियर प्रभाग को दिनांक 17.11.2016 को मोटर वाहन प्राप्त हुआ तथा 49844 (आधा मूल्यह्रास) के स्थान पर 99688 (पूर्ण मूल्यह्रास) लगाया गया। इस प्रकार उपरोक्त लेन–देन के कारण आय एवं व्यय खातों में रू. 01.00 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा तुलन पत्र में (अनुसूची–1) में कार्पस/पूंजीगत निधि में इसी राशि को कम दर्शाया गया है ।

ख.4. ग्वालियर प्रभाग तथा अन्वेषण सर्किल हैदराबाद, रा.ज.वि.अ. ने क्रमशः रू. 0.27 लाख (दो वाहनों के लिए) तथा रू. 0.69 लाख (नौ वाहनों के लिए) का बीमा अधिभार का भुगतान किया है। रू. 0.96 लाख में से रू. 0.62 लाख (ग्वालियर सर्किल के लिए 0.16 लाख, हैदराबाद सर्किल के लिए रू. 0.46 लाख) जो वर्ष 2017–18 से संबंधित थे, उन्हें चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम (अनुसूची– 11) के शीर्ष के अंतर्गत पूर्व भुगतान व्यय में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार ''प्रशासनिक

व्यय'' के अधीन व्यय को अनुसूची 21 के आय तथा व्यय खाते के अंतर्गत रू. 0.62 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम (अनुसूची– 11) के शीर्ष में भी उतना ही व्यय कम दर्शाया गया है।

5.ख रू. 03,08,360/– (वलसाड प्रभाग रू. 1,38,650, वडोदरा प्रभाग रू. 48156/– तथा नासिक प्रभाग रू. 121554/–) रूपये की राशि को ''आय एवं व्यय खाता'' में ''प्राप्त ब्याज'' के अंतर्गत ''बचत खातों पर प्राप्त ब्याज'' में दर्शाया गया है।

तथापि, बैंक ने बचत खातों पर प्राप्त ब्याज के रूप में वलसाड प्रभाग के खाते में चार बार ब्याज के रूप में रू. 1,60,334 रूपये जमा किए हैं। बैंक ने वडोदरा प्रभाग के खाते में चार बार 61,716/– रूपये बचत खातों पर अर्जित ब्याज के रूप में जमा किए हैं। इसी प्रकार नासिक प्रभाग ने भी वर्ष 2016–17 में रू. 121554/– रूपए ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं। अतः वलसाड सर्किल ने अर्जित वास्तविक ब्याज 343604/– रूपये है। इसके कारण आय–व्यय खाता में रू. 35,244/– कम दर्शाए गए तथा तुलन पत्र में ''पूंजीगत निधि'' में इतनी ही राशि को कम दर्शाया गया है।

ग. प्राप्ति तथा भुगतान खाते

ग.1. रा.ज.वि.अ. ग्वालियर ने रू. 6.57 करोड़, हैदराबाद सर्किल कार्यालय ने रू. 12.20 करोड़ तथा वलसाड सर्किल कार्यालय ने रू. 4.79 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदान दर्शाया है जिसमें केवल मुख्यालय से प्राप्त अनुदान के रूप में क्रमशः रू. 5.49 करोड़, रू. 9.75 करोड़ तथा रू. 4.06 करोड़ रूपये शामिल है जिसमें लेखा समाधान की आवश्यकता है।

(घ) सहायता अनुदान

कुल सहायता अनुदान रू. 75.63 करोड़ में से (जिसमें वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त 70.01 करोड, पूर्व वर्ष में अनुप्रयोज्य रू. 4.22 करोड़ सहायता अनुदान तथा 0.08 करोड़ की अन्य प्राप्तियां रू. 0.04 करोड़ (वापसी योग्य ई एम डी तथा सुरक्षा जमा शामिल हैं) वर्ष 2016–17 के दौरान 69.68 करोड़ का ही उपयोग किया गया है जिससे कि वर्ष 2017–18 में 5.95 करोड़ रूपए की अनुदान राशि शेष बची है जिसका उपयोग नहीं किया गया है।

(च) प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है उनके उपचार/सुधार कार्य के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. का ध्यान आकर्षित कराया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे पर्यवेक्षणों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय से तथा हमें मिली पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित ऊपर बताए गए मामलों और अलग लेखापरीक्षा

रिपोर्ट के अनुलग्नक में सूचित किए मामलों की शर्तों पर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को पुष्ट करते हुए सच्ची और वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं।

क. जहां तक कि तुलन पत्र का संबंध है इसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के 31 मार्च, 2017 तक की गतिविधियों की स्थिति शामिल है, और

ख. जहां तक कि आय व व्यय लेखे का संबंध है इसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष शामिल है।

कृते भारत के महालेखा परीक्षक

हस्ताक्षरित

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 02.02.2018

(मनीष कुमार)
प्रमुख लेखा परीक्षा निदेशक (एस डी)

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

(i) जल संसाधन मंत्रालय (ज.सं.मं.) ने अप्रैल, 2017 में 2013–17 की आंतरिक लेखापरीक्षा की।

(ii) रा.ज.वि.अ. की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने 5 सर्किलों और 17 प्रभागों में से वर्ष 2016–17 में 2 सर्किलों[1] एवं 5 प्रभागों[2] की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

चूंकि रा.ज.वि.अ. मुख्यालय की आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र में कमियां पाई गई अतः निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता हैः

(i) एसोसिएशन ज्ञापन (2015) के उपनियम के खंड 22 में चार्टर्ड एकांउटेट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा किए जाने का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी लेखा परीक्षा सी ए जी कार्यालय द्वारा किया जाना निर्धारित नहीं किया गया है तथापि रा.ज.वि.अ. की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से सी ए जी कार्यालय द्वारा ही की जा रही है ना कि चार्टर्ड एकांउटेट द्वारा।

(ii) रा.ज.वि.अ. ने लेखा संबंधी नियमावली तैयार नहीं की है।

(iii) कार्य नियंत्रण रजिस्टर तथा अनुबंध रजिस्टर नहीं बनाया गया है।

(iv) बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर, परिग्रहण रजिस्टर, अनुदान सहायिकी रजिस्टर, उपभोज्य सामान का स्टॉक रजिस्टर तथा निवेश रजिस्टर और नियत परिसंपत्तियों के रजिस्टरों के निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं बनाया गया है।

3. संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

मुख्यालय कार्यालय तथा ग्वालियर सर्किल की स्टेशनरी तथा उपयोग योग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 31.03.2017 तक किया गया तथापि वलसाड, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर सर्किल की संपत्ति सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

4. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

1. 31.03.2017 तक केवल औजार एवं उपस्कर वस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। अनुसूची 8 के अनुसार फर्नीचर व जुड़नार, तकनीकी पुस्तकों, कार्यालय उपस्कर, वाहन आदि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

रा.ज.वि.अ. सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है।

उप निदेशक (ईए)

---

1. भुवनेश्वर तथा ग्वालियर सर्किल कार्यालय।

2. चेन्नई, ग्वालियर, जयपुर, भुवनेश्वर तथा बंगलौर, प्रभाग

मनीष कुमार

प्रधान निदेशक

सं.प्र.नि.ले.प./वै.वि./पर्या./एस ए आर/एन डब्ल्यू डी ए–एन डी/2017–18/1141

दिनांकः 02 फरवरी, 2018

मैंने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2016–17 के वार्षिक लेखों का लेखा परीक्षण किया है तथा दिनांक 02.02.2018 के पत्र द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है। लेखा परीक्षा के दौरान, कुछ कमियां (अनुलग्नक 'क') सामने आयीं जो अधिक महत्वपूर्ण न होने के कारण उन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। उपचारी एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिए यह आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

भवदीय

संलग्न क– यथोपरि

हस्ताक्षरित/–

प्रति– श्री संजय कुंडू,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण,
18–20, सामुदायिक केंद्र, साकेत,
नई दिल्ली –110017

अनुलग्नक "क"

1. अनुसूची 17 में बचत बैंक खातों तथा दीर्घ अवधि के अग्रिमों से अर्जित ब्याज को क्रमशः रू. 55.60 लाख[3] तथा 3.72 लाख[4] दर्शाया गया है और ब्याज की गणना नकद आधार पर की गई है जबकि यह एकरूप लेखा प्रारूप के प्रावधानों का उल्लंघन है जो प्रोद्भवन आधार पर किया जाना अनुबंधित है।

2. क. रा.ज.वि.अ. के समेकित खातों में कर्मचारियों को दिया गया ऋण तथा अग्रिम रू. 42.20 लाख था दर्शाया गया है जिसमें से रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में तीन अधिकारियों पर रू. 0.65 लाख 1985–86 से 2005–06 तक बकाया है।

   ख. अन्यों को ऋण तथा अग्रिम रू. 214.08 लाख था। इसमें से रू. 88.02 लाख रूपये रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में 12 पार्टियों पर दो वर्षों से अधिक समय से बकाया है।

3. अनुसूची 11 (ग) : प्राप्य दावे :

   रा.ज.वि.अ. के समेकित खातों में वसूली योग्य अवकाश वेतन रू. 33.12 लाख था। यह राशि 1987–88 से इकट्ठा हो रही है। इसी प्रकार दो वर्षों से अधिक समय से एन पी एस की रू. 2.60 लाख से अधिक राशि की वसूली की जानी है। पुरानी बकाया शेष राशि की वसूली के लिए उच्च स्तर पर भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जा सकता है।

4. अनुसूची 11 के अनुसार : वलसाड सर्किल कार्यालय के समेकित खातों से संलग्न वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि में हाथ में रोकड़ शेष तथा बचत बैंक खाता में रोकड़ शेष क्रमशः रू. 0.12 लाख तथा रू. 21.83 लाख दर्शाया गया है जबकि 31 मार्च, 2017 को वलसाड सर्किल कार्यालय के तुलन पत्र से जुड़ी अनुसूची 11 के अनुसार हाथ में रोकड़ शेष तथा बचत बैंक खाते में रोकड़ शेष क्रमशः रू. 16.74 लाख तथा रू. 5.21 लाख रूपये दर्शाया गया है जिसके कारण खातों के दो प्रारूपों में रू. 16.62 लाख का अंतर आ गया है। इसका परिशोधन किया जाना है।

5. अनुसूची– 9 में : उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश में मुख्यालय के संबंध में बचत खातों में शेष, नियत जमा तथा प्राप्त ब्याज को क्रमशः रू. 19.32 करोड़, रू. 14.80 करोड़ तथा रू. 1.36 करोड़ रूपये दर्शाया गया है जबकि कुल कालम में अंक रू. 9.52 करोड़, 12.40 करोड़ तथा 0.79 करोड़ दर्शाया गया है। इसका परिशोधन किया जाना है ।

6. अनुसूची 11 में : रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के संबंध में समेकित लेखों के साथ संलग्न चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम खाते में रू. 20.00 लाख की राशि भारत जल सप्ताह से वसूली योग्य ऋण अग्रिम के रूप में और रू. 0.39 लाख जी एस एल आई एस के अंतर्गत प्राप्य दावे के रूप में दर्शायी गई है। तथापि समेकित करते समय कुल योग में उपरोक्त को "कुल" के कॉलम के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है।

.....

3 मुख्यालय रू. 37.21 लाख, ग्वालियर सर्किल रू. 5.41 लाख, भुवनेश्वर सर्किल रू. 2.52 लाख, वलसाड सर्किल रू. 3.08 लाख, हैदराबाद सर्किल रू. 5.49 लाख और पटना सर्किल रू. 1.88 लाख

4 मुख्यालय रू. 1.62 लाख, ग्वालियर सर्किल रू. 0.42 लाख, भुवनेश्वर सर्किल रू. 0.86 लाख, वलसाड सर्किल रू. 0.05 लाख, हैदराबाद सर्किल रू. 0.70 लाख और पटना सर्किल रू. 0.66 लाख

7. अनुसूची 11 में : रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के संबंध में समेकित लेखों के साथ संलग्न चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम खाते में सी पी एफ के अंतर्गत प्राप्य दावे के रूप में रू. 52.03 लाख की राशि दर्शाई गई है जबकि अनुसूची 7 में समेकित खातों से संलग्न चालू देयताओं तथा प्रावधान खाते के सी पी एफ खाते की वर्तमान देयताओं को रू. 50.53 लाख दर्शाया गया है। इसमें परिशोधन की आवश्यकता है।

8. नागपुर प्रभाग ने भू–तकनीकी सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण तथा मृदा और चट्टान परीक्षण जैसे कुछ कार्य आउट सोर्स के तौर पर सरकारी तथा निजी पार्टियों से भी करवाए हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रभाग ने उपरोक्त संगठनों के साथ अनुबंध/समझौता ज्ञापन किया था। लेखा परीक्षा ने 7 मामलों में यह पाया है कि रू. 165.08 लाख की कुल लागत में से रा.ज.वि.अ. ने संबंधित संगठनों को रू. 83.45 लाख का भुगतान किया है। शेष राशि रू. 81.63 लाख रूपये का भुगतान कार्य पूरा होने के बाद किया जाना था। रा.ज.वि.अ. ने इस रू. 81.63 लाख की राशि को ''लेखों पर टिप्पणी'' में आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं दर्शाया है।

9. यह पाया गया कि झांसी प्रभाग ने मार्च, 2017 में रू. 0.34 लाख रूपये के एयर कंडीशनर तथा स्टैबलाइजर क्रय किए थे तथा इसे फर्नीचर तथा जुड़नार की जगह कार्यालय उपस्कर में दिखाया गया। चूंकि मूल्यह्रास उच्चतर दर (10% के बजाय 15% पर) अधिभार किया गया इसलिए परिसंपत्तियों को रू. 849.00 कम दर्शाया गया तथा इसी राशि का व्यय अधिक दर्शाया गया है।

10. यद्यपि पी बी एक्स प्रणाली को उपस्कर के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना था किन्तु रा.ज.वि.अ. मुख्यालय ने रख–रखाव, मरम्मत शीर्ष से मदों का मूल्य (रू. 0.25 लाख) डेबिट कर दिया इसके परिणाम स्वरूप लेखा बही में परिसंपत्तियों में इतनी ही कमी दर्शाई गई है।

11. आय और व्यय खातों में रू. 6.20 लाख रूपये की राशि ''ब्याज'' के रूप में दर्शाई गई हैं। प्रभागीय दस्तावेजों की छान–बीन से यह पता चला कि नागपुर प्रभाग ने ''प्रोद्भूत ब्याज'' के रूप में 0.57 लाख रूपये शामिल कर दिए हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वार्षिक खातों में इस मद को शामिल करने की पुष्टि करने के लिए बैंकर प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा ने आगे यह भी पाया कि मार्च, 2017 में बैंक ने बचत खाते में ब्याज के रूप में रू. 0.44 लाख रूपये डाले हैं। इस राशि को प्रभाग ने अपनी लेखा बही में शामिल नहीं किया है। परिणाम स्वरूप रू. 0.14 लाख रूपये आय को अधिक बताया गया है। तुलन–पत्र संपत्ति पक्ष में वर्तमान देयताओं में भी इतनी ही राशि को अधिक दर्शाया गया है।

हस्ताक्षरित/–
उप निदेशक (ईए)

31 मार्च, 2017 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट

	टिप्पणियां	उत्तर
(क)	**तुलन पत्र** **नियत परिसंपत्तियां – (अनुसूची 8) रूपये 3.04 करोड़**	
क.1	दो प्रभागों नामतः हैदराबाद और चेन्नै ने 50,735 रूपये प्रत्येक की लागत से ग्लोबल मैपर (वर्जन 18 स्टैंड एलोन लाइसंस) का क्रय किया है। चूंकि ये सॉफ्टवेयर ''इंटेंजिबल असेट्स'' माने जाते हैं इसलिए इस मूल्य को पूंजीकृत करना आवश्यक था तथापि, रा.ज.वि.अ. ने चूंकि सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत नही किया जिसके कारण 1.01 लाख रूपये तक की परिसंपत्ति कम दर्शायी गई है। इसी सीमा तक देयताओं में भी पूंजीगत खाते कम दर्शाए गए हैं।	चूंकि रा.ज.वि.अ. के कार्यालयी कार्यों को सुविधा पूर्वक करने के लिए सॉफ्टवेयर क्रय किया गया था अतः इसे मुख्य शीर्ष ''वर्क्स'' में दर्शाया गया था। इसलिए सॉफ्टवेयर के क्रय को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है अतः अनुरोध है कि पैरा छोड़ा जा सकता है।
क.2.	रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने वर्ष 2016–17 में प्रतिक्रय योजना के अंतर्गत पुरानी फोटो कॉपियर मशीन को 5500 रूपये में बेचकर उसकी जगह रू. 162725.00 की लागत से एक नई फोटो कॉपियर मशीन का क्रय किया है। रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने नई परिसंपत्ति को जोड़कर (सकल मूल्य) रू. 162725.00 का व्यय बही खाते में दर्शाया है किन्तु पुरानी फोटो कॉपियर मशीन का बही मूल्यु घटाया नहीं है। इसके कारण नियत परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाया गया है तथा परिसंपत्तियों को 5500 रूपये में बेचकर होने वाली आय को कम दर्शाया गया है।	चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी।
क.3.	रा.ज.वि.अ. ने चालू देयताओं में मंत्रालय को वापस किए जाने वाले अनुप्रयुक्ती सहायता अनुदान रू. 5.95 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं किया है।	प्रत्येक वर्ष जल संसाधन मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस राशि को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि सामान्यतः रा.ज.वि.अ. को नया अनुदान अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के अंत तक प्राप्त होता है अतः इस राशि का उपयोग मार्च माह का वेतन अप्रैल में देने और कार्यालय के अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है। उपयोग में ना लाई गई शेष बची राशि को आगे उपयोग में लाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुमोदन संदर्भ हेतु संलग्न है।
ख–	**आय एवं व्यय लेखा**	
ख.1.	वर्ष 2016–17 के दौरान रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में 8.51 लाख रूपए की उपयोज्य सामग्री का क्रय किया गया। हालांकि उपयोज्य सामग्री का रोकड शेष 3.52 लाख था तथापि उसे वार्षिक लेखों में नहीं दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों का अवमूल्यन हुआ तथा 3.52 लाख रूपए का अधिक व्यय दर्शाया गया।	उपयोज्य सामग्री त्रैमासिक आधार पर क्रय की जाती है। प्रत्येक वर्ष स्टेशनरी, साफ–सफाई से संबंधित कुछ सामग्री बच जाती है जिसे अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में लाया जाता है तथा पूर्व वर्ष में बची हुई सामग्री चालू वर्ष के दौरान उपयोग में लाई जाती है। यदि पूर्व के शेष को चालू वर्ष के शेष से घटा दिया जाए तो यह नाममात्र की राशि होगी तथा इससे चालू वर्ष के व्यय पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार माना जाए कि व्यय को अधिक

		नहीं दर्शाया गया है तथा चालू परिसंपत्तियों को भी कम नहीं दर्शाया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है ।
ख.2.	दिनांक 31.03.2017 को रू. 48.74 करोड़ (ग्रेच्युटी के लिए रू. 31.67 करोड तथा अवकाश नकदीकरण के लिए 17.07 करोड़) की कुल देयताओं की तुलना में रा.ज.वि.अ. ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा निधि के लिए मात्र 35.48 करोड़ का प्रावधान रखा है। इस प्रकार सेवानिवृत्ति लाभ के लिए रू. 13. 26 करोड़ (48.74 करोड़ –35.48 करोड़) की कम राशि का प्रावधान रखा गया है।	नोट किया। वर्ष 2017–18 के आगे ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण की कुल देयताओं को तुलन पत्र में दर्शाया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
ख.3.	भोपाल प्रभाग तथा ग्वालियर प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ने मोटर वाहन क्रय के लिए क्रमशः रू. 06.61 लाख तथा 06. 04 लाख रूपये का अग्रिम भुगतान किया है। दिनांक 18.05.2017 को भोपाल प्रभाग को मोटर वाहन प्राप्त हो गया तथा इस मोटर वाहन पर रू. 0.50 लाख रूपये का मूल्यह्रास लगाया गया जबकि यह 2016–17 के बाद प्राप्त हुआ। ग्वालियर प्रभाग को दिनांक 17.11. 2016 को मोटर वाहन प्राप्त हुआ तथा 49844 (आधा मूल्यह्रास) के स्थान पर 99688 (पूर्ण मूल्यह्रास) लगाया गया। इस प्रकार उपरोक्तय लेन–देन के कारण आय एवं व्यय खातों में रू. 01.00 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा तुलन पत्र में (अनुसूची–1) में कार्पस/ पूंजीगत निधि में इसी राशि को कम दर्शाया गया है।	मोटर वाहन को क्रय करने के लिए भोपाल प्रभाग ने रू. 06.61 लाख ऑनलाइन भुगतान सरकारी ई मार्केट को किया। हालांकि, भोपाल प्रभाग को दिनांक 18.05.2017 को मोटर वाहन प्राप्त हो गया। प्रभाग कार्यालय ने मोटर वाहन पर केवल 49565/– रूपये का ही मूल्यह्रास लगाया है (यह मानते हुए कि भोपाल प्रभाग को मार्च, 2017 तक परिसंपत्ति प्राप्त हो जाएगी इसलिए आधा मूल्यह्रास लगाया गया)। चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुधार कर लिया जाएगा। आगे, मोटर वाहन क्रय करने के लिए ग्वालियर प्रभाग, रा.ज.वि.अ. ने रू. 6.65 लाख (दिनांक 29.9.2016 को चैक संख्या 371059 द्वारा 604172 रूपये तथा दिनांक 25.11.2016 को चैक संख्या 371516 द्वारा 60417 रूपये) का भुगतान किया। यद्यपि ग्वालियर प्रभाग को मोटर वाहन दिनांक 17.11.2016 को प्राप्त हुआ। इसलिए, ग्वालियर प्रभाग द्वारा अधिभारित रू. 49844 का अतिरिक्त मूल्यह्रास ग्वालियर प्रभाग द्वारा अगले वित्त वर्ष 2017–18 में समायोजित कर लिया जाएगा। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
ख.4.	ग्वालियर प्रभाग तथा अन्वेषण सर्किल हैदराबाद, रा.ज. वि.अ. ने क्रमशः रू. 0.27 लाख (दो वाहनों के लिए) तथा रू. 0.69 लाख (नौ वाहनों के लिए) का बीमा अधिभार का भुगतान किया है। रू. 0.96 लाख में से रू. 0.62 लाख (ग्वालियर सर्किल के लिए 0.16 लाख हैदराबाद सर्किल के लिए रू. 0.46 लाख) जो वर्ष 2017–18 से संबंधित थे, उन्हें चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम (अनुसूची– 11) के शीर्ष के अंतर्गत पूर्व भुगतान व्यय में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार ''प्रशासनिक व्यय'' के अधीन व्यय को अनुसूची 21 के आय तथा व्यय खाते के अंतर्गत रू. 0.62 लाख अधिक दर्शाया गया है तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋण, अग्रिम (अनुसूची– 11) के शीर्ष में भी उतना ही व्यय कम दर्शाया गया है।	चूंकि रा.ज.वि.अ. कोई व्यावसायिक संगठन नहीं है तथा लेखा की केवल नकद प्रणाली ही अपनाई गई है इसलिए रा.ज.वि.अ. के लेखा नियमों के अनुसार केवल किराये और वेतन के लिए ही खातों में प्रावधान किया जाता है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।

<table>
<tr><td>ख.5.</td><td>रू. 03,08,360/– (वलसाड प्रभाग रू. 1,38,650, वडोदरा प्रभाग रू. 48156/– तथा नासिक प्रभाग रू. 121554/–) रूपये की राशि को ''आय एवं व्यय खाता'' में ''प्राप्त ब्याज'' के अंतर्गत ''बचत खातों पर प्राप्त ब्याज'' में दर्शाया गया है।
तथापि, बैंक ने बचत खातों पर प्राप्त ब्याज के रूप में वलसाड प्रभाग के खाते में चार बार ब्याज के रूप में रू. 1,60,334 रूपये जमा किए हैं। बैंक ने वडोदरा प्रभाग के खाते में चार बार 61,716/– रूपये बचत खातों पर अर्जित ब्याज के रूप में जमा किए हैं। इसी प्रकार नासिक प्रभाग ने भी वर्ष 2016–17 में रू. 121554/– रूपए ब्याज के रूप में अर्जित किए है। अतः वलसाड सर्किल नें अर्जित वास्तविक ब्याज रूपये 343604/– रूपये है। इसके कारण आय–व्यय खाता में रू. 35,244/– कम दर्शाए गए तथा तुलन पत्र में ''पूंजीगत निधि'' में इतनी ही राशि को कम दर्शाया गया है।</td><td>बैंक से प्राप्त रू. 35,244/– की बैंक से प्राप्त ब्याज राशि (वलसाड प्रभाग के लिए रू. 21,684/– तथा वडोदरा प्रभाग के लिए रूपये 13560/–) ही चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में ली गई है।
अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>ग .</td><td>प्राप्ति तथा भुगतान खाते</td><td></td></tr>
<tr><td>ग.1.</td><td>रा.ज.वि.अ. ग्वालियर ने रू. 6.57 करोड़, हैदराबाद सर्किल कार्यालय ने रू. 12.20 करोड़ तथा वलसाड सर्किल कार्यालय ने रू. 4.79 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदान दर्शाया है जिसमें केवल मुख्यालय से प्राप्त अनुदान के रूप में क्रमशः रू. 5.49 करोड़, रू. 9.75 करोड़ तथा रू. 4.06 करोड़ रूपये शामिल है जिसमें लेखा समाधान की आवश्यकता है।</td><td>रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा अन्वेषण सर्किल हैदराबाद, अन्वेषण सर्किल ग्वालियर और अन्वेषण सर्किल वलसाड को जारी की गई सहायता अनुदान राशि में अंतर उनके द्वारा कर्मचारियों से वसूले गए सी पी एफ /जी एस एल आई एस/एन पी एस की वसूली और उसे अपने पास रखने के कारण आया है। वार्षिक अंतिम सहायता अनुदान इन वसूलियों को हिसाब में लाने के बाद ही किया जाता है। विस्तृत स्पष्टीकरण निम्नानुसार है
<table>
<tr><th>सर्किल</th><th>मुख्यालय</th><th>अंतर</th></tr>
<tr><td>6.57</td><td>5.49</td><td rowspan="3">सी पी एफ/ जी एस एल आई एस / एन पी एस की वसूली प्रभागों के पास थी।</td></tr>
<tr><td>12.20</td><td>9.75</td></tr>
<tr><td>4.79</td><td>406</td></tr>
</table>
रा.ज.वि.अ. के सभी पदाधिकारियों के सी पी एफ/जी एस एल आई एस और नई पेंशन योजना के खातों का रखरखाव मुख्यालय नई दिल्ली में ही किया जाता है। प्रत्येक प्रभाग/ डी डी ओ द्वारा, चाहे उनकी तैनाती कहीं पर भी हो, सी पी एफ/जी एस एल आई एस और नई पेंशन योजना के लिए रा.ज.वि.अ. कर्मचारियों के वेतन से ही की गई कटौती की राशि संबंधित खातों में डालने के लिए रा.ज.वि.अ. मुख्यालय नई दिल्ली को भेजता है। दूसरी ओर, मुख्यालय, नई दिल्ली प्रभागों को अनुदान सहायिकी जारी करता है। प्रभागों में सी पी एफ/जी एस एल आई एस और नई पेंशन योजना के अंतर्गत कटौती की</td></tr>
</table>

		गई राशि को प्रभागों द्वारा मुख्यालय में भौतिक रूप से अंतरित करने तथा उसके बाद मुख्यालय से प्रभागों को अनुदान सहायिकी अंतरित करने से बचने के लिए रा.ज.वि.अ. में यह निर्णय लिया गया है कि प्रभागों में की गई कटौती/वसूली को वे अपने पास ही रखेंगे तथा केवल उसकी अनुसूची ही मुख्यालय को भेजी जाएगी। प्रभाग कार्यालयों द्वारा इस राशि की अनुदान सहायिकी के खाते में आवश्यक जर्नल में प्रविष्टि पास की जाएगी तथा अनुदान राशि की वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार, मुख्यालय भी प्रभागों की अनुदान सहायिकी में से घटा कर प्रविष्टि पास करेंगे और उसकी राशि सी पी एफ/जी एस एल आई एस और नई पेंशन योजना खातों में डाली जाएगी। सी पी एफ/जी एस एल आई एस और नई पेंशन योजना की कटौतियों का मिलान वित्तीय वर्ष के अंत में प्रभागों को जारी की गई कुल अनुदान सहायिकी से किया जाएगा। नकद लेन देन से बचने के लिए यह प्रणाली अपनाई गई है तथा किसी भी लेखा प्रणाली पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
(घ)	**सहायता अनुदान**	
	कुल सहायता अनुदान रू. 75.63 करोड़ में से (जिसमें वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त 70.01 करोड, पूर्व वर्ष में अनुप्रयोज्य रू. 4.22 करोड़ सहायता अनुदान तथा 0.08 करोड़ की अन्य प्राप्तियां रू. 0.04 करोड़ (वापसी योग्य ई एम डी तथा सुरक्षा जमा शामिल हैं) वर्ष 2016–17 के दौरान 69.68 करोड़ का ही उपयोग किया गया है जिससे कि वर्ष 2017–18 में 5.95 करोड़ रूपए की अनुदान राशि शेष बची है जिसका उपयोग नहीं किया गया है।	यह तथ्यों का विवरण है।
(च)	**प्रबंधन पत्र**	
	अनुलग्नक	
1.	**आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता**	
(i)	जल संसाधन मंत्रालय (ज.सं.मं.) ने अप्रैल, 2017 में 2013–17 की आंतरिक लेखापरीक्षा की।	यह तथ्यों का विवरण है।
(ii)	रा.ज.वि.अ. की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने 5 सर्किलों और 17 प्रभागों में से वर्ष 2016–17 में 2 सर्किलों एवं 5 प्रभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।	मुख्यालय में अधिक कार्य तथा पी एम के एस वाई और वित्तीय स्टाफ की कमी होने के कारण सभी कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करना संभव नहीं हो पाता। तथापि, और अधिक कार्यालयों की लेखापरीक्षा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
2	**आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**	

(i)	एसोसिएशन ज्ञापन (2015) के उपनियम के खंड 22 में चार्टर्ड एकांउटेट द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा किए जाने का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी लेखा परीक्षा सी ए जी कार्यालय द्वारा किया जाना निर्धारित नहीं किया गया है तथापि रा.ज.वि.अ. की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से सी ए जी कार्यालय द्वारा ही की जा रही है ना कि चार्टर्ड एकांउटेट द्वारा।	1994–95 से रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखापरीक्षा का कार्य प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों को सौंपा गया है तथा रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय को इसकी सूचना दिनांक 13.11. 1995 को इसकी 30वीं बैठक में दी गई।
(ii)	रा.ज.वि.अ. ने लेखा संबंधी नियमावली तैयार नहीं की है।	रा.ज.वि.अ. के समेकित लेखों की अनुसूची 24 एवं 25 में महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को दर्शाया गया है।
(iii)	कार्य नियंत्रण रजिस्टर तथा अनुबंध रजिस्टर नहीं बनाया गया है।	भविष्य के लिए नोट किया तथा इससे संबंधित रजिस्टर का रख रखाव किया जा रहा है।
(iv)	बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर, परिग्रहण रजिस्टर, अनुदान सहायिकी रजिस्टर, उपभोज्य सामान का स्टॉक रजिस्टर तथा निवेश रजिस्टर और नियत परिसंपत्तियों के रजिस्टरों को निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं बनाया गया है।	भविष्य में जी एफ आर–41 में उपयोग योग्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर रखा जाएगा। भविष्य में फार्मेट के अनुसार अन्य रजिस्टरों का भी रख रखाव किया जाएगा।
3.	**संपत्ति सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** मुख्यालय कार्यालय तथा ग्वालियर सर्किल की स्टेशनरी तथा उपयोग योग्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन 31.03.2017 तक किया गया तथापि वलसाड, हैदराबाद, पटना और भुवनेश्वर सर्किल की संपत्ति सूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।	आवश्यकतानुसार अनुभागों से प्राप्त/मांग/इंडेंट के आधार पर ही स्टेशनरी तथा उपयोज्य वस्तुओं का क्रय किया जाता है तथा संबंधित अनुभागों को इसे जारी कर दिया जाता है। क्रय के बाद, इस प्रकार की शेष सामग्री बहुत ही कम बचती है। इसलिए स्टेशनरी और उपयोज्य सामग्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। हालांकि, इन क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके अनुपालन के लिए इस पर्यवेक्षण के बारे में सूचित किया जाएगा । अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
4	**परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली** 1. 31.03.2017 तक केवल औजार एवं उपस्कर वस्तु. सूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। अनुसूची 8 के अनुसार फर्नीचर व जुड़नार, तकनीकी पुस्तकों, कार्यालय उपस्कर, वाहन आदि का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।	वर्ष 2016–17 के लिए परिसंपत्तियां जिनमें औजार एवं संयंत्र, फर्नीचर, जुड़नार तथा फिटिंग, कार्यालय उपस्कर, तकनीकी पुस्तकों, वाहनों तथा कम्प्यूटरों आदि शामिल हैं का भौतिक सत्यापन पहले ही किया जा चुका है। इसकी सूची लेखापरीक्षा पार्टी को दी जा चुकी है।
5.	**सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता** रा.ज.वि.अ. सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है।	यह तथ्यों का विवरण है।
	अनुलग्नक "क"	

1.	अनुसूची 17 में बचत बैंक खातों तथा दीर्घ अवधि के अग्रिमों से अर्जित ब्याज को क्रमशः रू. 55.60 लाख3 तथा 3.72 लाख4 दर्शाया गया है और ब्याज की गणना नकद आधार पर की गई है जबकि यह एकरूप लेखा प्रारूप के प्रावधानों का उल्लंघन है जो प्रोद्भवन आधार पर किया जाना अनुबंधित है।	सामान्यतः बैंक प्रति वर्ष जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च माह में ब्याज देता है अर्थात बैंक द्वारा बचत बैंक खातों पर पूरे वर्ष का ब्याज उसी वर्ष दिया जा रहा है अतः वर्ष के अंत में बचत बैंक खातों में कोई उपार्जित ब्याज नहीं बनता है । तथापि सेवानिवृत्ति तथा ग्रेच्युटी निधि (अनुसूची 3) तथा अंशदायी भविष्य निधि (अनुसूची–6) तथा जमाओं में निवेष पर अर्जित ब्याज वार्षिक खातों में दर्शाया गया है। जब भी देय हो तब दीर्घकालीन अग्रिमों पर ब्याज की वसूली की जाती है। इसलिए इस मामले में उपार्जित ब्याज नहीं लिया जा सकता है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
2.	क. रा.ज.वि.अ. के समेकित खातों में कर्मचारियों को दिया गया ऋण तथा अग्रिम रू. 42.20 लाख था दर्शाया गया है जिसमें से रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में तीन अधिकारियों पर रू. 0.65 लाख 1985–86 से 2005–06 तक बकाया है। ख. अन्यों को ऋण तथा अग्रिम रू. 214.08 लाख था। इसमें से रू. 88.02 लाख रूपये रा.ज.वि.अ. मुख्यालय में 12 पार्टियों पर दो वर्षों से अधिक समय से बकाया है।	चूंकि यह अग्रिम प्रतिनियुक्ति पर आए पूर्व अधिकारियों से संबंधित हैं अतः इसकी वसूली के लिए उनके मूल विभागों को निरंतर संपर्क किया जा रहा हैं। रू. 88.02 लाख में से 75.01 लाख रूपये कार्यालयी उद्देश्य के लिए पालिका भवन, नई दिल्ली में फ्लैट के लिए एन डी एम सी के पास सुरक्षा राशि के तौर पर जमा है। शेष 13.01 रूपए समायोजित किये जायेगें तथा लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।
3.	अनुसूची 11 (ग) : प्राप्य दावे : रा.ज.वि.अ. के समेकित खातों में वसूली योग्य अवकाश वेतन रू. 33.12 लाख था। यह राशि 1987–88 से इकट्ठा हो रही है। इसी प्रकार दो वर्षों से अधिक समय से एन पी एस की रू. 2.60 लाख से अधिक राशि की वसूली की जानी है। पुरानी बकाया शेष राशि की वसूली के लिए उच्च स्तर पर भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे संबंधित मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जा सकता है।	समय–समय पर उच्च स्तर पर अर्द्ध सरकारी पत्र भेज कर अवकाश वेतन के रूप में 33.12 लाख रूपये की वसूली के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
4.	अनुसूची 11 के अनुसार : वलसाड सर्किल कार्यालय के समेकित खातों से संलग्न वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि में हाथ में रोकड़ शेष तथा बचत बैंक खाता में रोकड़ शेष क्रमशः रू.0.12 लाख तथा रू.21.83 लाख दर्शाया गया है जबकि 31 मार्च, 2017 को वलसाड सर्किल कार्यालय के तुलन पत्र से जुड़ी अनुसूची 11 के अनुसार हाथ में रोकड़ शेष तथा बचत बैंक खाते में रोकड़ शेष क्रमशः रू.16.74 लाख तथा रू. 5.21 लाख रूपये दर्शाया गया है जिसके कारण खातों के दो प्रारूपों में रू.16.62 लाख का अंतर आ गया है। इसका परिशोधन किया जाना है।	इसे वर्ष 2016–17 के तुलन पत्र में पहले ही सुधारा जा चुका है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।

5.	अनुसूची– 9 में : उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश में मुख्यालय के संबंध में बचत खातों में शेष, नियत जमा तथा प्राप्त ब्याज को क्रमशः रू.19.32 करोड़, रू.14.80 करोड़ तथा रू.1.36 करोड़ रूपये दर्शाया गया है जबकि कुल कालम में अंक रू. 9.52 करोड़, 12.40 करोड़ तथा 0.79 करोड़ दर्शाया गया है। इसका परिशोधन किया जाना है।	समेकित तुलन पत्र की अनुसूची– 9 में ''बचत खाता'', ''नियत जमा'' तथा ''उपार्जित ब्याज'' से संबंधित कुल कालम में पूर्व वर्ष की संख्या' का त्रुटि वश टंकण हो गया है। तथापि उस कालम में कुल राशि सही दर्शायी गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
6.	अनुसूची 11 में : रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के संबंध में समेकित लेखों के साथ संलग्न चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम खाते में रू. 20.00 लाख की राशि भारत जल सप्ताह से वसूली योग्य ऋण अग्रिम के रूप में और रू. 0.39 लाख जी एस एल आई एस के अंतर्गत प्राप्य दावे के रूप में दर्शायी गई है। तथापि समेकित करते समय कुल योग में उपरोक्त को ''कुल'' के कॉलम के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है।	भारत जल सप्ताह से वसूली योग रू. 20.00 लाख की राशि तथा जी एस एल आई एस के अंतर्गत प्राप्य दावे के रूप में दर्शाई रू. 0.39 लाख को मुख्यालय के कॉलम में अनुसूची–11 में दर्शाया गया है, लेकिन त्रुटिवश इसे ''कुल'' कॉलम में नहीं दर्शाया गया है। हालांकि यह राशि पूर्व में ही ''कुल'' कॉलम में दर्शायी जा चुकी है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
7.	अनुसूची 11 में : रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के संबंध में समेकित लेखों के साथ संलग्न चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम खाते में सी पी एफ के अंतर्गत प्राप्य दावे के रूप में रू. 52.03 लाख की राशि दर्शाई गई है जबकि अनुसूची 7 में समेकित खातों से सलग्न चालू देयताओं तथा प्रावधान खाते के सी पी एफ खाते की वर्तमान देयताओं को रू. 50.53 लाख दर्शाया गया है। इसमें परिशोधन की आवश्यकता है।	सुझावों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुधार किए जाएंगे ।
8.	नागपुर प्रभाग ने भू–तकनीकी सर्वेक्षण, स्थलाकृति सर्वेक्षण तथा मृदा और चट्टान परीक्षण जैसे कुछ कार्य आउट सोर्स के तौर पर सरकारी तथा निजी पार्टियों से भी करवाए हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रभाग ने उपरोक्त संगठनों के साथ अनुबंध/समझौता ज्ञापन किया था। लेखा परीक्षा ने 7 मामलों में यह पाया है कि रू. 165.08 लाख की कुल लागत में से रा.ज.वि.अ. ने संबंधित संगठनों को रू. 83.45 लाख का भुगतान किया है। शेष राशि रू. 81.63 लाख रूपये का भुगतान कार्य पूरा होने के बाद किया जाना था। रा.ज.वि.अ. ने इस रू. 81.63 लाख की राशि को ''लेखों पर टिप्पणी'' में आकस्मिक देयताओं के रूप में नहीं दर्शाया है।	चूंकि रा.ज.वि.अ. एक व्यावसायिक संगठन नहीं है तथा लेखा की केवल नकद प्रणाली ही अपनाई जाती है, इसलिए वार्षिक खातों में आकस्मिक देयताओं को नहीं दर्शाया जा रहा है। यद्यपि वास्तव में कार्य पूरा होने के बाद ही भुगतान किया जाता है। यह अगले वित्त वर्ष में हो सकता है तथा उस वर्ष के बजट से इसका भुगतान किया जा सकता है। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।
9.	यह पाया गया कि झांसी प्रभाग ने मार्च, 2017 में रू. 0.34 लाख रूपये के एयर कंडीशनर तथा स्टैबलाइजर क्रय किए थे तथा इसे फर्नीचर तथा जुड़नार की जगह कार्यालय उपस्कर में दिखाया गया। चूंकि मूल्यह्रास उच्चतर दर (10: के बजाय 15: पर) अधिभार किया गया इसलिए परिसंपत्तियों को रू. 849.00 कम दर्शाया गया तथा इसी राशि का व्यय अधिक दर्शाया गया है।	नोट किया। वार्षिक खाते 2017–18 को अंतिम रूप देने से पूर्व, आवश्यक सुधार किया जाएगा। अतः कृपया पैरा छोड़ा जा सकता है।

10.	यद्यपि पी बी एक्स प्रणाली को उपस्कर के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना था किन्तु रा.ज.वि.अ. मुख्यालय ने रख रखाव, मरम्मत शीर्ष से मदों का मूल्य (रू. 0.25 लाख) डेबिट कर दिया इसके परिण ाम स्वरूप लेखा बही में परिसंपत्तियों में इतनी ही कमी दर्शाई गई है।	चालू वर्ष में आवश्यक प्रविष्टियां दी जाएगी जिन्हें वार्षिक खातों में दर्शाया जाएगा।
11.	आय और व्यय खातों में रू. 6.20 लाख रूपये की राशि ''ब्याज'' के रूप में दर्शाई गई हैं। प्रभागीय दस्तावेजों की छान–बीन से यह पता चला कि नागपुर प्रभाग ने ''प्रोद्भूत ब्याज'' के रूप में 0.57 लाख रूपये शामिल कर दिए हैं। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वार्षिक खातों में इस मद को शामिल करने की पुष्टि करने के लिए बैंकर प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है। लेखा परीक्षा ने आगे यह भी पाया कि मार्च, 2017 में बैंक ने बचत खाते में ब्याज के रूप में रू. 0.44 लाख रूपये डाले हैं। इस राशि को प्रभाग ने अपनी लेखा बही में शामिल नहीं किया है। परिणाम स्वरूप रू.0.14 लाख रूपये आय को अधिक बताया गया है। तुलन–पत्र संपत्ति पक्ष में वर्तमान देयताओं में भी इतनी ही राशि को अधिक दर्शाया गया है।	''बचत बैंक खाता पर ब्याज'' शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 3.4.2017 को 43861/– रूपये की राशि खाते में डाल दी गई है। सामान्यतः बैंक प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा मार्च माह में ब्याज देता है। इससे स्पष्ट है कि उस वर्ष बैंक बचत बैंक खातों पर पूरे वर्ष का ब्याज देता है अतः उस वर्ष बचत खातों पर वर्ष के अंत में कोई उपार्जित ब्याज देय नहीं है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
(अनुसूची सं.24) 2016–17

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण योजना व्यय के अंतर्गत लिया गया है।
2. वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक आधार पर परिसंपत्तियों की खरीद/जोड़ कर मूल्यह्रास की गणना की गई। (30 सितम्बर, 2016 तक अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए तथा 30 सितम्बर, 2016 के बाद अर्जित परिसंपत्तियों पर अर्धवार्षिक)
3. अंकित मूल्य पद्धति से निम्नलिखित दरों पर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

क.	भवन	10%
ख.	फर्नीचर, फिक्सचर तथा जुड़नार	10%
ग.	कार्यालय उपकरण	15%
घ.	कम्प्यूटर /अनुषांगिक	60%
ड.	औजार तथा संयंत्र	15%
च.	वाहन	15%
छ	तकनीकी पुस्तकें	60%
ज.	कैंप उपस्कार	15%

4. मार्च, 2017 मास के लिए वेतन तथा किराया लेखाओं में दिया गया है तथा इसे चालू देयताओं में बकाया व्यय के रूप में दिखाया गया है। (अनुसूची–7)
5. वर्ष 2016–17 के लिए देय लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान कर दिया गया है।(अनुसूची–7)
6. रा.ज.वि.अ. को पूरा निधियन भारत सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त होता है।
7. एम.ए.सी.पी. योजना लागू करने के वित्तीय निहितार्थ रा.ज.वि.अ. के मौजूदा बजट के भीतर पूरे किए जाएंगे।
8. भारत जल सप्ताह (आई.डब्लू.डब्लू.) के लेखे अलग से तैयार किए गए तथा इन्हें रा.ज.वि.अ. के खातों के साथ संलग्न किया गया है।
9. जल मंथन के लेखे अलग तैयार किए गए तथा इन्हें रा.ज.वि.अ. के खातों के साथ संलग्न किया गया है।
10. राशि को निकटतम रूपये में परिवर्तित कर दिया गया है।
11. सी.जी.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूपानुसार वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं।
12. वस्तुसूची मूल्यांकन –लागू नहीं।
13. विदेशी मुद्रा विनियम –शून्य

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी
(अनुसूची सं. 25) 2016–17

1.	आकस्मिक देयताएं	– कोई नहीं
2.	पूंजीगत आश्वासन	– लागू नहीं
3.	अनुबंध बाध्यताएं	– शून्य
4.	वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	– अनुसूची–11
5.	आयकर–आबंटनकर्ता संस्थान	– लागू नहीं
6.	विदेशी मुद्रा लेनदेन	– शून्य

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	94988141.00	83967779.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00
विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट / विन्यास निधि	3	354821998.00	227177524.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00
आस्थगित जमा देयताए	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	31484058.00	31502103.00
कुल		**481294197.00**	**342647406.00**
परिसंपतियां			
नियत परिसंपत्तियां	8	30461123.00	29009950.00
निवेश–उद्दिष्ट / विन्यास निधियों	9	354821998.00	227177524.00
निवेश–अन्य			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	0.00	0.00
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने)	11	96011076.00	86459932.00
समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		0.00	0.00
कुल		**481294197.00**	**342647406.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह. / –	ह. / –	ह. / –
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 का समेकित आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	20	**538038743.00**	**504438152.00**	विक्रय/सेवा से आय	12	**0.00**	**0.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	**61586698.00**	**59838934.00**	अनुदान/सहायिकी	13	**690883138.00**	**681785316.00**
निर्माण कार्य	21	**55440247.00**	**106214947.00**	(प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान एवं सहायिकी)			
नदियों को जोड़ने पर टास्क् फोर्स/	21	**32907655.00**	**12830038.00**	शुल्क/चंदा	14	**0.00**	**0.00**
विशेष प्रकोष्ठ	22	**0.00**	**0.00**	निवेश से आय (उदिदृष्ट/अक्षय निधियों			
अनुदान,	23	**0.00**	**0.00**	में निवेश से आय/निधियों से निधियों में			
सहायिकी आदि पर व्यय ब्याज	8	**7589555.00**	**8114576.00**	किया गया अंतरण)	15	**0.00**	**0.00**
				रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	**0.00**	**0.00**
				अर्जित ब्याज	17	**5931976.00**	**4223295.00**
				अन्य आय	18	**486840.00**	**145467.00**
				तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे			
				कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	**0.00**	**0.00**
कुल (ख)		**695562898.00**	**691436647.00**	**कुल (क)**		**697301954.00**	**686154078.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)							
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		**1739056.00**	**-5282569.00**				
सामान्य आरक्षण से/को अंतरण अधिशेष (कमी) के कारण शेष							
समग्र/पूंजीगत निधि में अंतरित करना		0.00	0.00				
विशिष्ट लेखा नीतियां							
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां		**1739056.00**	**-5282569.00**				

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 का समेकित आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. **आदि शेष**			**व्यय**		
क. रोकड़ शेष	67705.00	30173.00	क. स्थापना व्यय	**542734373.00**	**502337867.00**
ख. बैंक शेष			(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)		
i. बचत खातों में	49302475.00	42874156.00	ख. प्रशासनिक व्यय	**61148963.00**	**59944316.00**
ii. मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	0.00	0.00	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)		
ग. डाक टिकट शेष	39292.00	18706.00			
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	95206708.00	34771795.00			
			विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए		
II. **प्राप्त अनुदान**			**गए निवेश के लिए भुगतान**		
क. भारत सरकार से	700164444.00	690000000.00	लिंक नहर परियोजना	**88527902.00**	**117075087.00**
ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	0.00	0.00			
ग. राज्य सरकार से			**किए गए जमा तथा निवेश**		
III. **निवेश पर आय**	0.00	0.00	क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	**0.00**	**0.00**
क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	0.00	0.00	ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	**0.00**	**0.00**
ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00	सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.	**24000000.00**	**48500000.00**
IV. **प्राप्त ब्याज**			**नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**		
क. बैंक जमाओं पर रा.ज.वि.अ.	5508727.00	3710413.00			
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	1847899.00	65121.00	क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	**9281306.00**	**8188760.00**
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	371830.00	507158.00	ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	**0.00**	**0.00**
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			**ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**	**0.00**	**0.00**
नोटिस अवधि की राशि की वसूली	0.00	0.00	(ख) वाईब्रैंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	**0.00**	**2899.00**
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	626018.00	170526.00	**वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	**0.00**	**0.00**
विविध प्राप्तियां	93944.00	69096.00	**अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**		
			सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	**35454807.00**	**21130032.00**
VI. **उधार ली गई राशि**	0.00	0.00	सुरक्षा जमा/वापसी	**289279.00**	**52000.00**

VII. **कोई अन्य पावती (विवरण दें)**	2776673.00		कर्मचारियों को अग्रिम	**1806927.00**	**3585126.00**
प्राप्त एल एस पी सी	60809.00		भारत जल सप्ताह (आई.डब्लू .डब्लू.)–2016	**0.00**	**3000000.00**
			अन्य को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	**1837418.00**	**7523310.00**
अग्रिम तथा कर्जों की प्राप्ति			प्रेषणा/धरोहर जमा	**171000.00**	**159305.00**
– कर्मचारियों से	5501456.00	4425442.00	स्टेल चेक	**0.00**	**74831.00**
– अन्यों से	520404.00	8211587.00	**निष्पादन गारंटी/ई एम डी**	**1500.00**	**3379.00**
प्रेषणा	3900.00	9119.00	सी.पी.एफ.	**479189.00**	
कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	8000.00		टी डी एस	**11496.00**	
– भारत जल सप्ताह	1000000.00		जी एस एल आई एस	**722054.00**	
जी.एस.एल.आई.एस.	0.00	504849.00	**अंतिम शेष**		
एन.पी.एस.	27112.00				
सी.पी.एफ.	0.00	171000.00			
प्राप्त छुट्टी वेतन	90140.00	93172.00	सेवानिवृति और अनुदान निधि बचत बैंक	**193199800.00**	**95206708.00**
अग्रिम राशि जमा	299850.00	525579.00			
टेलिफोन प्राप्य	0.00	0.00	क. रोकड़ शेष	**101903.00**	**67705.00**
निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर राशि	38734.00	0.00	ख. बैंक शेष		
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्यूटी निधि लेखा	155600000.00	130000000.00	i. चालू खाते में	**59379604.00**	**49302475.00**
कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	21431.00	20500.00	ग. डाक शेष	**30030.00**	**39292.00**
टी डी एस	0.00	14700.00			
कुल	**1019177551.00**	**916193092.00**	**कुल**	**1019177551.00**	**916193092.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को सर्किलवार तुलनपत्र

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवने वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	68913867.00	8179615.00	2765706.00	2306601.00	9593633.00	3228719.00	**94988141.00**	83967779.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	354821998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**354821998.00**	227177524.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
आस्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	8264491.00	3632536.00	5709476.00	3342021.00	8924272.00	1611262.00	**31484058.00**	31502103.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति		2851857.00	4236952.00	3620971.00	1864813.00	1212939.00	684503.00	**14472035.00**	14472035.00
कुल		**434852213.00**	**16049103.00**	**12096153.00**	**7513435.00**	**19730844.00**	**5524484.00**	**495766232.00**	**357119441.00**
परिसंपत्तियां									
नियत परिसंपत्तियां	8	8818400.00	5585936.00	5483642.00	2914696.00	5085181.00	2573268.00	**30461123.00**	29009950.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	354821998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**354821998.00**	227177524.00
निवेश–अन्य	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	67810884.00	5775119.00	4318109.00	3921722.00	11309481.00	2875761.00	**96011076.00**	86459932.00
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने / समायोजित नहीं करने की सीमा तक)									
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों का अंतरण		3400931.00	4688048.00	2294402.00	677017.00	3336182.00	75455.00	**14472035.00**	14472035.00
कुल		**434852213.00**	**16049103.00**	**12096153.00**	**7513435.00**	**19730844.00**	**5524484.00**	**495766232.00**	**357119441.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24								
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणी	25								

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 में सर्किलवार आय तथा व्यय खाते (व्यय)

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
स्थापना व्यय	20	267734743.00	46064101.00	65126525.00	35246023.00	102022871.00	21844480.00	**538038743.00**	504438152.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	19398601.00	8327688.00	8788174.00	4263926.00	16315942.00	4492367.00	**61586698.00**	59838934.00
निर्माण कार्य	21	12208059.00	11512266.00	6659155.00	10656528.00	9482602.00	4921637.00	**55440247.00**	106214947.00
नदियों को जोड़ने पर टास्क् फोर्स/ विशेष प्रकोष्ठ	21	32907655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**32907655.00**	12830038.00
अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ब्याज	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
मूल्यह्रास	8	2753424.00	1211039.00	1186048.00	722638.00	1354159.00	362247.00	**7589555.00**	8114576.00
कुल (ख)		**335002482.00**	**67115094.00**	**81759902.00**	**50889115.00**	**129175574.00**	**31620731.00**	**695562898.00**	**691436647.00**
व्यय पर आय की अधिकता									
व्यय (क–ख)		**26709132.00**	**-3067405.00**	**-8241547.00**	**-2632013.00**	**-7956919.00**	**-3072192.00**	**1739056.00**	**-27885398.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अधिकता के कारण शेष (कमी)									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि को ले जाया गया		**26709132.00**	**-3067405.00**	**-8241547.00**	**-2632013.00**	**-7956919.00**	**-3072192.00**	**1739056.00**	**-27885398.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां									
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पण									

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (आय)

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवने वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
विक्रय/सेवा से आय	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुदान/सहायिकी	13	357708994.00	63230438.00	73131291.00	47936554.00	120540143.00	28335718.00	690883138.00	681785316.00
शुल्क/चंदा	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में निवेश से आय जो निधियों में अंतरित की गई हो)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्जित ब्याज	17	3883249.00	582961.00	338225.00	313033.00	619954.00	194554.00	5931976.00	4223295.00
अन्य आय	18	119371.00	234290.00	48839.00	7515.00	58558.00	18267.00	486840.00	145467.00
तैयार माल के स्टॉक तथा निर्माणाधीन कार्यों में वृद्धि (कमी)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (क)		361711614.00	64047689.00	73518355.00	48257102.00	121218655.00	28548539.00	697301954.00	686154078.00

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (प्राप्ति)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1. **आदि शेष**								
क. रोकड़ शेष	24090.00	20751.00	10402.00	4835.00	7627.00	0.00	**67705.00**	30173.00
ख. बैंक शेष								
i. चालू खातों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ii. बचत खातों में	21575410.00	5903050.00	6124701.00	3574493.00	8096969.00	4027852.00	**49302475.00**	42874156.00
iii. मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ग. डाक टिकट शेष	16587.00	3760.00	2812.00	2011.00	12959.00	1163.00	**39292.00**	18706.00
घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	95206708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**95206708.00**	34771795.00
II. **प्राप्त अनुदान**								
क. भारत सरकार से	360196498.00	65652726.00	74568099.00	48526845.00	121970033.00	29250243.00	**700164444.00**	690000000.00
ख. वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ग. राज्य सरकार से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
घ. अन्य स्रोतों से (विवरण)								
III. **निवेश से आय**								
क. उद्दिष्ट/विन्यास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ख. निजी निधि (अन्य निवेश)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
IV. **प्राप्त ब्याज**							**0.00**	0
क. बैंक जमाओं पर	3721135.00	541065.00	252105.00	308360.00	498092.00	187970.00	**5508727.00**	3710413.00
ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि	1847899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1847899.00**	65121.00
ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि	162114.00	41896.00	86120.00	4673.00	70443.00	6584.00	**371830.00**	507158.00
V. **अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)**								
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति	134813.00	316465.00	100920.00	15000.00	56870.00	1950.00	**626018.00**	170526.00
विविध प्राप्तियां	22635.00	25913.00	38000.00	20.00	6356.00	1020.00	**93944.00**	69096.00
VI. **उधार लिया गया धन**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00

VII. **कोई अन्य पावती (विवरण दें)**					2776673.00		**2776673.00**	
प्राप्त एल एस पी सी	60809.00						**60809.00**	
कर्ज तथा अग्रिमों की /वसूली								
– कर्मचारियों से	449271.00	624635.00	1329704.00	1452623.00	932830.00	712393.00	**5501456.00**	4425442.00
– अन्यों से	38404.00	0.00	482000.00	0.00	0.00	0.00	**520404.00**	8211587.00
प्रेषणा	3900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3900.00**	9119.00
कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**8000.00**	504849.00
एन.पी.एस.	27112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**27112.00**	171000.00
छुट्टी वेतन की प्राप्ति	0.00	21584.00	0.00	0.00	68556.00	0.00	**90140.00**	93172.00
धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	70000.00	78434.00	85000.00	0.00	0.00	66416.00	**299850.00**	525579.00
दूरभाष प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
निष्पादन गारंटी जमा	0.00	10000.00	0.00	28734.00	0.00	0.00	**38734.00**	0.00
टी.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	14700.00
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्यूटी निधि खाता	155600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**155600000.00**	130000000.00
भारत जल सप्ताह	1000000.00							
कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	0.00	0.00	4431.00	0.00	0.00	17000.00	**21431.00**	20500.00
कुल	**640165385.00**	**73240279.00**	**83084294.00**	**53917594.00**	**134497408.00**	**34272591.00**	**1018177551.00**	**916193092.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2016–17 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (प्राप्ति)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
I **व्यय**								
क. स्थापना व्यय	267463727.00	46081097.00	64962546.00	35151585.00	101452590.00	22081577.00	537193122.00	502337867.00
(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)								
ख. प्रशासनिक व्यय	19398601.00	8306480.00	8361206.00	4252926.00	16315378.00	4514371.00	61148962.00	59944316.00
(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)								
II. **विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए निधि** से किया गया भुगतान								
लिंक नहर परियोजना (निर्माण कार्य)	45115714.00	11512266.00	6839155.00	10656528.00	9482602.00	4921637.00	88527902.00	117075087.00
III. **किए गए जमा तथा निवेश**								
क. उद्दिश्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.	24000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24000000.00	48500000.00
IV. **कार्यों की प्रगति पर नियत तथा पूंजीगत व्यय**								
क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद	2487504.00	2422288.00	1436808.00	590291.00	1429890.00	914525.00	9281306.00	8188760.00
ख. बड़े कार्यों की प्रगति पर खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. **दीर्घावधि अग्रिम तथा ब्याज की वापसी**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 वां वायब्रैंट गुजरात व्यापार प्रदर्शिनी–2015, ज.सं.मं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2899.00
VI. **वित्तीय प्रभार (ब्याज)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. **अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**								
सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	35454807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35454807.00	21130032.00

धरोहर जमा/ई एम डी	0.00	207769.00	0.00	0.00	1500.00	81510.00	290779.00	52000.00
कर्मचारियों को अग्रिम	191061.00	0.00	0.00	1069350.00	414160.00	132356.00	1806927.00	3585126.00
स्टेल चेक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74831.00
अन्यों को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	786918.00	0.00	55000.00	0.00	95000.00	900500.00	1837418.00	7523310.00
भारत जल सप्ताह–2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00
प्रेषणा/धरोहर राशि जमा	0.00	171000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171000.00	159305.00
टी.डी.एस.	11496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11496.00	0.00
सी.पी.एफ.	6020441.00						6020441.00	
जी.एस.एल.आई.एस	722054.00						722054.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3379.00
VIII. **इति शेष**								
सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता	193199800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193199800.00	95206708.00
नियत जमा (एफ.डी.आर.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क. रोकड़ शेष	31474.00	33379.00	14361.00	12219.00	10470.00	0.00	101903.00	67705.00
ख. बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पण बचत खाते में	45270598.00	4501940.00	1413108.00	2183107.00	5285830.00	725021.00	59379604.00	49302475.00
ग. डाक शेष	11190.00	4060.00	2110.00	1588.00	9988.00	1094.00	30030.00	39292.00
घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	640165385.00	73240279.00	83084294.00	53917594.00	134497408.00	34272591.00	1019177551.00	916193092.00

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष	39717231.00	8824732.00	9570445.00	4348323.00	16120662.00	5386386.00	83967779.00	81038563.00
जमा– वर्ष के दौरान परि सम्पात्तियों की खरीद	2487504.00	2422288.00	1436808.00	590291.00	1429890.00	914525.00	9281306.00	8211785.00
उप कुल (क)	**42204735.00**	**11247020.00**	**11007253.00**	**4938614.00**	**17550552.00**	**6300911.00**	**93249085.00**	**89250348.00**
– ज.सं. मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्तियां (वाहन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	0.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
जमा/घटा : निवल आय का शेष /(व्यय) आय तथा व्यय खाते से अंतरित	26709132.00	-3067405.00	-8241547.00	-2632013.00	-7956919.00	-3072192.00	1739056.00	-5282569.00
उप कुल (ख)	26709132.00	-3067405.00	-8241547.00	-2632013.00	-7956919.00	-3072192.00	1739056.00	-5282569.00
वर्ष के अंत में शेष	**68913867.00**	**8179615.00**	**2765706.00**	**2306601.00**	**9593633.00**	**3228719.00**	**94988141.00**	**83967779.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–3 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. निधियों का आकस्मिक रोकड शेष								
(सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)								
बैंक बचत खाते	95206708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**95206708.00**	**34771795.00**
नियत जमाएं (एफ.डी.आर.)	124000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**124000000.00**	75500000.00
ख. निधियों में जमा								
बैंक ब्याज : प्राप्त	1847899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1847899.00**	65121.00
उपार्जित	13622198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**13622198.00**	7970816.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	155600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**155600000.00**	130000000.00
ग. घटा उपयोग/व्यय								
घटा किए गए भुगतान	35454272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**35454272.00**	-21130032.00
घटा बैंक अधिभार	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**535.00**	-176.00
कुल	**354821998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354821998.00**	**227177524.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–7 : उद्दिष्ट/ विन्यास निधियां (सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.वर्तमान देयताएं								
अन्य. वर्तमान देयताएं								
बकाया व्यय :								
वेतन तथा भत्ते	7633344.00	3405444.00	4968782.00	2801794.00	8017638.00	1422507.00	28249509.00	27403888.00
किराया, दर तथा कर	0.00	138658.00	525811.00	112328.00	200330.00	106339.00	1083466.00	656730.00
प्रेषणा	13019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13019.00	9119.00
स्टेल चैक	0.00	0.00	0.00	0.00	494209.00	0.00	494209.00	0.00
अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1138862.00
जी.एस.एल.आई.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682837.00
अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त)	60809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60809.00	74615.00
बकाया लेख परीक्षा शुल्क	191500.00	78434.00	214883.00	287000.00	110000.00	82416.00	964233.00	1098162.00
धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	62615.00							
निष्पादन गारंटी जमा	0.00	10000.00	0.00	140899.00	102095.00	0.00	252994.00	123190.00
सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
टी.डी.एस.	3204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3204.00	14700.00
उप कुल (क)	7964491.00	3632536.00	5709476.00	3342021.00	8924272.00	1611262.00	31184058.00	31202103.00
ख. प्रावधान								
देय लेखापरीक्षा शुल्क	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00
सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल (ख)	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300000.00	300000.00
कुल योग	**8264491.00**	**3632536.00**	**5709476.00**	**3342021.00**	**8924272.00**	**1611262.00**	**31484058.00**	**31502103.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8: नियत परिसंपत्तियों का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	सकल संपतियाँ				मूल्यह्रास				शुद्ध कुल संपतियाँ	
	वर्ष के प्रारम्भ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत प्रारम्भ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्ष तक	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्व वर्ष के अंत तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. नियत परिसंपत्तियां										
भवन	5825436	0	0	5825436.00	5612840	21260	0	5634100	191336	212596
औजार तथा संयंत्र	19252179	220100	264952	19207327	17374919	296615	253727	17417807	1789520	1877260
मोटर वाहन	24476181	3777000	3369165	24884016.00	16641676	1568766	3208091	15002351	9881665	8226567
फर्नीचर तथा जुड़नार	19623559	1797904	323395	21098068	10005905	1050530	272145	10784290	10313778	9620331
कार्यालय उपस्कर	15572124	1121392	2105327	14588189	10810089	641700	1059169	10392620	4195569	4762035
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	29165034	3875728	671758	32369004.00	24967759	3991443	663573	28295629	4073375	4276040
तकनीकी पुस्तकें	366377	0	0	366377	335326	18631	0	353957	12420	31051
कैंप उपस्कर	19910	0	439	19471	15840	610	439	16011	3460	4070
								0		
उप कुल	**114300800**	**10792124**	**6735036**	**11835788**	**85764354**	**7589555**	**5457144**	**87896765**	**30461123**	**29009950**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग	**114300800.00**	**10792124.00**	**6735036.00**	**118357888.00**	**85764354.00**	**7589555.00**	**5457144.00**	**87896765.00**	**30461123.00**	**29009950.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ : 2 वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	बलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5825436.00**
औजार तथा संयंत्र	4708778.00	6551964.00	1650928.00	3638489.00	1992348.00	709672.00	**19252179.00**
मोटर वाहन	5155162.00	4536521.00	5321868.00	3047193.00	4832231.00	1583206.00	**24476181.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	5365086.00	2600324.00	4076972.00	2115547.00	3259954.00	2205676.00	**19623559.00**
कार्यालय उपस्कर	5783093.00	2449873.00	2297835.00	1652869.00	3029071.00	359383.00	**15572124.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	11140530.00	3172883.00	3891683.00	3874563.00	5947834.00	1137541.00	**29165034.00**
तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	27083.00	3619.00	14732.00	370.00	**366377.00**
कैंप उपस्कर	0.00	10010.00	9900.00	0.00	0.00	0.00	**19910.00**
उप कुल	**38283735.00**	**19336498.00**	**17276269.00**	**14332280.00**	**19076170.00**	**5995848.00**	**114300800.00**
					0		
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**38283735.00**	**19336498.00**	**17276269.00**	**14332280.00**	**19076170.00**	**5995848.00**	**114300800.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपति विवरण (स्तंभ : 3 वर्ष के दौरान जमा)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
औजार तथा संयंत्र	0.00	0.00	0.00	103500.00	116600.00	0.00	**220100.00**
मोटर वाहन	688049.00	1344493.00	646924.00	424912.00	0.00	672622.00	**3777000.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	521906.00	648714.00	261229.00	135727.00	212838.00	17490.00	**1797904.00**
कार्यालय उपस्कर	187125.00	200531.00	47787.00	82440.00	478842.00	124667.00	**1121392.00**
कम्प्यूटर/संबंधी उपकरण	2176330.00	228550.00	480868.00	268624.00	621610.00	99746.00	**3875728.00**
तकनीकी पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
कैंप उपस्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
उप कुल	**3573410.00**	**2422288.00**	**1436808.00**	**1015203.00**	**1429890.00**	**914525.00**	**10792124.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**3573410.00**	**2422288.00**	**1436808.00**	**1015203.00**	**1429890.00**	**914525.00**	**10792124.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 4 : वर्ष के दौरान कटौती)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
औजार तथा संयंत्र	0.00	207127.00	939.00	47417.00	9469.00	0.00	**264952.00**
मोटर वाहन	1082142.00	1264722.00	483821.00	424912.00	113568.00	0.00	**3369165.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	0.00	124002.00	96615.00	12186.00	78202.00	12390.00	**323395.00**
कार्यालय उपस्कर	1085906.00	60296.00	402265.00	71515.00	485345.00	0.00	**2105327.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	0.00	96068.00	167520.00	0.00	408170.00	0.00	**671758.00**
तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
कैंप उपस्कर	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**439.00**
उप कुल	**2168048.00**	**1752654.00**	**1151160.00**	**556030.00**	**1094754.00**	**12390.00**	**6735036.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**2168048.00**	**1752654.00**	**1151160.00**	**556030.00**	**1094754.00**	**12390.00**	**6735036.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ – 5 – वर्ष में लागत/मूल्यांकन)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवने वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5825436.00**
औजार तथा संयंत्र	4708778.00	6344837.00	1649989.00	3694572.00	2099479.00	709672.00	**19207327.00**
मोटर वाहन	4761069.00	6344837.00	5484971.00	3047193.00	4718663.00	2255828.00	**24884016.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	5886992.00	4616292.00	4241586.00	2239088.00	3394590.00	2210776.00	**21098068.00**
कार्यालय उपस्कर	4884312.00	3125036.00	1943357.00	1663794.00	3022568.00	484050.00	**14588189.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	13316860.00	3305365.00	42058031.00	4143187.00	6161274.00	1237287.00	**32369004.00**
तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	27089.00	3619.00	14732.00	370.00	**366377.00**
कैंप उपस्कर	0.00	9571.00	9900.00	0.00	0.00		**19471.00**
	0.00						
उप कुल	**39689097.00**	**23760861.00**	**55414923.00**	**14791453.00**	**19411306.00**	**6897983.00**	**118357888.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**39689097.00**	**23760861.00**	**55414923.00**	**14791453.00**	**19411306.00**	**6897983.00**	**118357888.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 : वर्ष के आरंभ में)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवने वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5612840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5612840.00**
औजार तथा संयंत्र	4518685.00	6061658.00	1324317.00	3181754.00	1722393.00	566112.00	**17374919.00**
मोटर वाहन	2746482.00	3105983.00	3190489.00	2603070.00	3520326.00	1475326.00	**16641676.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	2904541.00	1259627.00	2254038.00	1034116.00	1745662.00	807921.00	**10005905.00**
कार्यालय उपस्कर	3290133.00	2012028.00	1801066.00	1463291.00	2060677.00	182894.00	**10810089.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	9891066.00	2389979.00	3387024.00	3384106.00	4975024.00	940560.00	**24967759.00**
तकनीकी पुस्तकें	279033.00	14495.00	24054.00	3457.00	13945.00	342.00	**335326.00**
कैंप उपस्कर	0.00	9953.00	5887.00	0.00	0.00	0.00	**15840.00**
उप कुल	**29242780.00**	**14853723.00**	**11986875.00**	**11669794.00**	**14038027.00**	**3973155.00**	**85764354.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**29242780.00**	**14853723.00**	**11986875.00**	**11669794.00**	**14038027.00**	**3973155.00**	**85764354.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 7 वर्ष के दौरान जमा पर)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	21260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**21260.00**
औजार तथा संयंत्र	28514.00	72627.00	48990.00	75724.00	49226.00	21534.00	**296615.00**
मोटर वाहन	458797.00	355342.00	416254.00	125428.00	196763.00	16182.00	**1568766.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	273935.00	165193.00	194555.00	114566.00	161703.00	140578.00	**1050530.00**
कार्यालय उपस्कर	237308.00	80021.00	77064.00	33322.00	178161.00	35824.00	**641700.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	1717640.00	537591.00	446766.00	373501.00	767833.00	148112.00	**3991443.00**
तकनीकी पुस्तकें	15970.00	257.00	1817.00	97.00	473.00	17.00	**18631.00**
कैंप उपस्कर	0.00	8.00	602.00	0.00	0.00	0.00	**610.00**
उप कुल	**2753424.00**	**1211039.00**	**1186048.00**	**722638.00**	**1354159.00**	**362247.00**	**7589555.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**2753424.00**	**1211039.00**	**1186048.00**	**722638.00**	**1354159.00**	**362247.00**	**7589555.00**

नोटः परिसंपत्तियों के शीर्ष में आपसी बदलाव करने के लिए अन्वेतषण सर्किल, पटना द्वारा वर्ष 2016–17 में रू. 8114576/–(रू.8521392/–रू. 406816/–) ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। इसे स्तंभ–8 में शामिल किया गया है जिससे वर्ष 2016–17 स्तंभ 9 में ली गई कुल राशि समायोजित हो गई है।

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 8 वर्ष के दौरान कटौती पर)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
औजार तथा संयंत्र	0.00	199671.00	914.00	43759.00	9383.00	0.00	**253727.00**
मोटर वाहन	1044065.00	1189080.00	469465.00	392062.00	113419.00	0.00	**3208091.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	0.00	105494.00	70995.00	10449.00	74520.00	10687.00	**272145.00**
कार्यालय उपस्कर	81442.00	55406.00	388452.00	69405.00	464464.00	0.00	**1059169.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	0.00	94476.00	164822.00	0.00	404275.00	0.00	**663573.00**
तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
कैंप उपस्कर	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**439.00**
उप कुल	**1125507.00**	**1644566.00**	**1094648.00**	**515675.00**	**1066061.00**	**10687.00**	**5457144.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**1125507.00**	**1644566.00**	**1094648.00**	**515675.00**	**1066061.00**	**10687.00**	**5457144.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 9 वर्ष के अंत तक कुल)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	5634100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5634100.00**
औजार तथा संयंत्र	4547199.00	5934614.00	1372393.00	3213719.00	1762236.00	587646.00	**17417807.00**
मोटर वाहन	2161214.00	2272245.00	3137278.00	2336436.00	3603670.00	1491508.00	**15002351.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	3178476.00	1319326.00	2377598.00	1138233.00	1832845.00	937812.00	**10784290.00**
कार्यालय उपस्कर	3445999.00	2036643.00	1489678.00	1427208.00	1774374.00	218718.00	**10392620.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	11608706.00	2833094.00	3668968.00	3757607.00	5338582.00	1088672.00	**28295629.00**
तकनीकी पुस्तकें	295003.00	14752.00	25871.00	3554.00	14418.00	359.00	**353957.00**
कैंप उपस्कर	0.00	9522.00	6489.00	0.00	0.00	0.00	**16011.00**
उप कुल	**30870697.00**	**14420196.00**	**12078275.00**	**11876757.00**	**14326125.00**	**4324715.00**	**87896765.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			0.00				
कुल योग	**30870697.00**	**14420196.00**	**12078275.00**	**11876757.00**	**14326125.00**	**4324715.00**	**87896765.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 10 चालू वर्ष के अंत में)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	191336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**236218.00**
औजार तथा संयंत्र	161579.00	410223.00	277596.00	480853.00	337243.00	122026.00	**1789520.00**
मोटर वाहन	2599855.00	2344047.00	2347693.00	710757.00	1114993.00	764320.00	**9881665.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	2708516.00	1805710.00	1863988.00	1100855.00	1561745.00	1272964.00	**10313778.00**
कार्यालय उपस्कर	1438313.00	553465.00	453679.00	236586.00	1248194.00	265332.00	**4195569.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	1708154.00	472271.00	536063.00	385580.00	822692.00	148615.00	**4073375.00**
तकनीकी पुस्तकें	10647.00	171.00	1212.00	65.00	314.00	11.00	**12420.00**
कैंप उपस्कर	0.00	49.00	3411.00	0.00	0.00	0.00	**3460.00**
उप कुल	**8818400.00**	**5585936.00**	**5483642.00**	**2914696.00**	**5085181.00**	**2573268.00**	**30461123.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**8818400.00**	**5585936.00**	**5483642.00**	**2914696.00**	**5085181.00**	**2573268.00**	**30461123.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–8 : नियत परिसंपतियों का विवरण (स्तंभ 11 पूर्व वर्ष के अंत में)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क. नियत परिसंपत्तियां							
भवन	212596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**212596.00**
औजार तथा संयंत्र	190093.00	490306.00	326611.00	456735.00	269955.00	143560.00	**1877260.00**
मोटर वाहन	2408680.00	1430538.00	2131379.00	836185.00	1311905.00	107880.00	**8226567.00**
फर्नीचर तथा जुड़नार	2463222.00	1340697.00	1822934.00	1081431.00	1514292.00	1397755.00	**9620331.00**
कार्यालय उपस्कर	2492960.00	437845.00	496769.00	189578.00	968394.00	176489.00	**4762035.00**
कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	1328229.00	782904.00	504659.00	490457.00	972810.00	196981.00	**4276040.00**
तकनीकी पुस्तकें	26617.00	428.00	3029.00	162.00	787.00	28.00	**31051.00**
कैंप उपस्कर	0.00	57.00	4013.00	3619.00	0.00	0.00	**4070.00**
उप कुल	**9122397.00**	**4482775.00**	**5289394.00**	**3058167.00**	**5038143.00**	**2022693.00**	**29009950.00**
ख. पूंजीगत कार्य–प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग	**9122397.00**	**4482775.00**	**5289394.00**	**3058167.00**	**5038143.00**	**2022693.00**	**29009950.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–9 : उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से निवेश (सेवानिवृत्ति तथा ग्रैच्युटी निधि)

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1 उद्दिष्ट निधि से निवेश								
सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता	193199800.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**95206708.00**	95206708.00
नियत जमा	148000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**124000000.00**	124000000.00
उद्भूत ब्याज	13622198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7970816.00**	7970816.00
कुल योग	**354821998.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**354821998.00**	**227177524.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसंपत्तियां								
रोकड़ शेष	31475.00	33379.00	14361.00	12217.00	10470.00	0.00	**101902.00**	67705.00
बचत बैंक खाते में शेष	45270597	4501940.00	1413108.00	2183107.00	5285830.00	725021	**59379603.00**	49302475.00
चालू खाते में शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
डाक टिकट शेष	11190.00	4060.00	2110.00	1590.00	9988.00	1094.00	**30032.00**	39292.00
मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
रा.ज.वि.अ. सेवानिवृत्ति लाभ खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
उप कुल (क)	**45313262.00**	**4539379.00**	**1429579.00**	**2196914.00**	**5306288.00**	**726115.00**	**59511537.00**	**49409472.00**
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य– परिसंपत्तियां								
ऋण तथा अग्रिम:								
कर्मचारियो को	886312.00	588311.00	761460.00	319174.00	1137664.00	527613.00	**4220534.00**	6591586.00
अन्य को	13512906.00	554007.00	1484122.00	693812.00	4262874.00	900500.00	**21408221.00**	26736080.00
भारत जल सप्ताह	2000000.00							
उप कुल (ख)	**16399218.00**	**1142318.00**	**2245582.00**	**1012986.00**	**5400538.00**	**1428113.00**	**25628755.00**	**33327666.00**
ग. प्राप्य दावे								
वसूली योग्य अवकाश वेतन	746687.00	93422.00	587948.00	711822.00	450505.00	721533.00	**3311917.00**	3419030.00
प्रतिभूति जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	11000.00
नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	259921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**259921.00**	287033.00
प्रेषणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
सी.पी.एफ.	5052579.00	0.00	55000.00	0.00	95000.00	0.00	**5202579.00**	0.00
जी.एस.एल.आई.एस.	39217.00							
उद्भूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	57150.00	0.00	**57150.00**	5731.00
उप कुल (ग)	**6098404.00**	**93422.00**	**642948.00**	**711822.00**	**602655.00**	**721533.00**	**8831567.00**	**3722794.00**
कुल योग	**67810884.00**	**5775119.00**	**4318109.00**	**3921722.00**	**11309481.00**	**2875761.00**	**96011076.00**	**86459932.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : वर्तमान परिसंपतियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रूपये में)

	विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
1	सहायता अनुदान (केन्द्रं सरकार)	357708994.00	63230438.00	73131291.00	47936554.00	120540143.00	28335718.00	**690883138.00**	**681788215.00**
2	सातवॉ वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी हेतु सहायता अनुदान जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**-2899.00**
	कुल योग	**357708994.00**	**63230438.00**	**73131291.00**	**47936554.00**	**120540143.00**	**28335718.00**	**690883138.00**	**681785316.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. बचत बैंक खातों पर	3721135.00	541065.00	252105.00	308360.00	549511.00	187970.00	**5560146.00**	3716144.00
ख. ऋण तथा अग्रिम	162114.00	41896.00	86120.00	4673.00	70443.00	6584.00	**371830.00**	507151.00
ग. अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
कुल	**3883249.00**	**582961.00**	**338225.00**	**313033.00**	**619954.00**	**194554.00**	**5931976.00**	**4223295.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–18 : अन्य आय

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
परिसंपत्तियों का निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	96736.00	208377.00	43708.00	7495.00	51202.00	247.00	407765.00	55864.00
विविध आय	22635.00	0.00	0.00	20.00	7356.00	1020.00	31031.00	69103.00
नोटिस अवधि की राशि की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निविदा फार्म आदि की ब्रिकी	0.00	25913.00	5131.00	0.00	0.00	17000.00	48044.00	20500.00
कुल	**119371.00**	**234290.00**	**48839.00**	**7515.00**	**58558.00**	**18267.00**	**486840.00**	**145467.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–20 : स्थापना व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्श
क. वेतन तथा पगार (वेतन)	32492344.00	13007759.00	22395335.00	13432881.00	34811144.00	7958789.00	**124098252.00**	121832985.00
ख. भत्ते तथा बोनस	61217295.00	33056342.00	42731190.00	21813142.00	66816969.00	13885691.00	**239520629.00**	228711163.00
ग. भविष्य निधि में अंशदान (सी.पी.एफ.) तथा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	22114373.00
घ सी.पी.एफ. पर ब्याज	16890980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16890980.00**	0.00
ड. सी.पी.एफ./जी.एस.एल.आई.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	155600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**155600000.00**	130000000.00
छ. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	265685.00	0.00	0.00	0.00	394758.00	0.00	**660443.00**	660371.00
ज. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	1268439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1268439.00**	1119260.00
कुल	**267734743.00**	**46064101.00**	**65126525.00**	**35246023.00**	**102022871.00**	**21844480.00**	**538038743.00**	**504438152.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. यात्रा व्यय	2569089	3957662.00	2714778.00	1611081.00	3991456.00	2770979.00	**17615045.00**	18528338.00
ख. कार्यालय व्यय								
विद्युत प्रभार	1600722	378335.00	519148.00	169112.00	827646.00	79700.00	**3574663.00**	3650277.00
दूरभाष तथा ट्रंक कॉल	693090	180266.00	302187.00	95011.00	160559.00	97859.00	**1528972.00**	1524881.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	180054	63350.00	45569.00	54509.00	93009.00	23241.00	**459732.00**	381346.00
जल प्रभार	46309	56546.00	257276.00	0.00	81541.00	0.00	**441672.00**	224471.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	850943	46135.00	48761.00	22101.00	22902.00	17737.00	**1008579.00**	1133359.00
वाहन	0	21676.00	2500.00	5109.00	11021.00	10036.00	**50342.00**	60573.00
वर्दी	33765	16920.00	21731.00	11555.00	36504.00	18536.00	**139011.00**	116713.00
टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2901.00	**2901.00**	6638.00
डाक टिकट	199088	58998.00	58692.00	36173.00	93198.00	13324.00	**459473.00**	475373.00
रबड़ स्टैंप	0	0.00	470.00	1390.00	4210.00	460.00	**6530.00**	13082.00
कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
बैंक प्रभार	1292	6824.00	6874.00	2067.00	1724.00	2572.00	**21353.00**	133150.00
विविध व्यय	300954	158577.00	227903.00	152434.00	192084.00	262731.00	**1294683.00**	1390811.00
वकील का शुल्क	0	16620.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	**25720.00**	47755.00
आतिथ्य	94607	16065.00	24368.00	6515.00	11008.00	1176.00	**153739.00**	114075.00
विज्ञापन	92316	24754.00	0.00	1369.00	7015.00	3326.00	**128780.00**	286111.00
लेखा परीक्षा शुल्क	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
इंटरनेट अधिभार	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
ई टी डी एस शुल्क				0.00	11060.00	0.00		
अन्य प्रशसनिक व्यय	110070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**110070.00**	113072.00
अन्य शुल्क	668074							
ग. **किराया, दर व कर**	9221126	1621896.00	3049926.00	1356238.00	9514025.00	647409.00	25410620.00	23156903.00

घ	**मरम्मत तथा रखरखाव**	2737102	1703064.00	1498891.00	739262.00	1256980.00	540380.00	8475679.00	8482006.00
	उप कुल	**19398601**	**8327688.00**	**8788174.00**	**4263926.00**	**16315942.00**	**4492367.00**	**61586699.00**	**59838934.00**
					0.00		0.00		
ड.	**निर्माण काय**	12208059.00	11512266.00	6659155.00	10656528.00	9482602.00	4921637.00	55440247.00	106214947.00
च.	**7 वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी'**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	उप कुल	**12208059.00**	**11512266.00**	**6659155.00**	**10656528.00**	**9482602.00**	**4921637.00**	**55440247.00**	**106214947.00**
छ.	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति/प्रकोष्ठ	**32907655.00**	0.00	0.00		0.00		**32907655.00**	12830038.00
	कुल	**64514315.00**	**19839954.00**	**15447329.00**	**14920454.00**	**25798544.00**	**9414004.00**	**149934601.00**	**178883919.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को प्राप्ति एवं भुगतान का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–20 क : स्थापना व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. वेतन तथा पगार (वेतन)	36854916.00	13067010.00	22435744.00	13431006.00	34625101.00	8079669.00	**128493446.00**	126025944.00
ख. भत्ते तथा बोनस	56583707.00	33014087.00	42526802.00	21720579.00	66432731.00	14001908.00	**234279814.00**	223318136.00
ग. भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
घ सी.पी.एफ. पर ब्याज	16890980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**16890980.00**	21209424.00
ड. जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय								
(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	155600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**155600000.00**	130000000.00
छ. नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	1268439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1268439.00**	1119260.00
ज. अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	265685.00	0.00	0.00	0.00	394758.00	0.00	**660443.00**	660371.00
झ. नई पेंशन योजना	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	4732.00
कुल	**267463727.00**	**46081097.00**	**64962546.00**	**35151585.00**	**101452590.00**	**22081577.00**	**537193122.00**	**502337867.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2017 को प्राप्ति एवं भुगतान का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 क : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क. यात्रा व्यय	2569089.00	3957662.00	2714778.00	1611081.00	3991456.00	2770979.00	**17615045.00**	18608338.00
ख. कार्यालय व्यय								
विद्युत प्रभार	1600722.00	378335.00	519148.00	169112.00	827646.00	79700.00	**3574663.00**	3650277.00
दूरभाष तथा ट्रंक कॉल	693090.00	180266.00	302187.00	84011.00	160559.00	97859.00	**1517972.00**	1524881.00
प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	180054.00	63350.00	45569.00	54509.00	93009.00	23241.00	**459732.00**	381346.00
जल प्रभार	46309.00	56546.00	257276.00	0.00	81541.00	0.00	**441672.00**	224471.00
स्टेशनरी तथा मुद्रण	850943.00	46135.00	48761.00	22101.00	22902.00	17737.00	**1008579.00**	1133359.00
वाहन	0.00	21676.00	2500.00	5109.00	11021.00	10036.00	**50342.00**	60573.00
वर्दी	33765.00	16920.00	21731.00	11555.00	36504.00	18536.00	**139011.00**	116713.00
टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2901.00	**2901.00**	6638.00
डाक टिकट	199088.00	58998.00	58692.00	36173.00	93198.00	13324.00	**459473.00**	475373.00
रबड़ स्टैंप	0.00	0.00	470.00	1390.00	4210.00	460.00	**6530.00**	13082.00
कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
बैंक प्रभार	1292.00	6824.00	6874.00	2067.00	1724.00	2572.00	**21353.00**	133326.00
विविध व्यय	300954.00	158577.00	227903.00	152434.00	192084.00	262731.00	**1294683.00**	1390811.00
वकील का शुल्क	0.00	16620.00	9100.00	0.00	0.00	0.00	**25720.00**	47755.00
आतिथ्य	94607.00	16065.00	24368.00	6515.00	11008.00	1176.00	**153739.00**	114075.00
विज्ञापन	92316.00	24754.00	0.00	1369.00	7015.00	3326.00	**128780.00**	286111.00
लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
इंटरनेट अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	110070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**110070.00**	113072.00
बट्टा खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	343.00

	ई.टी.डी.एस. शुल्क					11060.00	0.00		
	अन्य शुल्क	668074.00							
ग.	**किराया, दर व कर**	9221126.00	1600688.00	2622958.00	1356238.00	9513461.00	669413.00	**24983884.00**	23181766.00
घ	**मरम्मत तथा रखरखाव**	2737102.00	1703064.00	1498891.00	739262.00	1256980.00	540380.00	**8475679.00**	8482006.00
	उप कुल	**19398601.00**	**8306480.00**	**8361206.00**	**4252926.00**	**16315378.00**	**4514371.00**	**60469828.00**	**59944316.00**
	नदियों के अंतर्योजन पर								
ड.	**विशेष समिति/प्रकोष्ठ**	32907655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**32907655.00**	12830038.00
च.	**निर्माण कार्य**	12208059.00	11512266.00	6839155.00	10656528.00	9482602.00	4921637.00	**55620247.00**	104245049.00
	7 वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक								
छ.	**व्यापार प्रदर्शनी**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	उप कुल	**45115714.00**	**11512266.00**	**6839155.00**	**10656528.00**	**9482602.00**	**4921637.00**	**88527902.00**	**117075087.00**
	कुल	**64514315.00**	**19818746.00**	**15200361.00**	**14909454.00**	**25797980.00**	**9436008.00**	**148997730.00**	**177019403.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2017 का तुलन पत्र

अनुसूची–21 क : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं			
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1		0
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2		0
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3		0
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		0
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		0
आस्थगित जमा देयताएं	6	24714761	25003092
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	704350240	652591656
कुल		**729065001**	**677594748**
परिसंपत्तियां			
नियत परिसंपत्तियां	8		
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9		
निवेश–अन्य	10	661101370	636089701
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	67963631	41505047
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)			
कुल		**729065001**	**677594748**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सरकारी अंशदान	11696758	12065823	एफ.डी.आर पर ब्याज	16521475	10807672
सरकारी अंशदान पर ब्याज	23009706	23560702	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	27676812	25118078
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	27960284	27499055	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1664024	2284037
बैंक प्रभार	1347	1639	एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	3324327	3507110
			सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए प्राप्त छूट	---	410233
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान	3409522	1243352	कमी	16890979	22243441
कुल	**66077617**	**64370571**	**कुल**	**66077617**	**64370571**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक आदि शेष			अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	25011874	31326718
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	27941220	67768933	पूरा एवं अंतिम भुगतान	56293982	23601325
पंजाब नेशनल बैंक	12424964	11175608	अंतिम आहरण	19945016	22240570
सरकारी प्रतिभूतियां परिपक्व	30800000	15200000	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	45709522	69933119
नियत जमाओं की परिपक्व	55200000	53844786	एफ.डी.आर. में निवेश	69000000	105000000
बचत खाते पर ब्याज	1664024	2284037	बैंक प्रभार	1348	1639
एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	3324327	3507110	नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान	--	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	27676812	25118078	नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान		
नियत जमाओं पर ब्याज	16521475	10807672	बैंक जमा		
कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी की किस्त पर नियोक्ता तथा सरकार का अशंदान	108372551	102763331	पंजाब नेशनल बैंक	7512888	27941220
			स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	60450743	12424964
कुल	**283925373**	**292469555**	**कुल**	**283925373**	**292469555**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2017)

(राशि रूपये में)

अनुसूची–6 : आस्थगित जमा देयताएं	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण		
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	24714761	25003092

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2017)

(राशि रूपये में)

अनुसूची–7 : आस्थगित जमा देयताएं			**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	
विवरण					
कर्मचारियों का अंशदान					
आदि शेष		350263212.00		304501947.00	
वर्ष के दौरान जमा					
कर्मचारियों का अंशदान	74905892.00			71367600.00	
अग्रिमों की वापसी	10368198.00			10057239.00	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	27964975.00	113239065.00	---	27499055.00	
		463502277.00		413425841.00	
वर्ष के दौरान कटौती					
बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण	---			---	
अंतिम भुगतान	34163005.00			9766341.00	
अंतिम आहरण	19945016.00			22240570.00	
सदस्यों को ऋण/अग्रिम	25011874.00			31155718.00	
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	---	79119895.00	384382382.00	63163629.00	350263212.00
कर्मचारियों का दावा नहीं किया गया अंशदान			122694.00	122694.00	122694.00
नियोक्ता का अंशदान					
आदि शेष		302205750.00		280414209.00	
वर्ष के दौरान जमा					
नियोक्ता का अंशदान	11708107.00			12065823.00	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	23009706.00	34717813.00		23560702.00	
				35626525	
		336923563.00		316040734.00	
वर्ष के दौरान कटौती					
अंतिम भुगतान	22130977.00				
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	---	22130977.00		13834984.00	
			314792586.00	302205750.00	302205750.00
रा.ज.वि.अ. खाता			5052578		
-		**कुल**	**704350240.00**	**652591656.00**	

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2017)

अनुसूची–10 : निवेष –अन्य

(राशि रूपये में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत जमा	255000000		
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	20467041	275467041	261514337
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	341075000		
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	3416638	344491638	333386978
विशेष जमा योजना	40311609		
जमा–प्रोद्दभूत ब्याज	831082	**41142691**	41188386
कुल		**661101370**	**636089701**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2017)

अनुसूची–11 : वर्तमान परिसम्पतियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि रूपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
का. अ.प्र. झांसी रा.ज.वि.अ. से प्राप्त	----------	171000
रा.ज.वि.अ.	0	967863
बैंक शेष		
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, साकेत, नई दिल्ली	7512888	27941220
पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	60450743	12424964
कुल	**67963631**	**41505047**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

अनुसूची–I

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

वर्ष 2016–17 के लिए सी.पी.एफ. अभिदान (कर्मचारी अंशदान) तथा अग्रिम की वापसी का माहवार विवरण

(राशि रूपये में)

माह	अभिदान (कर्मचारी अंशदान)	अग्रिमों की वापसी	कुल
अप्रैल, 2016	6167504	886984	7054488
मई, 2016	6208441	856589	7065030
जून, 2016	6218804	842873	7061677
जुलाई, 2016	6318635	869868	7188503
अगस्त, 2016	6329381	853318	7182699
सितम्बर, 2016	6180261	869398	7049659
अक्टूबर, 2016	6265840	887505	7153345
नवम्बर, 2016	6168445	884920	7053365
दिसम्बर, 2016	6191854	863645	7055499
जनवरी, 2017	6205854	867406	7073260
फरवरी, 2017	6382770	860646	7243416
मार्च, 2017	6228103	825046	7053149
कुल	**74865892**	**10368198**	**85234090**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

अनुसूची–II

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
वर्ष 2016–17 में अंतिम और पूरा भुगतान/अंतरण का विवरण

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम श्री/श्रीमती/कुमारी	सी.पी.एफ. लेखा संख्या	कर्मचारी का अशंदान (अभिदान)	नियोक्ता का अंशदान	कुल
1	श्री तारा कुमार बराल, प्रारूपकार	4	78434	587857	666291
2	श्रीमती जी.वी.वी. सत्यनारामनम्मा , प्रारूपकार	494	258339	483968	742307
3	श्री टी.एम. भट्टाचार्य, प्र.श्रे.लि.	809	1073422	390211	1463633
4	श्री एम.पी. गुप्ता, निदेशक (वित्त)	955	2621651	698734	3320385
5	श्री डी.सी. मकवाना, एम.टी.एस.	592	1013909	388155	1402064
6	श्री एम.आर. पटेल, प्र.श्रे.लि.	575	1703482	584089	2287571
7	श्री प्रताप सिंह, वाहन चालक	373	61163	532221	593384
8	श्री के. वेंकट रामन, आशुलिपिक	496	1208858	806394	2015252
9	श्री पी.वी. नारायण, अधीक्षक	391	1111641	740205	1851846
10	श्री के. जयरमन, प्रारूपकार	728	548212	146627	694839
11	श्री के. सदाशिवन, नि.श्रे.लि.	785	1071225	410283	1481508
12	श्री ए. सम्बावशिव राय, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	433	478321	968955	1447276
13	श्रीमती टी.एन. संगीता, आशुलिपिक	438	1976152	788907	2765059
14	श्री चेतराम, प्रारूपकार,	31	3619462	733851	4353313
15	श्री जे.के. जुरानी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	520	2324529	961944	3286473
16	श्री के. श्रीहरि, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	387	2057687	973211	3030898
17	श्री अरशद खान, वाहन चालक	908	1642031	594296	2236327
18	स्च. पी.के.मिश्रा, कार्यपालक अभियंता	358	3406545	1307279	4713824
19	श्री आर.पी. रावत, कार्यपालक अभियंता	328	628176	1443494	2071670
20	श्री एच.एन. दीक्षित, मुख्य अभियंता	321	1101820	1777262	2879082
21	श्री एन.के. सिंह, सहायक निदेशक	39	1146215	1127378	2273593
22	श्री एम. गंगाहनुमय्या, एम.टी.एस.	112	551367	414892	966259
23	श्री एम.सी. गुडप्पाठ, एम.टी.एस.	87	466758	450170	916928
24	श्री बृजमोहन शाक्य, एम.टी.एस.	327	130079	406624	536703
25	श्री एल. प्रेमन, वाहन चालक	155	225015	569773	794788
26	श्री सी.तुलसीधरन एम.टी.एस.	151	248837	448672	697509
27	श्री टी.एस.आर. मूर्ति, आशुलिपिक	457	255896	763394	1019290
28	श्री एस. भद्रा, अ.श्रे.लि.	745	990020	471093	1461113
29	श्री मेहताब सिंह, प्रारूपकार	289	1403128	722253	2125381
30	श्री एस.एस. मजूमदार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी	171	686670	1039794	1726464
31	श्री बी. सम्बनय्या, एम.टी.एस.	462	73961	398991	472952
		कुल	**34163005**	**22130977**	**56293982**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

अनुसूची–III

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा अनुसूची को दिखाने वाली विवरणिका

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	नियत जमा संख्या (एफ.डी.आर)	राशि	ब्याज की दर (%)	पूर्णता की तिथि	पूर्णता राशि	जिससे एफ.डी.आर क्रय की गइ
						स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड. जयपुर, साकेत, नई दिल्ली
1	677427 दि. 8.6.12	8000000	9.5	06-08-2017	12792879	वही
2	677437 दि. 11.6.12	8000000	9.5	06-11-2017	12792879	वही
3	677461 दि. 14.6.12	8000000	9.5	14-6-17	12792879	वही
4	674425 दि. 19.10.12	8000000	9	19-10-17	12484074	वही
5	674439 दि. 22.10.12	8000000	9	22-10-17	12484074	वही
6	674444 दि. 23.10.12	8000000	9	23-10-17	12484074	वही
7	679975 दि. 2.2.15	8250000	8.5	02-02-2018	10617904	वही
8	679981 दि. 3.2.15	8250000	8.5	03-02-2018	10617904	वही
9	679987 दि. 4.2.15	8250000	8.5	04-02-2018	10617904	वही
10	679989 दि. 5.2.15	8250000	8.5	05-02-2018	10617904	वही
11	681272 दि. 20.4.15	9000000	8.5	20-04-2018	11583168	वही
12	681304 दि. 24.4.15	9000000	8.5	24-04-2018	11583168	वही
13	681313 दि. 27.4.15	9000000	8.5	27-04-2018	11583168	वही
14	681316 दि. 28.4.15	9000000	8.5	28-04-2018	11583168	वही
15	681312 दि. 29.4.15	9000000	8.5	29-04-2018	11583168	वही
16	681736 दि. 27.7.15	9000000	8.15	24-06-2018	11388744	वही
17	681737 दि. 27.7.15	9000000	8.15	27-06-2018	11388744	वही
18	682381 दि. 18.01.16	8400000	7.75	18-12-2018	10508529	वही
19.	682386 दि. 19.01.16	8400000	7.75	19-12-2018	10508529	वही
20	682394 दि. 20.01.16	8400000	7.75	20-12-2018	10508529	वही
21	682398 दि. 21.01.16	8400000	7.75	21-12-2018	10508529	वही
22	682424 दि. 25.01.16	8400000	7.75	25-12-2018	10508529	वही
23	682676 दि. 18.04.16	9000000	7.5	18-03-2019	11174286	वही
24	682684 दि. 19.04.16	9000000	7.5	19-03-2019	11174286	वही
25	882213 दि. 21.07.16	8000000	7.5	21-07-2019	9997731	केनरा बैंक,साकेत, नई दिल्ली
26	882217 दि. 22.07.16	8000000	7.5	22-07-2019	9997731	वही
27	882219 दि. 26.07.16	8000000	7.5	26-07-2019	9997731	वही
28	955671 दि. 20.2.2017	9000000	7	19-02-2018	9646277	एसबीबीजे, साकेत, नई दिल्ली
29	955672 दि. 21.2.2017	9000000	7	20-02-2018	9646277	वही
30	955677 दि. 22.2.2017	9000000	7	21-02-2018	9646277	वही
	कुल	255000000				

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

अनुसूची–IV

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा अनुसूची को दिखाने वाली विवरणिका

(राशि रूपये में)

क्र.सं.	प्रोमिसरी नोट सं.	क्रय की तिथि	फेस मूल्य	पूर्णता अवधि
1	6.05% जी एस 2019	20.01.2006	2600000	12.01.2019
2	10.45% जी एस 2018	26.09.2007	2500000	30.04.2018
3	6.25% जी एस 2018	09.05.2008	5700000	02.01.2018
4	6.35% जी एस 2020	24.09.2009	13625000	02.01.2020
5	6.90% जी एस 2019	19.01.2010	15000000	13.07.2019
6	6.35% जी एस 2024	22.04.2010	11800000	02.01.2020
7	8.20% जी एस 2024	12.08.2010	6200000	15.09.2024
8	6.20% जी एस 2014	23.12.2010	13950000	15.09.2024
9	8.20% जी एस 2023	25.05.2011	7200000	10.11.2023
10	8.08% जी एस 2022	02.08.2011	5500000	02.08.2022
11	8.79% जी एस 2021	08.12.2011	6900000	08.11.2021
12	8.28% जी एस 2027	02.03.2012	14800000	21.09.2027
13	8.28% जी एस 2027	19-06-2012	15800000	21-09-2027
14	8.33% जी एस 2026	31-10-2012	15200000	09-072026
15	8.35% जी एस 2024	06-07-2013	25600000	27-03-2024
16	8.20% जी एस 2025	25-11-2013	9100000	25-09-2025
17	8.28% जी एस 2027	13-02-2014	12300000	21-09-2027
18	7.16% जी एस 2023	27-03-2014	7600000	20-05-2023
19	6.90% जी एस 2026	17.7.2014	11000000	4.2.2026
20	8.20% जी एस 2025	15.9.2014	6700000	24.9.2025
21	8.35% जी एस 2024	3.2.2015	20600000	27.3.2024
22	8.35% जी एस 2024	16.4.2015	29000000	27.3.2024
23	7.16% जी एस 2023	4.8.2015	12400000	25.5.2023
24	7.68% जी एस 2023	21.1.2016	27700000	15.12.2023
25	8.40% जी ओ आई 2026	26.4.2016	11000000	24.7.2024
26	7.95% जी ओ आई 2024	3.8.2016	14800000	18.2.2026
27	7.73% जी ओ आई 2034	24.3.2016	9000000	19.12.2034
28	7.32% जी ओ आई 2032	24.3.2016	75000000	2.8.2032
	कुल		**341075000**	

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 का तुलन पत्र

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष
पूंजीगत निधि तथा देयताएं		
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	1	(-)1086193
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2	0.00
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	3	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00
आस्थगित जमा देयताएं	6	0.00
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	2000000.00
कुल		**913807.00**
परिसंपत्तियां		
नियत परिसंपत्तियां	8	0.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों	9	0.00
निवेश–अन्य	10	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	913807.00
विविध व्यय		0.00
(बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		
कुल		**913807.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25	

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 का समेकित आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	अनुसूची	भारत जल सप्ताह 2016	आय	अनुसूची	भारत जल सप्ताह 2016
स्थापना व्यय	20	**0.00**	विक्रय/सेवा से आय	12	**0.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	**42599229.00**	अनुदान/सहायिकी	13	**10000000.00**
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	**0.00**	प्राप्त अप्रत्याादेय अनुदान एवं सहायिकी)		
ब्याज	23	**0.00**	शुल्क/चंदा	14	**25464449.00**
			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण)	15	**0.00**
			रॉयल्टी, प्रकौीन आदि से आय	16	**0.00**
			अर्जित ब्याज	17	**337812.00**
			अन्य आय	18	**11065.00**
			तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	**0.00**
कुल (ख)		**42599229.00**	**कुल (क)**		**35813326.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (ख–क)		**6785903.00**			
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)					
सामान्य आरक्षण से/को अंतरण		0.00			
अधिशेष (कमी) के कारण शेष का समग्र/पूंजीगत निधि में अंतरित करना		**6785903.00**			
विशिष्ट लेखा नीतियां					
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां					

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

	प्राप्ति	भारत जल सप्ताह 2016		भुगतान	भारत जल सप्ताह 2016
I.	**आदि शेष**		I.	**व्यय**	
	क. रोकड़ शेष	**20000.00**		क. स्थापना व्यय	**0.00**
	ख. बैंक शेष			(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	
	पप बचत खातों में	**5679710.00**		ख. प्रशसनिक व्यय	**42852829.00**
	पपप मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	**0.00**		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	
	ग. डाक टिकट शेष	**0.00**			
			II.	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए**	
II.	**प्राप्त अनुदान**			गए निवेश के लिए भुगतान	
	क. भारत सरकार से	**10000000.00**		लिंक नहर परियोजना	**0.00**
	ख. राज्य सरकार से	**0.00**			
			III.	**किए गए जमा तथा निवेश**	
III.	**निवेश पर आय से**			क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	**0.00**
	क. उद्दिष्ट /अक्षय निधि	**0.00**		ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	**0.00**
	ख. अपनी निधि (निवेश पर)	**0.00**			
IV.	**प्राप्त ब्याज**		IV.	**नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**	
	क. बैंक जमाओं पर रा.ज.वि.अ. सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	**337812.00**		क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	**0.00**
	ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	**0.00**		ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	
V.	**अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)**			ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी	**0.00**
	नोटिस अवधि की राशि की वसूली	**11908204.00**	V.		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	**9731894.00**		**वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	**0.00**
	विविध प्राप्तियां	**11065.00**	VI.	**अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)**	**0.00**
	पंजीकरण /प्रतिनिधिमंडल	**899328.00**			
				अंतिम शेष	
VI.	**उधार ली गई राशि**	**2000000.00**	VII.	क. रोकड़ शेष	**0.00**
VII.	**कोई अन्य पावती (विवरण दें)**			ख. बैंक शेष	
	साथी देश इजराइल	**2925023.00**		i. चालू खाते में एस.बी.बी.जे	**28169.00**
	अन्य प्राप्तियां			एच.डी.एफ.सी.	**632038.00**
				ग. डाक शेष	
	कुल	**43513036.00**		**कुल**	**43513036.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 का तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि

(राशि रूपये में)

विवरण	भारत जल सप्ताह 2016
वर्ष के प्रारंभ में शेष	5699710.00
उप कुल (क)	**5699710.00**
– बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	
जमा/घटा : निवल आय का शेष/	
(व्यय) आय तथा व्यय खाते से अंतरित	6785903.00
उप कुल (ख)	6785903.00
वर्ष के अन्त में शेष	**-1086193.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–7 : वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान

(राशि रूपये में)

	विवरण	भारत जल सप्ताह 2016
क.	**वर्तमान देयताएं**	
	अन्य. वर्तमान देयताएं	
	बकाया व्यय	
	वेतन तथा भत्ते	0.00
	किराया, दर तथा कर	0.00
	प्रेषणा	0.00
	स्टेल चैक	0.00
	अंशदायी भविष्य निधि	0.00
	अन्य– रा.ज.वि.अ.	2000000.00
	धरोहर राशि/ सुरक्षित जमा	0.00
	निष्पादन गारंटी जमा	0.00
	सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	0.00
	टी.डी.एस.	0.00
	उप कुल (क)	**2000000.00**
ख.	**प्रावधान**	
	लेखापरीक्षा शुल्क	0.00
	सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0.00
	उप कुल (ख)	0.00
	कुल योग	**2000000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान देयताएं, ऋण एवं अग्रिम

(राशि रूपये में)

विवरण			भारत जल सप्ताह 2016
क.	वर्तमान देयताएं		
	आदि शेष		0.00
	बचत बैंक खाता एस.बी.बी.जे		28169.00
	एचडीएफसी		632038.00
	डाक टिकट		0.00
	मार्गस्थ ड्राफ्ट		0.00
	उप कुल (क)		**660207.00**
ख.	ऋण अग्रिम एवं अन्य् परिसंपत्तियां		
	ऋण एवं अग्रिम		
	कर्मचारियों को		0.00
	अन्य (सुरक्षा जमा)		
	विज्ञान भवन		53600.00
	आईटीपीआ		0.00
	भारत जल सप्ताह 2017		200000.00
	उप कुल ख.		**0.00**
	प्राप्य दावे		
	उप कुल ग.		**253600.00**
	कुल योग		**913807.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : सहायता/छूट (अपरिवर्तनीय सहायता एवं प्राप्त छूट)

(राशि रूपये में)

विवरण			भारत जल सप्ताह 2016
भारत जल सप्ताह 2016 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि			10000000.00
कुल योग			**10000000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–14 : शुल्क/चंदा

(राशि रूपये में)

	विवरण	भारत जल सप्ताह 2016
	भारत जल सप्ताह	
1	**पंजीकरण/प्रतिनिधि मंडल शुल्क**	899328.00
2	**वार्षिक शुल्क/चंदा**	0.00
3	**सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क**	0
4	**प्रायोजक शुल्क**	11908204.00
5	**भारत जल सप्ताह में स्टाल लगाने का शुल्क**	9731894.00
6	**अन्य प्राप्तियां (संदिग्ध खाते)**	2925023.00
7		0.00
	कुल	**25464449.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज

(राशि रूपये में)

	विवरण			**भारत जल सप्ताह 2016**
क.	बचत बैंक खातों पर			337812.00
ख.	ऋण एवं अग्रिमों पर			0.00
ग.	अन्य			0.00
कुल				**337812.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–18 : अन्य आय

(राशि रूपये में)

विवरण	भारत जल सप्ताह 2016
परिसंपत्तियों का निपटान	0.00
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	0.00
विविध आय	11065.00
टेंडर फार्म आदि की विक्री पर	0.00
कुल	11065.00

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के प्राप्ति एवं भुगतान का अनुसूची बनाने वाला भाग

सर्किलवार अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण		भारत जल सप्ताह 2017
यात्रा व्यय		249283.00
प्रकाशन व्यय		1613068.00
दूरभाष/ईएसी व्यय		4000.00
पंजीकरण सामग्री व्यय		1269980.00
वेब साईट का शुभारंभ का अलग व्यय		1041389.00
स्मृति चिन्ह की खरीद		217238.00
डाक व्यय		70415.00
सहायक कर्मचारी		208637.00
इवेंट प्रोमोशन		7082409.00
बैंक प्रभार		3877.00
आतिथ्य व्यय		5705594.00
साईज फेब्रिकेशन वर्क्स व्यय		5127575.00
ओडियो विजन उपकरण व्यय		
परिवहन किराया व्यय		242117.00
प्रदर्शनी निर्माण व्यय		14950.00
किराया विज्ञान भवन		668000.00
किराया आईटीपीओ		17435348.00
विज्ञापन पर व्यय		918046.00
विज्ञान भवन में बकेट एवं फ्लावर		374430.00
माइनर वर्क्स		248483.00
कार्य (आईटी)		9800.00
श्री एस सी मंगल स.अ. को अस्थाई अग्रिम		41500.00
सम्मेलन व्यय		890.00
फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी		24400.00
सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यय		27800.00
कुल		42599229.00

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल सप्ताह 2016 के प्राप्ति एवं भुगतान का अनुसूची बनाने वाला भाग

सर्किलवार अनुसूची–21क : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	भारत जल सप्ताह 2017
किराया एसी आईटीपीओ	17435348.00
किराया एसी विज्ञान भवन	668000.00
पंजीकरण सामग्री व्यय	1269980.00
प्रकाशन व्यय	1613068.00
आतिथ्य व्यय	5705594.00
वेब साईट का शुभारंभ का अलग व्यय	1041389.00
मार्ग सूचक चिन्ह पर व्यय	5127575.00
विज्ञान भवन में बकेट एवं फ्लावर	374430.00
यात्रा व्यय	249283.00
स्मृति चिन्ह की खरीद	217238.00
डाक व्यय	70415.00
दूरभाष/ईएसी व्यय	4000.00
परिवहन किराया व्यय	242117.00
सहायक कर्मचारी	208637.00
प्रदर्शन निर्माण व्यय	14950.00
इवेंट प्रोमोशन	7082409.00
बैंक प्रभार	3877.00
विज्ञापन पर व्यय	918046.00
माइनर वर्क्स	248483.00
कार्य (आईटी)	9800.00
सम्मेलन व्यय	890.00
फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी	24400.00
सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यय	27800.00
श्री एस सी मंगल स.अ. को अस्थाई अग्रिम	41500.00
विज्ञान भवन में सुरक्षा जमा	53600.00
भारत जल सप्ताह 2017 को अंतरण	200000.00
कुल	**42852829.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 का आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

विवरण	अनुसूची	चालू व f
पूंजीगत निधि तथा देयताएं		
समग्र निधि पूंजीगत निधि	1	428071.00
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2	0.00
उद्दिष्ट विन्यास निधि	3	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00
आस्थकगित जमा देयताएं	6	0.00
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	0.00
कुल		428071.00
परिसंपत्तियां		
नियत परिसंपत्तियां	8	0.00
निवेश–उद्दिष्ट–/विन्यास निधियों से	9	0.00
निवेश–अन्य	10	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	428071.00
विविध व्यंय (बट्टे खाते नहीं डालनेध्समायोजित नही करने की सीमा तक)		0.00
कुल		**428071.00**
महत्व–पूर्ण लेखा नीतियां	24	
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25	

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 का आय तथा व्यय लेखा

(राशि रूपये में)

व्यय	अनुसूची	जल मंथन	आय	अनुसूची	जल मंथन
स्थापना व्यय	20	0.00	विक्रय/सेवा से आय	12	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	22,91,356.00	अनुदान/सहायिकी	13	25,00,000.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	0.00	(प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान एवं सहायिकी)		
ब्याज	23	0.00	शुल्क/चंदा	14	0.00
			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण)	15	0.00
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00
			अर्जित ब्याज	17	1453.00
			अन्य आय	18	0.00
			तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	0.00
कुल (ख)		22,91,356.00	कुल (क)		25,01,453.00
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क–ख)					
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		2,10,097.00			
सामान्य आरक्षण से/को अंतरण		0.00			
अधिशेष (कमी) के कारण शेष को					
अधिशेष (कमी) के कारण शेष को		210097.00			
समग्र/पूंजीगत निधि में अंतरित करना विशिष्ट लेखा नीतियां					
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां					

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को भारत जल मंथन 2017 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

	प्राप्ति	जल मंथन 2017		भुगतान	जल मंथन 2017
I.	**1. आदि शेष**			**व्यय**	
	क. रोकड़ शेष	**0.00**		क. स्थापना व्यय	**0.00**
	ख. बैंक शेष	**217974.00**		(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	
	i. बचत खातों में	**0.00**		ख. प्रशासनिक व्यय	**22,91,356.00**
	ii. मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	**0.00**		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	
	ग. डाक टिकट शेष	**0.00**			
	सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि				
				विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए	
II.	**प्राप्त अनुदान**			गए निवेश के लिए भुगतान	
	क. भारत सरकार से	**2500000.00**		लिंक नहर परियोजना	**0.00**
	ख. राज्य सरकार से	**0.00**			
				किए गए जमा तथा निवेश	
III.	**निवेश पर आय से**			क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	**0.00**
	क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि	**0.00**		ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	**0.00**
	ख. अपनी निधि (निवेश पर)	**0.00**			
IV.	**प्राप्त ब्याज**			**नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय**	
	क. बैंक जमाओं पर.	**1453.00**			**0.00**
	ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	**0.00**			
V.	**वित्तीय अधिभार (ब्याज)**			**ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**	**0.00**
	प्रवेश/ प्रायोजक भुल्क	**0.00**			
	स्टाल लगाना	**0.00**		**वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	**0.00**
	विविध प्राप्तियां	**0.00**		**अन्य भुगतान (विवरण दें)**	
				आईटीडीसी को अग्रिम	**0.00**
				विज्ञान भवन को सुरक्षा जमा	**7650.00**
VI.	**उधार ली गई राशि**	**0.00**		**आदि शेष**	
VII.	**कोई अन्य पावती (विवरण दें)**			क. रोकड़ शेष	
				ख. बैंक शेष	**420421.00**
	अन्य प्राप्तियां अग्रिम तथा कर्जों की प्राप्ति	**0.00**		i. बचत खातों में	
				ग. डाक टिकट शेष	
	कुल	**2719427**		**कुल**	**2719427**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–1 : पूंजीगत निधि

(राशि रूपये में)

विवरण		जल मंथन
वर्ष के प्रारंभ में शेष		217974.00
उप कुल (क)		**217974.00**
– बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश		
जमा/घटा : निवल आय का शेष / (व्यय) आय तथा व्यय खाते से अंतरित		210097.00
उप कुल (ख)		**210097.00**
वर्ष के अन्त में शेष		**428071.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–11 : वर्तमान देयताएं, ऋण एवं अग्रमि

(राशि रूपये में)

	विवरण	जल मंथन
क.	**वर्तमान परिसंपत्तियां**	
	आदि शेष	0.00
	बचत बैंक खाता शेष	420421.00
	करंट बैंक खाता शेष	0.00
	डाक टिकट	0.00
	मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00
	उप कुल (क)	**420421.00**
ख.	**ऋण अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां**	
	ऋण एवं अग्रिम	
	कर्मचारियों को	0
	अन्य (सुरक्षा जमा	7650.00
	विज्ञान भवन) को	
	उप कुल ख.	**7650.00**
ग	**प्राप्य दावे**	0
	उप कुल ग.	**0.00**
	कुल योग	**428071.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–13 : सहायता/छूट (अपरिवर्तनीय सहायता एवं प्राप्त छूट)

(राशि रूपये में)

विवरण	जल मंथन
जल मंथन 2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	2500000.00
कुल	**2500000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–17 : अर्जित ब्याज

(राशि रूपये में)

विवरण	जल मंथन
क. बचत बैंक खातों पर	1453.00
ख. ऋण एवं अग्रिमों पर	0.00
ग. अन्य	0.00
कुल	**1453.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21 : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	जल मंथन
टीए/डीए व्यय	27637.00
प्रकाशन व्यय	38220.00
पंजीकरण सामग्री	198990.00
पुष्प सज्जा व्यय	59430.00
यातायात व्यवस्था व्यय	645674.00
आतिथ्य व्यय	596224.00
किराया एसी	153000.00
स्मृति चिन्ह व्यय	40500.00
विज्ञापन पर व्यय	531629.00
बैंक प्रभार	52.00
कुल	**2291356.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(एस.एस. महापात्र)	(आर. के. सिन्हा)	(आर. के. जैन)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2017 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

अनुसूची–21क : अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रूपये में)

विवरण	जल मंथन
टीए/डीए व्यय	27637.00
प्रकाशन व्यय	38220.00
पंजीकरण सामग्री	198990.00
पुष्प सज्जा व्यय	59430.00
यातायात व्यवस्था व्यय	645674.00
आतिथ्य व्यय	596224.00
किराया एसी	153000.00
स्मृति चिन्ह व्यय	40500.00
विज्ञापन पर व्यय	531629.00
बैंक प्रभार	52.00
कुल	**2291356.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत दीर्धकालीन सिंचाई निधि – वर्ष 2016–17 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

(राशि रूपये में)

प्राप्ति	राशि		भुगतान	राशि
I. आदि शेष		I.	**व्यय**	
क. रोकड़ शेष	-		क स्थापना व्यय	-
ख. बैंक शेष			(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	
पण करंट खातों में	-		ख. प्रशासनिक व्यय	-
पपण मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	-		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	
II. प्राप्त अनुदान		II.	**विभिन्न परियोजनाओं के लिए किए**	
क. भारत सरकार से	44,66,35,556.00		गए निवेश के लिए भुगतान	
ख. राज्य सरकार से	-		केन्द्रीय सहायता (सीए)	
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एलटीआईएफ के अंतर्गत जारी राज्यों को योजना–	
III. निवेश पर आय से			आंध्र प्रदेश	**7,40,00,000.00**
क. उद्दिष्ट /अक्षय निधि	-		बिहार	**12,64,33,000.00**
ख. अपनी निधि (निवेश पर)	-		छत्तीसगढ	**13,29,00,000.00**
			गुजरात	**14,76,85,77,000.00**
IV. प्राप्त ब्याज			झारखंड	**1,45,75,00,000.00**
क. बैंक जमाओं पर.	-		कर्नाटक	**88,29,70,000.00**
ख. ऋण तथा अग्रिम आदि			मध्य प्रदेश	**2,85,41,40,000.00**
V. अन्य आय (विवरण दें)	-		मणिपुर	**1,26,99,40,000.00**
			महाराष्ट्र	**2,07,85,20,000.00**
VI. उधार ली गई राशि	-		ओडीसा	**4,93,01,20,000.00**
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एलटीआईएफ के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	**57,51,04,00,000.00**			**52,41,60,000.00**
			पंजाब	

				राजस्थान	**45,89,00,000.00**
VII.	कोई अन्य पावती (विवरण दें)	-		तेलंगाना	**2,45,43,20,000.00**
				उत्तर प्रदेश	**1,35,63,20,000.00**
				पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	**24,14,16,00,000.00**
			III.	**किए गए जमा तथा निवेश**	-
				नियत तथा पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	
			IV.		-
					-
			V.	**याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी**	-
				प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एलटीआईएफ के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण पर दिया गया ब्याज	**44,66,35,556.00**
			VI.	**वित्तीय अधिभार (ब्याज)**	-
			VII.	**अन्य भुगतान (विवरण दें)**	
			VIII.	**आदि शेष**	
				क. रोकड़ शेष	-
				ख. बैंक शेष	-
				i. करंट खातों में	-
	कुल	**57,95,70,35,556.00**			**57,95,70,35,556.00**

ह./–
(एस.एस. महापात्र)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(आर. के. जैन)
मुख्य. अभियंता (मु.)

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
18-20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017

Website: www.nwda.gov.in

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844